ख्वातीन के लिए ज़िन्दगी के
तमाम मसाइल का मजमुआ

# सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर

मुसन्निफ
मुफ्ती खलील ख़ां बरकाती

Scanned by CamScanner

# फेहरिस्त हिस्सा अव्वल


| मज़ामीन | सफ़ा |
|---|---|
| तहारत का बयान | 1 |
| चन्द ज़रूरी इस्तिलाहें | 2 |
| वुज़ू का बयान | 3 |
| गुस्ल का बयान | 21 |
| तयम्मुम का बयान | 36 |
| हैज़ का बयान | 42 |
| निफ़ास का बयान | 47 |
| इस्तिहाज़ा का बयान | 57 |
| नजासत का बयान और उसके अहकाम | 59 |
| नजिस चीज़ो के पाक करने का तरीक़ा | 64 |
| इस्तिंजे के मुतअल्लिक चंद मसाइल | 67 |
| नमाज़ के वक़्तो का बयान | 68 |
| नमाज़ की शर्तों का बयान | 72 |
| नमाज़ के फ़राइज़ | 81 |
| नमाज़ के वाजिब्रात का बयान | 86 |
| नमाज़ की सुन्नतों का बयान | 87 |
| नमाज़ के मुस्तहब्बात | 88 |
| नमाज़े वित्र का बयान | 94 |
| क़ज़ा नमाज़ का बयान | 97 |
| पर्दे से मुतअल्लिक़ चन्द आयात व अहादिस | 99 |
| शौहर के हुकूक़ | 106 |
| बीवी के हुकूक़ | 110 |
| चहल अहादिस | 114 |
| औलाद की तालीम व तबियर्त | 116 |
| **( हिस्सा दोम )** | **123** |
| नफिल नमाज़ का बयान | 124 |
| सज्दए सहव का बयान | 132 |
| बिमार की नमाज़ का बयान | 136 |
| सज्दए तिलावत का बयान | 139 |
| नमाज़े मुसाफिर का बयान | 142 |
| बीमारी का बयान | 147 |
| मौत आने का बयान | 154 |
| मय्यत का ग़ुस्ल व कफ़न | 158 |
| नमाज़े जनाज़ा और क़ब्र व दफ़न से मुतअल्लिक़ बाज़ मसाइल | 167 |
| ताज़ियत का बयान | 174 |
| सोग़ और नोहा का बयान | 178 |
| शहादत का बयान | 182 |
| ईसाले सवाब का बयान | 183 |
| वालदैन के हुकूक़ बादे वफ़ात | 198 |
| ज़कात का बयान | 201 |
| सदक़ ए फ़ित्र का बयान | 209 |
| रोज़े का बयान | 210 |
| नफ्ली रोज़े | 223 |
| हज का बयान | 236 |
| हजे बदल | 241 |
| हज में औरत के मख़सूस अहकाम | 242 |
| सफ़र मदीना तय्यबा | 248 |
| **(हिस्सा सोम)** | **252** |
| निकाह का बयान | 253 |
| मुहरमात का बयान | 265 |
| रज़ाअत यानी दूध के रिश्ते | 274 |
| कुफ़ू का बयान | 282 |
| औरत का हक्के मेहर | 286 |
| तलाक़ का बयान | 293 |
| ईला और ज़िहार का बयान | 310 |
| खुलआ का बयान | 318 |
| लिआन का बयान | 320 |
| ज़ौजा मफ्कूद का बयान | 323 |
| इद्दत का बयान | 325 |
| बच्चे की परवरिश का बयान | 331 |
| नफक़ा का बयान | 335 |
| मजालिसे खैर का बयान | 341 |
| अक़ीक़ा और खतना | 345 |
| ज़ीनत का बयान | 350 |
| इस्लाहुर्रुसूम | 358 |
| आतिश बाज़ी | 370 |


Scanned by CamScanner

(हिस्सा चहारुम) 374
फज़ाइल व मसाइल दुरूद शरीफ 375
कुरआन मजीद पढ़ने के फज़ाइल व आदाब 379
दुआ और उनके फज़ाइल व आदाब 386
कसम और उसके कफ्फारे का बयान 392
हुदूद व ताज़ीरात का बयान 399
हद्दे क़ज़फ का बयान 405
ताज़ीर का बयान 406
मुर्तद का बयान 414
चन्द कुफरिया कलिमात 421
लुक्ता का बयान 437
मफकूत का बयान 442
खरीद व फरोख्त का बयान 443
कर्ज़ का बयान 470
मुतफर्रिक मसाइले ज़िंदगी 476
याद दाश्त के लिए गिरह लगाना 476
पांव में डोरा बांधना 477
गले या बाजू में तावीज़ 477
लिखा हुआ दस्तरखान 479
नज़रे बद से हिफाज़त 480
किस्से कहानी सुनना –सुनाना 481
जहेज़ की एक सूरत 483
बच्चो के लिए तहायफ 485
एक दूसरे के माल में तसर्रुफ 486
तोहमत की जगह 487
पीरों के हाथ पांव का बोसा 487
अपने हक के लिए दूसरे का माल दबाना 488
मां बाप का नाम लेना 489
शौहर का नाम लेकर पुकारना 489
मरने की दुआ करना 489
ज़लज़ला के वक्त 489
हमबिस्तरी के वक्त कलाम वगैरह 491
मज़लूम से मुआफी 492
माहे सफर या तेरह तेज़ी 492
तांबे और मिट्टी के बरतन 494
रोटी के चार टुकड़े करना 495
पान में तम्बाकू का इस्तेमाल 495
अंधे से परदा 497
पानी पीने की इस्लामी तहज़ीब 500
खाली मकान में जाना 501
छींक बदफाली नहीं 502
हदिया की वापसी 503
दूसरे के बरतनों का इस्तेमाल 503
तिनके से खिलाल 503
झूला झूलना 504
अस्र के बाद खाने से परहेज़ 505
सोने चांदी के बरतन 505
आराईश व ज़िबाईश 506
सोने चांदी के बटन 506
तंग पाजामे 506
बगैर सलाम किए कलाम करना 507
खाने–पीने के आदाब 507
चलने–फिरने के आदाब 509
मजलिस के आदाब 515
गुफ्तगू के आदाब 518
मुतफर्रिक आदाब 521
जमाई और छींक 528
क़हक़हा मारना 529
क़िबला रुख थूकना 530
ख़ाब की ताबीर
मकान में जाने के लिए इजाज़त 531
बड़ा भाई चचा और खालू 532
असबाबे फिक्र व तंगदस्ती 533
खुद कर्दा रा इलाज नीस्त 543
असबाबे गिना व फराख़दस्ती 546
दुआए खैर 546

Scanned by CamScanner

# सुन्नी बहिश्ती ज़ेवर कामिल

## ख़्वातीन के लिए

ज़िन्दगी के तमाम मसाइल का मजमूआ

**3**

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ख़लील ख़ां क़ादरी
बरकाती मद्देज़िल्लहु आली

मकतबा जामे नूर

422, मटिया महल जामा मस्जिद, दिल्ली-110006

Scanned by CamScanner

# निकाह का बयान

एक मर्द और औरत के दरमियान, इस्लामी क़ानून की रू से जो ताल्लुक़ और राबता पैदा हो जाता है। वह महज़ अपनी नफ़सानी और जिंसी ख़्वाहिशों के पूरा करने के लिए नहीं और न निकाह का यह मक़सद है कि एक मर्द और औरत किसी न किसी तरह एक दूसरे के गले पड़ जायें और न शरीअत इस अमर की इजाज़त देती है कि औरत मर्द को शह्वानी ख़्वाहिशात की तकमील का आला कार बना दिया जाये।

शरीअत इस्लमामिया में निकाह एक दीनी और मज़हबी अमल और एक गहरा तमद्दुनी अखलाकी और क़ल्बी ताल्लुक़ है। मर्द औरत में उलफ़त व यगानगत और मियां बीवी में बाहमी मुनासिबत का पाकीज़ा रिशता है और मक़्सूद असली उसका यह है कि मर्द व औरत के मेल मिलाप से एक कामिल और खुशगवार ज़िन्दगी वजूद में आये और नस्ले इन्सानी का सिलसिला भी हदूदे इलाही की निगरानी के दर्मियान बढ़ता और फूलता फलता रहे।

कुरआन करीम का इरशाद गिरामी है

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ "तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं तो आओ अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो" यानी जहां तक मियां बीवी में वज़ीफ़ा ज़ोजीयत का ताल्लुक़ है तो तुम्हारी बीवीयां तुम्हारे लिए ऐसी ही हैं जैसे काश्तकारी के लिए काश्त की ज़मीन। ज़मीन्दार के लिए उस का खेत।

खेत कहते हैं उस कितअ ज़मीन को जिसमें काश्त के लिए तुख़्म रेज़ी होती है पैदावार के लिए बीज बोया जाता है और उसमें सब्ज़ी,

ग़ल्ला, नबातात का नशूनमा होता है। खेत में किसान महज़ तफरीह और वक़्त गुज़ारी के लिए नहीं जाता बल्कि उसे अपनी बहुत बड़ी दौलत समझ कर उसे निहायत दरजा अज़ीज़ रखता है और उससे पैदावार हासिल कर के खूब मुनाफ़ा कमाता है।

इसी तरह औरतें मर्दों के लिए खेती की जगह हैं। उसका नुत्फ़ा बजाए तुख़्म है और औलाद का हुसूल नुत्फ़ा पैदावार है तो औरतों और मर्दों में एक दूसरे से ताल्लुक़ और कुर्बत से मक़सूद नस्ल इन्सानी की बक़ा और औलाद का हुसूल और एक पाकीज़ा ज़िन्दगी एक खुशगवार माहौल की फ़राहमी है न कि क़ज़ाए शह्वत और महज़ जिन्सी ख़्वाहिशात की तकमील।

यही वजह है कि इस्लामी क़ानून औरतों के मख़सूस अय्याम में कुर्बत व हमबिस्तरी की इजाज़त नहीं देता। ग़र्ज़ नस्ले इन्सानी के किसान को भी, इन्सानियत की उस खेती में इस लिए जाना चाहिए कि वह उससे नस्ल की पैदावार हासिल करे।

इस आयते करीमा में आगे यह भी इरशाद फ़रमाया

وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ यानी अपने हक़ में आइन्दा के लिए कुछ करते रहो। अपने लिए मुस्तक़बिल का सामान करो। फिर फ़रमायाः-

وَاتَّقُوا اللَّهَ अल्लाह से डरते रहो। अपने लिए यानी यह बात न भूलो कि तुम्हें एक दिन मरना और उसके हुज़ूर हाज़िर होना है।

यह जामेअ अल्फ़ाज़ हैं जिन से दो मतलब निकलते हैं और दोनों की यकसां अहमियत है एक यह कि अपनी नस्ल बरक़रार रखने की कोशिश करो ताकि तुम्हारे दुनिया छोड़ने से पहले तुम्हारी जगह दूसरे काम करने वाले पैदा हों और कारख़ानाए आलम का निज़ाम

Scanned by CamScanner

क़ायम रहे। दूसरे यह कि जिस आने वाली नस्ल को तुम अपनी जगह छोड़ने वाले हो उस को दीन अखलाक़ और आदमीयत के जौहर से आरास्ता करने की कोशिश करो। यह गोया उसकी ताकीद है कि लज़्ज़तों में मशगूलीयत के वक़्त भी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत अपनी ज़िम्मेदारियों को न भूल जायें। लज़्ज़त परस्ती ही में डूब कर न रह जायें बल्कि अपनी लज़्ज़तों को भी इस्लामी सांचे में ढालने की फ़िक्र से ग़ाफ़िल न हों। अगर इन ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ के अदा करने में तुम ने क़सदन कोताही की और शहवानी लज़्ज़तों और नफ़सानी ख़्वाहिशों ही में डूब कर रह गये तो खुदावन्द क़ुद्दूस के यहां बाज़ पुर्स से किस तरह बच सकोगे।

इसी मज़मून की ताकीद क़ुरआन अज़ीम के और मक़ामात से भी होती है। मसलन निकाह के बाब में मर्दों से फ़रमाया-

مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ

यानी निकाह जिसकी इजाज़त तुम मर्दों को दी जा रही है वह अज़दवाजी ज़िन्दगी के क़ैद व बन्द में रहने और उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हो जो अक़्द निकाह के बाद तुम पर आइद होती हैं। उसका मक़सूद नफ़्स परस्ती और बदमस्ती नहीं होना चाहिए।

औरतों के हक़ में फ़रमाया-

مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ

यानी औरतें जो मर्दों के अक़्द निकाह में आ रही है उन्हें भी यह बात ज़ेहन नशीन कर लेनी चाहिए कि वे अज़दवाजी ज़िन्दगी के क़ैद व बन्द की पाबन्द बन रही हैं हवस रानी और बद चलनी

Scanned by CamScanner

की ज़िन्दगी, अज़दवाजी ज़िन्दगी नहीं बन सकती।

खुलासा कलाम यह है कि मर्द और औरत दोनों का मकसूद, निकाह के ज़रिये, 'एक पाकीज़ा, और इफ्फत मआब ज़िन्दगी बसर करना होना चाहिए। जिन्सी ख़्वाहिशात की तकमील उस की ग़ायत नहीं, और उस ताबीर में तन्बीह है कि ज़ानी महज़ शहवत रानी करता और मस्ती निकालता है और उसका फेल ग़र्ज़ सही और मकसदे हसन से खाली होता है। न औलाद हासलि, न नस्ल व नसब महफूज़ करना न अपने नफ़्स को हराम से बचाना। इनमें से कोई बात उसके मद्देनज़र नहीं होती वह अपने नुत्फ़ा व माल को ज़ाया व बरबाद करके दीन व दुनिया के खसारा में गिरफ़्तार होता है।

सूर: नहल में इरशाद फरमाया –

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ
بَنِيْنَ وَحَفَدَةً

और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से औरतें बनायीं और तुम्हारे लिए तुम्हारी औरतों से बेटे और पोते और नवासे पैदा किये।

यानी अल्लाह अज़्ज़ोजल ने मर्दों के लिए नोअ इन्सानी ही से उसका जोड़ा पैदा किया ताकि दोनों में उल्फत व मुहब्बत कायम रहे और तख़लीके इन्सानी की ग़र्ज़ पूरी हो फिर दोनों के बाहमी इखतिलात व कुर्बत से इन्सान को औलाद बख्शी और औलाद की औलाद अता फ़रमाई पोते और नवासे दिये ताकि नोअ इन्सानी बरकरार रहे तो अज़दवाजी ताल्लुकात का कायम करना और उन्हें नेक मकासिद की ख़ातिर बाकी रखना, उन अज़ीम नेमतों में से एक नेमते उज़मा है जिनका खुदाए कुद्दूस ने अपने बन्दों पर एहसान फरमाया और अपने एहसानात व इनामात में गिनाया सूर: फुरकान में इरशाद फरमाया–

Scanned by CamScanner

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

"और वह वही है जिसने इन्सान को पानी से पैदा फ़रमाया फिर उसे खानदान वाला और ससुराल वाला बनाया।''

इस्लाम ने सारे इन्सानी माआशरे की बुनियाद खानदान ही पर रखी है और ससुराल को भी खानदान ही का एक जुज़ ठहराया है तो इज्तिमाई ज़िन्दगी में खानदान को जो अहमियत हासिल है वही अहमियत अक़्द निकाह को भी हासिल है। बल्कि उससे बेशतर आयते करीमा पर ग़ौर फ़रमाइए। बजाये खूद यही करिश्मा किया कम था कि वह एक हक़ीर पानी की बून्द से इन्सान जैसी हैरत अंगेज़ मखलूक बनाकर खड़ी करता है मगर उस पर मज़ीद करिशमा यह है कि उसने इन्सान का भी एक नमूना नहीं बल्कि दो अलग नमूने मर्द और औरत बनाये जो इन्सानीयत में यकसां मगर जिस्मानी और नफ़सानी खसूसियात में निहायत मुखतलिफ़ और इस इखतिलाफ़ की वजह से बाहम मुखतलिफ़ व मुतज़ाद नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरा जोड़ा हैं। फिर उन जोड़ों को मिला कर वह अजीब तवाज़ुन के साथ जिसमें किसी दूसरे की तदबीर का अदना दखल भी नहीं है, दुनिया में मर्द भी पैदा कर रहा है और औरतें भी जिससे एक सिलसिला ताल्लुकात बेटों और पोतों का चलता है। जो दूसरे घ़रों से बहुयें लाते हैं और एक दूसरा सिलसिला ताल्लुकात बेटियों और नवासियों का चलता है जो दूसरे घरों की बहुयें बन कर जाती हैं और इस तरह खानदान से खानदान जुड़ कर पूरे पूरे मुल्क एक नस्ल और एक तमददुन से वाबिस्ता हो जाते हैं।

यही वजह है कि आयते करीमा में ससूराली रिश्ते को खालिके

कायनात ने अपनी नेमतों में शुमार फरमाया और अपनी कुदरत कामिला की दलील ठहराया कि किसी बज़ाहिर बे हकीकत चीज़ से कितने अज़ीमुश्शान और दूर दराज़ के ताल्लुकात कायम कर दिये।

कुदरत के फैयाज़ हाथों ने जो जज़बात इन्सान की फितरत में वदीअत फरमाए और जो कुव्वत उसे अता फरमायीं वह उसके हक में सरापा खैर और सर ता सर मुफीद हैं और इन्सान को इन जज़बात और कुव्वतों से वही काम लेना चाहिए जिसके लिए उसकी तखलीक हुई और उसे काम में लाने का वही तरीका बरतना चाहिए जो कुदरत ने उसे सिखाया और उसी हद तक काम में लाना चाहिए जिस हद तक कानूने कुदरत में उसे वुसअत दी गई है। उन्हीं कुव्वतों में से एक कुव्वते तवालुद व तनासुल भी है जिसकी बदौलत इन्सानों के माबीन विलादत का सिलसिला कायम करना और नस्ल इन्सानी को बरकरार रखना ज़हूर में आता है जो अैन मन्शाए इलाही है।

और चूंकि कुव्वत फितरी और अतिया खुदावन्दी है लिहाज़ा उसका कामिल तौर पर इन्सान में पाया जाना उसके कमाले इन्सानियत की दलील होगी और यह उसी वक्त मुमकिन है जब उसका सर्फ़, उसी महल में किया जाये जो कुदरत ने उसके लिए मुतअय्युन फरमाया है और उसी महल सर्फ़ को हदूद में रहते हुए अपने तसर्रुफ में लाना, शरअ की ज़बान में निकाह कहलाता है और जो बुनियाद है एक पाकीज़ा ज़िन्दगी की।

## औरत इस्लाम से पहले

इस्लाम से पहले औरतों के हकूक पामाल थे न उनकी जान की कोई कीमत थी और न असमत व अफफत ही की कद्र थी। बीवीयों

Scanned by CamScanner

की कोई तादाद मुकर्रर न थी। इसलिए जब कोई मर्द चाहता और जिस औरत को चाहता और जिस तरह चाहता अपने निकाह में ले आता और उनके साथ वही सुलूक रवा रखता जो जानवरों से किया जाता है हक मेहर एक बे मानी चीज़ थी। बल्कि औरत की मिलकियत और सारा साज़ व सामान लाकानूनी के तहत शौहरों की मिलकियत करार पाता था बे हिसी का आलम यह था कि शौहर के मरने के बाद सौतेली माओं में भी विरासत का कानून राइज था कि मरने वालों के वारिसों में एक माल की तरह उसकी तकसीम भी अमल में आती थी। दुनिया में सबसे पहले हुजूर रहमतुललिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरतों के हकूक कायम किये और औरत की शख़्सीयत को उभारा और कुरआन करीम के अल्फ़ाज़ में ऐलान फरमाया–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ سوره بقره آیت ۲۲۸

यानी जैसे हकूक मर्दों के औरतों पर हैं वैसे ही औरतों के हकूक मर्दों पर हैं। इस्लाम से कब्ल औरत की तज़लील व तहकीर की एक वजह उसकी माली बे चारगी भी थी। इसलिए हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरत की माली हालत को भी मुस्तहकम किया और उसके लिए उसूल वज़अ किये।

१. उसे विरासत में हिस्सेदार बनाया और अपने बाद भाई खाविन्द बेटे वग़ैरह के माले मतरूका जायदाद मनकुला व ग़ैर मनकूला में औरत के हिस्से मुकर्रर फरमाये।

२. मैके से मिलने वाला सामान दहेज उसकी मिलकीयत करार दिया।

३. उसे अपनी इमलाक व जायदाद पर मालिकाना हक देकर उसमें तसर्रुफ का हक दिया।

४. अपने हक मेहर पर उसे पूरा-पूरा अख़तियार बख़्शा।

और इस तरह बुनियादी हैसीयत से औरत को मर्द के मसावी कर दिया और उन तदाबीर से औरत को पस्ती से निकाल कर बुलन्दी अता फ़रमाई और सही मानी में उसे मर्द का शरीके ज़िन्दगी और रफ़ीके ह्यात बना दिया।

ग़र्ज़ चूंकि निकाह शरीअत इस्लामिया में मर्द व औरत के मावैन एक शरई ताल्लुक दीनी राबता और मज़हबी इखतिलात है। इसलिए इस्लाम ने निकाह के उसूल व कवायद मुकर्रर किये मियां बीवी के हकूक मुतअय्यन किये ताकि कोई फ़रीक किसी फ़रीक के हकूक पामाल न कर सके। मसलन

१. ईजाब व कुबूल को निकाह का लाज़िमी हिस्सा करार दिया।

२.कम से कम दो गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी ठहराई गयी।

३. औरतों की दो किस्में की गयीं एक वह जिन से निकाह हलाल है और दूसरी वह जिन से निकाह हराम है।

४. औरत आकिला बालिग़ा हो तो उसे अपने निकाह का अख़तियार दिया गया और नाबालिग़ी की हालत में उस पर उसके वली को अख़तियार बख़्शा गया।

५. निकाह को हर सूरत में मुकम्मल करने के लिए कफ़ू का लिहाज़ किया।

६. मर्द पर बनाम हक मेहर एक मोअय्यना रकम मुकर्रर की गई और उस पर औरत को पूरा पूरा अखतियार दिया।

७. शरीअत ने वे हदूद मुकर्रर कीं जिसके बाद शोहर को औरत

पर कोई हक नहीं रहता।

८. औरतों को छोड़ने के लिए कवानीन वज़अ किये गए जिन्हें तलाक और खुलअ कहा जाता है।

९. औरत का नान नफ्का शौहर पर लाज़िम करार दिया।

१०. ज़माना जिहालत के रस्म व रिवाज के बर खिलाफ मर्द को औरत से निकाह का हुक्म दिया, और बवक्त ज़रूरत, कुछ शर्तों से मशरूत, सख्त पाबन्दियों के साथ, एक से ज़्यादा की इजाज़त दी।

अब इन उमूर से मुताल्लिक चन्द फिक्ही मसाइल और दूसरे अहकाम भी सुनें।

## १-ईजाब व कुबूल

ईजाब व कुबूल यानी मसलन "एक कहे" मैंने अपने को तेरी ज़ोजीयत या तेरे निकाह में दिया। दूसरा कहे "मैंने कुबूल किया" यह निकाह के रुक्न हैं पहले जो कहे वह ईजाब है और उसके जवाब में दूसरा जो अल्फाज़ कहे उसे कबूल कहते हैं यह कुछ ज़रूरी नहीं कि औरत की तरफ से ईजाब हो और मर्द की तरफ से कुबूल। बल्कि उसका उल्टा भी हो सकता है। (दुर्रे मुख्तार, रददुलमुहतार)

**मसला:-** लड़की के बाप या वकील ने, मर्द से कहा कि "मैंने अपनी लड़की या अपनी मुवक्किला का तुझ से निकाह किया या उसको तेरे निकाह में दिया। उसने कहा मैंने कुबूल किया"। या उसके बाप या वकील ने कहा कि "मैंने उसे अपने लड़के या अपने मोवक्किल के लिए कबूल किया तो निकाह दरूस्त है। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला:-** औरत ने मर्द से कहा "मैंने तुझ से अपना निकाह किया इस शर्त पर कि मुझे अख्तियार है जब चाहूं अपने को तलाक दे लूं।"

और मर्द ने कुबूल किया तो निकाह हो गया और औरत को अख़्तियार है. जब चाहे अपने को तलाक़ देदे।

**मसलाः-** किसी ने लड़की के बाप से कहा 'तेरे पास इसलिए आया हूं कि अपनी लड़की का निकाह मुझ से कर दे'' उसने कहा "मैंने उसे तेरे निकाह में दे दिया तो निकाह हो गया। कुबूल की भी हाजत नहीं बल्कि उसे अब यह अख़्तियार नहीं कि कुबूल न करे। (रददुलमुहतार, आलमगीरी)

**मसलाः-** किसी नें लड़की के बाप से कहा "तूने अपनी लड़की मुझे दी'' उसने कहा "दी'' उसने कहा "कुबूल की'' तो अगर यह ईजाब व कुबूल मंगनी के लिए हो तो मंगनी है और निकाह के लिए हों तो निकाह। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

**मसलाः-** किसी की मंगेतर को निकाह का पैग़ाम देना मकरूह है। यूं ही एक को ज़बान देकर उससे फिर जाना, या मंगनी को बिला वजह शरअी तोड़ देना भी मज़मूम व बेजा है और बहरे सूरत, दूसरे से निकाह शरअन दरूस्त व सहीह है। और अगर दर हकीकत किसी उज़्र माकूल या वजह शरअी की बिना पर मंगनी करके तोड़ दी और लड़की दूसरे को दे दी तो अब कोई बुराई भी नहीं। (फ़तावा रिज़विया वग़ैरह)

**मसलाः-** औरत को चाहिए कि मर्द दीनदार, खुश खुल्क, मालदार सख़ी से निकाह करे फ़ासिक़ बदकार से नहीं, नेक चलनी, खुशअख़लाक़ी, खुदा तरसी और परहेज़गारी से बढ़ कर कोई हुस्न जमाल और मताअ़ व माल नहीं।

**मसलाः-** नाबालिग़ लड़के और लड़की के (माबैन) निकाह में मसनून तरीका यह है कि उसके औलिया खुद ईजाब व कुबूल करें

Scanned by CamScanner

या उनकी इजाज़त से उनके वकील। नाबालिग़ों से कहलवाने की कोई हाजत नहीं। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसलाः–** यह जो तमाम हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में आम तौर पर रिवाज पड़ा हुआ है कि औरत से एक शख़्स इज़्न ले कर आता है जिसे वकील कहते हैं वह निकाह पढ़ाने वाले से कह देता है कि फ़लां का वकील हूं फ़लां का वकील हूं आप को इजाज़त देता हूं कि निकाह पढ़ा दीजिए। यह तरीक़ा महज़ ख्याल है बल्कि यूं चाहिए कि जो शख़्स निकाह पढ़ाये वह औरत या उसके वली का वकील बने। ख़्वाह यह खुद उसके पास जाकर वकालत हासिल करे या दूसरा उसकी वकालत के लिए लाये फ़लां बिन फ़लां को तूने वकील किया कि वह तेरा निकाह फ़लां बिन फ़लां से कर दे औरत कहे हां'' (बहारे शरीअत, फ़तावा रिज़वियह)

## ईजाब व कुबूल गवाहों के रू बरू होना

बाहमी हक़ूक़ व अख़तियारात को महफ़ूज़ रखने के लिए कम अज़ कम दो गवाहों यानी दो मर्दों या एक मर्द दो औरतों का ईजाब कुबूल के वक़्त होना शर्ते निकाह है।

**मसलाः–** गवाहों का आक़िल बालिग़ होना भी ज़रूरी है और यह भी ज़रूरी है कि सब ने एक साथ निकाह के अल्फ़ाज़ सुने और मुसलमान मर्द का निकाह, मुसलमान औरत के साथ हो तो गवाहों का मुसलमान होना भी शर्त है। लिहाज़ा मुसलमान मर्द और औरत का निकाह काफ़िरों की शहादत से नहीं हो सकता हां अगर किताबियह

Scanned by CamScanner

मसलन नसरानियह से मुसलमान मर्द का निकाह हो तो उस निकाह के गवाह ज़िम्मी काफ़िर भी हो सकते हैं।

**मसला:–** गवाह दूसरे मुल्क के हैं कि यहां की ज़बान नहीं समझते तो अगर यह समझ रहे हैं कि निकाह हो रहा है और अल्फ़ाज़ भी सुनें और समझे यानी यह अल्फ़ाज़ ज़बान से अदा कर सकते हैं अगरचे उनके मायने नहीं समझते तो निकाह हो गया। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला:–** गवाह सिर्फ़ वही नहीं कहलाते जो मजलिसे अक़्द में मुक़र्रर कर लिये जाते हैं बल्कि वे तमाम हाज़िरीन गवाह हैं जिन्होंने ईजाब व क़ुबूल सुना मगर ऐसे हों कि बवक़्त ज़रूरत उनकी गवाही सुनी जा सके। (आलमगीरी)

**मसला:–** औरत से इज़्न लेते वक़्त गवाहों की ज़रूरत नहीं यानी उस वक़्त गवाह अगर न भी हों और निकाह पढ़ाते वक़्त हों तो निकाह हो गया। अलबत्ता इज़्न लेते वक़्त ग़वाहों की हाजत यूं है कि अगर औरत ने इंकार कर दिया और यह कहा कि मैंने इज़्न नहीं दिया था तो अब गवाहों से उसका इज़्न देना साबित किया जायेगा। (रद्दुलमुहतार वग़ैरह)

**मसला:–** यह अम्र भी ज़रूरी है कि मनकूहा गवाहों को मालूम हो जाये कि फ़लानी औरत से निकाह हो रहा है। मसलन औरत और उसके बाप दादा के नाम लिये जायें और अगर सिर्फ़ उसी का नाम लेने से गवाहों को मालूम हो जाये कि फ़लां औरत से निकाह हो रहा है तो बाप दादा के नाम लेने की ज़रूरत नहीं फिर भी एहतियात इस में है कि बाप दादा के नाम भी लिये जायें ताकि औरत मुतअय्यन हो जाये। (रद्दुलमुहतार)

**मसला:–** औरत से इजाज़त लें तो उसमें भी ज़ोज और उसके

Scanned by CamScanner

बाप दादा का नाम ज़िक्र कर दें ताकि औरत को होने वाले शोहर से वाक़फ़ियत रहे।

**तम्बीह:–** हदीस शरीफ़ में है कि जो मर्द किसी औरत से ब वजह उसकी इज़्ज़त के निकाह करे अल्लाह उसकी ज़िल्लत में ज़्यादाती करेगा। और जो किसी औरत से उसके माल के सबब निकाह करेगा अल्लाह तआला उसकी मोहताजी ही बढ़ायेगा और जो उसके हसब के सबब करेगा तो उसके कमीना पन में ज़्यादती फ़रमायेगा और जो इस लिए निकाह करे कि इधर–उधर निगाह न उठायेगा पाक दामनी हासिल हो या सिला रहमी करे तो अल्लाह अज़्ज़ोजल उस मर्द के लिए उस औरत में बरकत देगा और औरत के लिए मर्द में। (तबरानी)

इस हदीस शरीफ़ का हासिल औरत और उसके अहले खानदान के लिए यह है कि वह ऐसे मर्द से निकाह न करे जो उनकी दुनियावी वजाहत या शोहरत या उनके माल व दौलत पर रीझ कर या सिर्फ़ औरत के हुस्न व जमाल पर फ़रीफ़्ता होकर शादी पर आमादा हो बल्कि असल चीज़ पाक दामनी का बाकी रखना और खुदा व रसूल के अहकाम की बजा आवरी है। इसी से घरेलू ज़िन्दगी सदा बहार रहती है और इसी की बदौलत ज़न व शौहर में हक़ीक़ी मुहब्बत पैदा होती है।

# ३-मुहर्रमात का बयान

हैयते इज्तिमाई की दुरुस्ती का इन्हिसार इस बात पर है कि निज़ामे खानगी दुरुस्त हो और खान्गी निज़ाम का एक अहम जुज़ यह है कि निकाह किस किस के साथ जायज़ है और किसके साथ नाजायज़?

कुरआन करीम ने एक मुकम्मल फ़ेहरिसत दे कर हमें हराम व हलाल औरतों का पता दिया।

मुहर्रमात वे औरतें हैं जिनसे निकाह हराम व नाजायज़ है। और ये दो किस्म की औरतें हैं। एक वह जिन से निकाह हमेशा हमेशा के लिए हराम है दूसरी वह जो किसी खास सूरत व ज़मानए मुअय्यना में हराम हैं।

## १-नसब

इसके तहत सात औरतें मुतलकन हराम हैं।

१. मां और मां से मुराद वह औरत है जिसकी औलाद में यह है बिला वास्ता या बिलवास्ता लिहाज़ा दादी, नानी, परनानी, अगरचे कितनी ही ऊपर की हों सब हराम हैं और यह सब मां में दाखिल हैं और सौतेली मां भी हकीकी मां की तरह हराम है और उसकी हुरमत वैसी ही है जैसी हकीकी मां की।

२. बेटी और बेटी से मुराद वे औरतें जो उसकी औलाद हैं ख़्वाह बिल वास्ता या बिला वास्ता लिहाज़ा पोती परपोती नवासी परनवासी सब हराम हैं।

३. बहन ख़्वाह हकीकी हो यानी एक मां बाप से या सौतेली कि बाप दोनों का एक है और मायें दो या मां एक है और बाप दो हराम हैं।

४. फूफी, खाला, और बाप मां, दादा, दादी, नाना, नानी वग़ैरह यह हम उसूल की फूफीयां या खालायें अपनी फूफी और खाला के हुक्म में हैं ख़्वाह हकीकी हों या सौतेली। यूंही अपनी खाला सगी हो या सौतेली मां के हराम कतई है। हां बाप की मन्कूहा यानी सौतेली

Scanned by CamScanner

मां की बहन हक़ीक़ी हो या सौतेली। वह मां के हुक्म में नहीं।

५. भतीजी भांजी, और उससे मुराद भाई बहन की औलाद है, उनकी पोतियां नवासियां भी उसी में शुमार हैं यूंही भतीजी भांजी की औलाद कि सब हराम हैं।

**मसला:-** ज़िना से बेटी पोती, बहन भतीजी, भांजी भी महरमात में दाखिल हैं। और भतीजी अगरचे सौतेली हो चचा पर हराम क़तई हैं। (आलमगीरी, फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

## २- मुसाहरत यानी ससूराली रिश्ते

इस सिलसिले में हस्ब ज़ैल औरतें हराम फ़रमाई गई हैं -

१. ज़ोजा मोतुआ (यानी वह औरत जिसके निकाह के बाद वती की गई) की लड़कियां।

२. ज़ोजा की मां, दादियां, नानीयां

३. बाप, दादा वग़ैरह उसूल (जिनकी यह औलाद में उन) की बीवीयां

४. बेटे पोते वग़ैरह फ़रूअ़ (जो उसकी औलाद में हैं उन) की बीवीयां

५. जिस औरत से ज़िना किया उसकी मां और लड़कियां ज़ानी के लिए।

६. जिस औरत से ज़िना किया गया वह ज़ानी के बाप दादा और बेटों के लिए।

### ज़रूरी मसाइल जिनका ताल्लुक़ मुसाहरत से है

**मसला:-** जिस औरत से निकाह किया और वती न की थी कि

Scanned by CamScanner

जुदाई हो गई। उसकी लड़की उस पर हराम नहीं। हां अगर ख़िलवते सहीहा औरत के साथ हो गई तो उसकी लड़की हराम हो गई कि खिलवते सहीहा भी वती के हुक्म में है और बेटी से निकाह किया तो निकाह होते ही उसकी मां उस मर्द पर हमेशा के लिए हराम हो गई वती शर्त नहीं कि ज़ोजा की वालिदा हमेशा अपनी मां की तरह है। ज़ोजा के मरने या तलाक़ हो कर इद्दत गुज़ारने के बाद किसी तरह हलाल नहीं हो सकती। (आलामगीरी फ़तावा रिज़वियह)

**मसला**:- हुरमत मुसाहरत जिस तरह वती से होती है यूंही बशहवत छूने बोसा लेने, फ़ुरुज़ दाखिल की तरफ़ नज़र करने, गले लगाने, दान्त से कांटने, चिपटाने यहां तक कि सर पर जो बाल हों उन्हें छूने से भी हुरमत साबित हो जाती है। अगरचे कोई बारीक कपड़ा या बोसा लेने में बारीक नक़ाब हाईल हो। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला**:- औरत ने शहवत के साथ मर्द को छुवा या बोसा लिया या उसके आला की तरफ़ नज़र की तो इससे भी हुरमत मुसाहरत साबित हो गई (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला**:- हुरमते मुसाहरत के लिए शर्त यह है कि औरत मुश्तहात (क़ाबिले शहवत) हो यानी नौ बरस से कम उम्र की न हो। तो अगर मर्द ने नौ साल से कम उम्र लड़की को बशहवत छुवा या उसका बोसा लिया तो हुरमत साबित न हुई। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला**:- ये अफ़आल क़सदन हों या भूल कर ग़लती से या मजबूरन, बहरहाल हुरमत साबित हो जायेगी। मसलन अन्धेरी रात में मर्द ने अपनी औरत को जिमाअ के लिए उठाना चाहा, ग़लती से शहवत के साथ मुशतहाता लड़की पर हाथ पड़ गया। उसकी मां हमेशा के लिए हराम हो गई। यूंही अगर औरत ने शोहर को उठाना

चाहा और शहवत के साथ हाथ लड़के पर पड़ गया जो मराहक़ था (उसकी मिक्दार बारह बरस की उम्र है) तो औरत हमेशा के लिए अपने उस शोहर से हराम हो गई। (दुर्रे मुख्तार)

**मसलाः**- किसी ने एक औरत से निकाह और उसके लड़के ने उस औरत की लड़की से किया जो दूसरे शोहर से है तो हर्ज नहीं। यूंही अगर लड़के ने औरत की मां से निकाह किगा जब भी यही हुक्म है। (आलमगीरी)

**मसलाः**- सौतली मां, मां नहीं तो उसकी सगी बहन से भी निकाह जायज़ है।

**मसलाः**- जिसने अपनी मनकूहा की हक़ीक़ी मां से वती की या उसे बशहवत हाथ लगाया उसकी औरत उस पर हमेशा के लिए हराम हो गई न कभी उसे रख सकता है न किसी हाल में दोबारा उससे निकाह कर सकता हैं उस पर फ़र्ज़ है कि औरत को फ़ौरन छोड़ दे ताकि वह उसके निकाह से बाहर हो जाये। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसलाः**- एक शख़्स ने अपने हक़ीक़ी बेटे की बीवी से ज़िना किया जिसका उसे इक़रार है और बेटा भी मानता है कि ऐसा हुआ तो वह औरत बेटे पर हमेशा के लिए हराम हो गई। अब किसी हीले से उस की ज़ोजीयत में नहीं आ सकती। उस पर फ़र्ज़ है कि उसे फ़ौरन छोड़ दे। मसलन कह दे कि मैंने तुझे छोड़ा। उसके बाद औरत इद्दत करे और बाद इद्दत अपने खुसर के अलावा जिससे चाहे निकाह कर सकती है। (फ़तावा रिज़वियह)

## ३-जमा बैनुलमहारम

यानी ऐसी औरतों को निकाह में जमा करना जो एक दूसरे के

Scanned by CamScanner

लिए महरम हैं।

**मसला:–** वे दो औरतें कि उनमें से जिस एक को मर्द फ़र्ज़ करें दूसरी उसके लिए हराम हो। मसलन दो बहनें कि एक मर्द फ़र्ज़ करें तो भाई बहन का रिश्ता हुआ या फूफी भतीजी कि फूफी को मर्द फ़र्ज़ करो तो चचा भतीजा का रिश्ता हुआ और भतीजा को मर्द फ़र्ज़ करो तो फूफी भतीजी का रिश्ता हुआ। या खाला भांजी का कि खाला को मर्द फ़र्ज़ करें तो मामू भानजी का रिश्ता हुआ और भानजी को मर्द फ़र्ज़ करो तो भानजे खाला का रिश्ता हुआ तो दो औरतों को निकाह में जमा नहीं कर सकता। या यूं समझ लो कि मसलन एक औरत निकाह में है तो जब तक वह निकाह में है उसकी बहन फूफी खाला भतीजी भानजी से निकाह हराम है। बल्कि अगर तलाक़ दे दी हो अगरचे तीन तलाकें तो जब तक इद्दत न गुज़रे दूसरी से निकाह नहीं कर सकता। (आमए कुतुब)

**मसला:–** ऐसी दो औरतें जिनमें उस क़िस्म का रिश्ता मौजूद हो जो ऊपर मज़कूर हुआ। नसब के साथ मख़सूस नहीं बल्कि दूध के ऐसे रिश्ते हों जब भी दोनों का जमा करना हराम है। मसलन औरत और उसकी रज़ाई बहन या खाला फूफी। (आलमगीरी)

## ४-ग़ैर मुस्लिमा से निकाह

**मसला:–** मुसलमान मर्द का निकाह, किताबिया यानी यहूदी व नसरानी औरत के सिवा मजूसी आतिश परस्त, बुत परस्त, आफ़ताब परस्त ग़र्ज़ किसी काफ़िर से नहीं हो सकता और मुसलमान औरत का निकाह, मुसलमान मर्द के सिवा, किसी और मज़हब वाले से नहीं हो सकता। (आलमगीरी वग़ैरह) अगरचे वह अहले किताब से हो।

Scanned by CamScanner

**मसला:-** यहूदिया और नसरानिया से मुसलमान का निकाह हो सकता है। यानी कि निकाह कर लें तो हो जायेगा यानी उसमें जिमाअ ज़िना न होगा। वती हराम न कहलायेगी और मुसलमान क़रार पायेगी मगर चाहिए नहीं कि इससे बहुत सी बुराईयों का दरवाज़ा खुलता है। (आलमगीरी) मसलन औलाद पर अन्देशा कि यहूदियों नसरानियों की आदत सीखे। फिर यह जवाज उस वक़्त तक है जब कि औरत अपने मज़हब यहूदीयत या नसरानियत पर हो। और अगर सिर्फ़ नाम की यहूदी नसरानी हों और हक़ीक़तन नेचरी और देहरिया मज़हब रखती हो जैसे आज कल कि अमूमन नसारा का कोई मज़हब ही नहीं तो उनसे निकाह नहीं हो सकता और कर भी लिया तो ऐसी औरतों से नाम निकाह उस हराम को हलाल नहीं कर सकता।

**मसला:-** क़ादियानी मिरज़ाई कि ख़त्म नबूवत के मुन्किर हैं और वहाबी राफ़ज़ी जो बद मज़हब ज़रूरियाते दीन में से किसी दीनी ज़रूरत का इंकार करता और क़तई कुफ़रिया अक़ायद रखता है ऐसों से निकाह क़तअन यक़ीनन महज़ बातिल और ज़िनाए खालिस है। और जो किसी ज़रूरी दीनी का मुन्किर नहीं उसके बारे में भी उलेमाए अहले सुन्नत का क़ौले फ़ैसल यही है कि उन से शादी विवाह के ताल्लुक़ात जायज़ नहीं।

**ज़रूरी:-** बद मज़हब औरत को निकाह में लाते वक़्त यह ख्याल कर लेना कि हम उस पर ग़ालिब हैं उसकी बद मज़हबी हमें क्या नुक़सान देगी बल्कि उसे सुन्नी करेंगे महज़ हिमाक़त है। यह रिश्ता तो दोस्ती मेल रग़बत, मेल मुहब्बत, महर पैदा करता है और मुहब्बत में आदमी अंधा बहरा हो जाता है, और दिल पलटते ख्याल बदलते कुछ देर नहीं लगती है। अल्लाह अज़्ज़ोजल अपने हिफ़्ज़ व अमान

Scanned by CamScanner

ही में रखे और ऐसे को अपनी बेटी देना तो सख़्त कहर, क़ातिल ज़हर है कि औरतें मग़लूब व महकूम होती हैं। फिर उन्हें अपने शोहर की मुहब्बत भी मां से बाप से तमाम दुनिया से ज़्यादा होती है फिर वह नर्म दिल भी ज़्यादा हैं और नाकिसातुल अक़्ल वद्दैन भी हैं और निकाह हर वक़्त का साथ है और वह बद मज़हब है तो ज़रूर उससे नादीदनी देखेगी और नाशुनीदनी सुनेगी और इंकार पर कुदरत न होगी तो यह उम्र भर के लिए फ़ज़ीहत व रुसवाई का सामान पैदा करना है। (फ़तावा रिज़वियह)

## ५. औरत का किसी दूसरे के निकाह या इद्दत में होना

कुरआन करीम में अक़्द निकाह को "मीसाकन ग़लीज़न'' अहदे मुस्तहकम, महकुम पैमान और बाहमी निभाव का मज़बूत बंधन क़रार दिया और साथ ही इरशाद फ़रमाया कि निकाह की उस बन्दिश की गिरह, शोहर के हाथ में है तो जब तक शोहर तलाक़ न दे औरत बदस्तूर उसके निकाह में रहती है अगरचे ताल्लुकात बज़ाहिर क़ायम न हों तो ये दूसरे की इद्दत में हो जब भी नहीं हो सकता इद्दत तलाक़ की हो ख़्वाह मौत की।

**मसला:–** इद्दत में निकाह हराम क़तई है बल्कि निकाह तो बड़ी चीज़ है। कुरआन अज़ीम ने इद्दत में सरीह पयाम को भी हराम फ़रमाया और इद्दत गुज़रने पर, निकाह कर लेने के वादे को भी हराम फ़रमाया। सिर्फ़ उसकी इजाज़त दी है कि दिल में ख्याल रखो या कोई पहलू और बात ऐसी कहो जिससे बाद इद्दत, इरादा निकाह

Scanned by CamScanner

का इशारा निकलता हो। साफ़–साफ़ यह ज़िक्र पहलूदार बात भी इद्दत वफ़ात वाली से कहना जायज़ है। इद्दते तलाक़ वाली से वह भी जायज़ नहीं। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसलाः–** और किसी के निकाह में है मगर शोहर ने छोड़ रखा है न नान नुफ़्क़ा देता है न उसकी खबरगीरी रखता है न तलाक़ देता है। उस हालत में भी जब तक मौत या तलाक़ न हो किसी और से निकाह हराम है और हालात ज़माना को आड़ बनाकर निकाह करना और भी बुरा किया यह निकाह हराम न होगा तो वहम आईन्दा से बचने के लिए कसदन हरामकारी के क्या मायने? (फ़तावा रिज़वियह)

**मसलाः–** जिस औरत को ज़िना का हमल है उससे निकाह हो सकता है। फिर अगर उसी का वह हमल है तो वती भी कर सकता है। और अगर दूसरे का है तो जब तक बच्चा न पैदा होले वती जायज़ नहीं और जिस औरत का हमल साबितुन्नसब है उससे किसी का निकाह नहीं हो सकता। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

**मसलाः–** औरत का शोहर बरसों से ग़ायब है कुछ पता नहीं कि ज़िन्दा है या मर गया और अब औरत अपना दूसरा निकाह करना चाहती है तो हरग़िज़ निकाह नहीं कर सकती उस पर लाज़िम है कि सब्र व इंजतज़ार करें। यहां तक कि उसके शोहर की विलादत को सत्तर बरस गुज़र जायें उसके बाद उसकी मौत का हुक्म दिया जाये। अब औरत इद्दत गुज़ार कर दूसरा अक़्द कर सकती है। ज़रूरत और जवानी का उज़्र हराम को हलाल नहीं कर सकता। बहुत कमसिन लड़कियां कि बेवा हो जाती हैं। हिन्दुओं की देखा देखी उम्र भर नाम निकाह का नहीं लेतीं उस वक़्त ज़रूरत व जवानी

Scanned by CamScanner

किधर चली जाती है। हज़ारों वे हैं जिनके शोहर ज़िन्दा मौजूद हैं मगर उनकी तरफ़ से क़तई लापरवाह वे अपनी उम्र क्यों कर काटती हैं। (फ़तावा रिज़वियह) जिस दिल में खुदा व रसूल का खौफ़ और इस्लाम व शरीअत का पास होता है। हर हाल में खुदा व रसूल ही पर उनका भरोसा होता है और वही उसकी नैया पार लगाते हैं। ज़रूरतों के लिए जायज़ मज़दूरी के दरवाज़े खुले हैं। और जवानी के लिए रोज़ा। आखिर हदीस शरीफ़ में है रोज़ा को सिपर यानी ढाल बताया गया है तो उसका मतलब यही है कि रोज़ा मर्द ख़्वाह औरत को बहकने और भटकने नहीं देता।

## ६. रिज़ाअत यानी दूध के रिश्ते

रिज़ाअ यानी दूध का रिश्ता, औरत का दूध पीने से साबित होता है और दूध पीने से मुराद यही मारूफ़ तरीक़ा नहीं बल्कि हल्क़ य नाक में टपकाया जब भी यही हुक्म है और थोड़ा पिया या ज़्यादा, बहरहाल हुरमत साबित होगी। जबकि अन्दर पहुंच जाना मालूम हो। और अगर छाती मुंह में ली मगर यह नहीं मालूम कि दूध पिया तो हुरमत साबित नहीं। (जोहरा नीयरा)

**मसला:**- बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दिया गया है मगर उस को किसी औरत ने दूध पिला दिया। अगर ढाई बरस के अन्दर है तो रिज़ाअत साबित है वरना नहीं। (आलमगीरी)

**मसला:**- बच्चे ने जिस औरत का दूध पिया वह उस बच्चे की मां हो जायेगी और उसका शोहर (जिसकी वती से बच्चा पैदा हुआ जिससे औरत को दूध उतरा) उस दूध पीने वाले बच्चे का बाप हो जायेगा और उस औरत के तमाम बच्चे उसके भाई से पहले के हों

Scanned by CamScanner

या बाद के या साथ के और औरत के भाई उसके मामू। उसकी बहन उसकी खाला, यूंही उस के शोहर की औलाद उसके भाई बहन, उसके भाई उसके चचा, उसकी बहनें, उसकी फूफीयां ख़्वाह शोहर की यह औलाद उसी औरत से हो या दूसरी से। यूंही हर एक के मां बाप, उसके दादा, दादी नानी। (आलमगीरी)

**मसला:**- जो नसब में हराम है रिज़ाअ में भी हराम है हां कुछ मर्द औरत इस कुल्लिया से मुसतश्ना हैं। वक़्त ज़रूरत उलेमा से दरयाफ़्त करें।

**मसला:**- कुदरते खुदावन्दी से कुंवारी लड़की के दूध उतर आया और किसी बच्चे ने मुद्दत रिज़ाअ़ में उस का दूध पी लिया या मुर्दा औरत का दूध पी लिया जब भी रिज़ाअ़ साबित होगी। (दुर्रे मुख़्तार) मगर नौ बरस से कम उम्र लड़की का दूध पिया तो रिज़ाअ़ नहीं। (जोहरा)

**मसला:**- एक औरत का दो बच्चों ने दूध पिया और उन में एक लड़का एक लड़की है तो यह भाई बहन हैं और उन में निकाह हराम। अगरचे दोनों ने एक वक़्त में दूध पिया हो बल्कि दोनों में बरसों का फ़ासला हो अगरचे एक के वक़्त में एक शोहर का दूध था और दूसरे के वक़्त में दूसरे का। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:**- जिस औरत से ज़िना किया और बच्चा पैदा हुआ। उस औरत का दूध जिस लड़की ने पिया वह ज़ानी पर हराम है।

**मसला:**- पानी या दवा में औरत का दूध मिला कर पिलाया तो अगर दूध ग़ालिब है या बराबर तो रिज़ाअ़ साबित है मग़लूब है तो नहीं। यूंही अगर बकरी वग़ैरह किसी जानवर के दूध में मिलकार दिया तो यह दूध ग़ालिब है रिज़ाअ़ नहीं वरना है।

Scanned by CamScanner

**मसला:-** औरतों को चाहिए कि बिला ज़रूरत हर बच्चे को दूध न पिला दिया करें। और पिलायें तो खूद भी याद रखें और लोगों से यह बात कह भी दें। औरत को बग़ैर इजाज़त शौहर किसी बच्चे को दूध पिलाना मकरूह है अलबत्ता अगर उसके हलाक का अन्देशा है तो कराहत नहीं। (रददुलमुहतार) मगर मीयाद के अन्दर रिज़ाअत बहर सूरत साबित हो जायेगी।

**मसला:-** बच्चे को दो बरस तक दूध पिलाया जाये उससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दूध पीने वाला बच्चा, लड़का हो लड़की और यह जो बाज़ अवाम में मशहूर है कि लड़की को दो बरस तक और लड़के को ढाई बरस तक पिला सकते हैं। यह सही नहीं। यह हुक्म दूध पिलाने का है और निकाह हराम होने के लिए ढाई बरस ज़माना है यानी दो बरस के बाद अगरचे दूध पिलाना हराम है। मगर ढाई बरस के अन्दर अगर दूध पिला देगी हुरमत निकाह साबित हो जायेगी। और उसके बाद अगर पिया तो हुरमत निकाह साबित न होगी अगरचे पिलाना जायज़ नहीं।

**मसला:-** मुद्दत पुरी होने के बाद बतौर इलाज भी दूध पीना या पिलाना जायज़ नहीं (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:-** दो बरस के अन्दर बच्चे का बाप उसकी मां को दूध छुड़ाने पर मज़बूर नहीं कर सकता और उसके बाद कर सकता है। (रददुलमुहतार)

# निकाह में विलायत और वकालत

इस्लाम से पहले कहीं तो औरत को अनाज ग़ल्ला रुपया पैसा की तरह तसर्रुफ में लाने का रिवाज था और कहीं औरत को बे रूह

Scanned by CamScanner

बताया जाता था और अब भी कहीं उसे मुजस्सिम शैतान से ताबीर किया जाता है और कहीं सिर्फ़ अग़राज़ शहवानी का आला क़रार दिया जाता है। ग़र्ज़ कि कहीं और किसी तरह औरत की शखसीयत, उसकी ज़ेहनीयत और उसके हक़ूक़ का ज़र्रा बराबर भी पास व लिहाज़ नहीं रखा गया है यह सिर्फ़ इस्लाम है जिसने सारी दुनिया से उस ज़ुल्म व तशद्दूद को जड़ से उखाड़ा और बेटी बहन और बीबी, मां की हैसियत से उभारा और हर हैसियत में उसके हक़ूक़ की निगरानी फ़रमाई। उसे अखतियारात दिये और उन अखतियारात को काम में लाने का हौसला बख्शा। यहां तक कि उसे अपनी अज़दवाज़ी ज़िन्दगी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ गुज़र बसर करने की इज़ाजत दी बशर्ते कि वह अक़्ल व शऊर से बहरा वर हो बचपन की हदूद से गुज़र कर बलूग़ तक पहुंच चुकी हो और कोई ऐसा काम न करे जो उसके खानदान के लिए बेइज्ज़ती और बदनामी का बाइस हो।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत अक़दस में एक जवान लड़की हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि उसके बाप ने निकाह कर दिया और वह उस निकाह को नापसन्द करती है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अख़तियार दिया यानी चाहे तो उस निकाह को जायज़ कर दे या रद्द कर दे। (अबूदाऊद) और मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "सय्यिब" (वह औरत जो कुंवारी न हो) वली से ज़्यादा अपने नफ़्स की हक़दार है और बिक्र (कुंवारी) से इजाज़त ली जाये और चुप रहना भी उसका इज़्न (इजाज़त) है।

# फ़िक़ही मसाइल

**मसला:**– वली वह है जिसका क़ौल दूसरे पर नाफ़िज़ हो (यानी जिस का हुक्म दूसरे पर चले) दूसरा चाहे या न चाहे और क़राबत की वजह से वली वह मर्द है जिसको उससे क़राबत व रिश्ता, किसी औरत की वसातत से न हो। या यह कि उस खानदान में सब से ज़्यादा कुरबत का रिश्तेदार जो मर्द हो वह वली है। (आमए कुतुब)

**मसला:**– वली किसी के बनाने का नहीं होता बल्कि वह शरीअत मुतह्हरा ने तरतीब वार मुकर्रर किये हैं और यहां वलायत की वही तरतीब मोतबर है जो विरासत में मोतबर है। मसलन सब में पहला वली बेटा है। फिर बाप, फिर दादा, फिर सगा भाई, फिर सौतेला, फिर सगा भतीजा, फिर सौतेला, फिर सगा चचा, फिर सगे चचा का बेटा, फिर सौतेले का। व अला हाज़ा अलक़यास दादा, परदादा की औलाद का जो मर्द आक़िल बालिग़ क़रीब तर होगा वही वली है और उनमें कोई न हो तो फिर मां वली है। फिर दादी फिर नानी, फिर उनके बाद और दूसरे लोग। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला:**– वली का आक़िल बालिग़ होना शर्त है और मुसलमान के वली का मुसलमान होना भी शर्त है कि काफ़िर का मुसलमान पर कोई अख़तियार नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

**मसला:**– औरत बालिग़ आक़िला का निकाह बग़ैर उसकी इजाज़त के कोई नहीं कर सकता न बाप न कोई और कुंवारी हो या बियाही। यूंही मर्द आक़िल बालिग़ आज़ाद का निकाह उसकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ कोई नहीं कर सकता। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:**– कुंवारी औरत से उसके वली या वली के वकील या

Scanned by CamScanner

कासिद ने इज़्न मांगा या वली ने बिला इजाज़त लिए, निकाह कर दिया और अब औरत को उसकी खबर दी गई और औरत खामोश रही या हंसी या मुस्कुराई या बग़ैर आवाज़ के रोई तो इन सब सूरतों में इज़्न समझा जायेगा कि पहली सूरत में निकाह कर देने की इजाज़त है और दूसरी सूरत में निकाह किया हुआ मंजूर है। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:–** इज़्न तलब करते वक़्त उसने सुन कर कुछ जवाब न दिया इसलिए कि उसे खांसी या छींक आ गई या किसी ने उसका मुंह बन्द कर दिया कि बोल न सकी तो इन सूरतों में वह चुप रहना इजाज़त नहीं उसके बाद वह रद्द कर सकती है और हंसना अगर बतौर मज़ाक़ उड़ाने के हो या रोना आवाज़ से हो तो इज़्न नहीं। (आलमगीरी)

**मसला:–** औरत से क़ब्ल निकाह इज़्न लेने गये उसने कहा किसी और से होता तो बेहतर था तो यह इन्कार है और अगर निकाह के बाद खबर दी गई और औरत ने वही लफ़्ज़ कहे तो समझा जायेगा कि उसे यह निकाह क़ुबूल है। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:–** इज़्न लेने में यह ज़रूरी है कि जिससे निक़ाह करना हो उसका नाम इस तरह लिया जाये कि वह औरत उस मर्द को पहचान सके और बेहतर है कि इज़्न लेते वक़्त मेहर का भी ज़िक्र कर दिया जाये। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:–** इजाज़त जिस तरह क़ौल से होती है। मसलन औरत, खबर निकाह सुन कर कहे मैंने जायज़ किया या इजाज़त दी या राज़ी हुई, या मुझे क़ुबूल है। या अच्छा किया या खुदा मुबारक करे वग़ैरह अल्फ़ाज़ रज़ा मन्दी समझी जाये मसलन औरत मुबारक बाद ले या खबर निकाह सुन कर खुशी से हंसे या

Scanned by CamScanner

मुस्कुराये वग़ैरह वग़ैरह। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसला:**– नाबालिग़ लड़के और लड़की के निकाह के लिए वली शर्त है बग़ैर वली उनका निकाह नहीं हो सकता। और आकिल बालिग़ा ने वली की इजाज़त के बग़ैर बतौर खुद अपना निकाह खुफ़िया ख़्वाह एलानिया कर लिया तो उसके मुनअक़द और सही होने के लिए यह शर्त है कि शौहर उसका कफ़ु हो यानी मज़हब या नसब पैसे या माल या चाल चलन में औरत से इतना कम न हो कि उसके साथ उसका निकाह हो जाना, औरत के अहले खानदान और औलिया के लिए तंग व आर और बदनामी का बाइस हो। अगर ऐसा है तो वह निकाह न होगा। हां औरत ने बशर्ते कि अक़्ल से बहरा वर और बालिग़ा हो अपने कफ़ु में औलिया से इजाज़त लिये बग़ैर निकाह कर लिया तो निकाह सही हो गया। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

**मसला:**– नाबालिग़ा का इंकार व इक़रार कोई चीज़ नहीं। उनके हक़ में मसनून तरीक़ा यह है कि औलिया खुद ईजाब व कुबूल करे या उनकी इजाज़त से उनके वकील ना बालिग़ों से ईजाब व कुबूल कहलवाने की ज़रूरत नहीं अगरचे वह बात समझते और अल्फ़ाज़ व मायने क़स्द कर सकते हों। ताहम अगर वली की इजाज़त से हो तो नाफ़िज़ भी है वरना इजाज़त वली पर मौक़ूफ़ है जबकि कोई मानेअ शरई न हो। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसला:**– नाबालिग़ लड़का और लड़की अगरचे सैय्यिब हो उनके निकाह पर उनके वली को वलायत इजबार हासलि है यानी अगरचे लोग न चाहें वली ने जब निकाह करा दिया हो गया फिर अगर बाप दादा ने निकाह कर दिया तो अगरचे मेहर मिस्ल से बहुत कम या ज़्यादा पर किया या ग़ैर कफ़ु से किया जब भी हो जायेगा बल्कि लाज़िम

Scanned by CamScanner

हो जायेगा कि उनको नाबालिग़ होने के बाद उस निकाह के तोड़ने का अखतियार नहीं और अगर बाप दादा के सिवा किसी और ने किया है और ग़ैर कफ़ु मेहर मिस्ल में ज़्यादा कमी बेशी के साथ हो तो मतलक़न सही नहीं और अगर कफ़ु से मेहर मिस्ल के किया गया है तो सही है मगर बालिग़ होने के बाद फ़सख़ का अखतियार होगा अगरचे ख़िलवत बल्कि वती हो चुकी हो। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

**मसला:-** जिन सूरतों में बालिग़ होने के बाद औरत को निकाह फ़सख़ करने का अखतियार है वहां यह बात ज़रूरी है कि औरत जिस वक़्त बालिग़ हुई उसी वक़्त किसी को गवाह बनाए कि मैं अभी बालिग़ हुई और अपने नफ़्स को अखतियार करती हूं और रात में अगर उसे हैज़ आया तो उसी वक़्त अपने नफ़्स को अखतियार कर ले और सुबह को गवाहों के सामने अपना बालिग़ होना और अखतियार करना बयान करे मगर यह न कहे कि रात को बालिग़ हुई बल्कि यह कहे मैं इस वक़्त बालिग़ हुई और अपने नफ़्स को अखतियार किया और इस लफ़्ज़ से यह मुराद ले कि मैं इस वक़्त बालिग़ हूं ताकि झूठ न हो। (बज़ाज़िया वग़ैरह)

**मसला:-** औरत को यह मालूम न था कि उसे ख्यार बलूग़ हासिल है इस बिना पर उसने इस पर अमल दरआमद न किया। अब उसे यह मसला मालूम हो तो अब कुछ नहीं कर सकती कि उसके लिए जहल उज़्र नहीं कि न मालूम करना और न सीखना खुद उस का क़सूर है। लिहाज़ा माअज़ूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह) औरतें इन मसाइल को ज़ेहन नशीन कर लें।

**मसला:-** लड़की कम अज़ कम नौ बरस में और ज़्यादा से ज़्यादा पन्द्रह बरस की उम्र में बालिग़ होती है बीच में जब आसार बलूग़

ज़ाहिर हों वे बालिग़ है वरना पन्द्रह साल पूरे होने पर उसके बालिग़ होने का हुक्म दे दिया जायेगा। अगरचे आसार बलूग़ कुछ ज़ाहिर न हों। (आमए कुतुब)

**मसलाः**- निकाह के लिए वकील किसी तरफ का ज़रूरी नहीं। और दोनों तरफ से भी हो सकते हैं और एक तरफ़ से भी जिधर से चाहें।

# कुफ़ु का बयान

नोअे इन्सानी की जितनी कौमें या नस्लें दुनिया में पाई जाती हैं दरअसल एक इब्तिदाई नस्ल की शाखें हैं जो एक मां और एक बाप से शुरू हुई थीं। इसके बावजूद नोअे इन्सानी का कौमों क़बीलों और कुन्बों में तक़सीम हो जाना एक फ़ितरी अमर था। ज़ाहिर है कि पूरे रूए ज़मीन पर सारे इन्सानों का एक खानदान तो नहीं हो सकता था नस्ल बढ़ाने के साथ बे शुमार खानदानों और फिर खानदानों से कबीलों और कुंबों का वजूद में आना लाज़िमी अमर था। इस तरह ज़मीन के मुखतलिफ़ खित्तों में आबाद होने के बाद रंग, ख़द व ख़ाल, ज़बान और तर्ज़ रिहाइश के एतबार से लामहाला उन्हें एक दूसरे से मुखतलिफ होना ही था और एक खित्ते के रहने वालों को उनसे दूर तर रहना ही था ताकि जो एक दूसरे के क़रीब हैं वे एक दूसरे के रफ़ीक़ कार और मुआविन व मददगार हों और एक खानदान, एक बिरादरी, एक क़बीले और एक कौम के लोग मिल कर मुशतरिक माअशरा क़ायम रखें ताकि एक दूसरे के साथी एक दूसरे के बही ख़्वाह और हमदर्द बन कर रहें शादी ब्याह में भी उस हक़ीक़त को मोतबर माना गया और क़बीलों और कुन्बों में बाहमी

Scanned by CamScanner

रवादारी की बक़ा की खातिर मर्द व औरत में निकाह के वक़्त इस का लिहाज़ रखा गया। शरीअत की ज़बान में इसी को कफ़ु कहते हैं। निकाह को हर पहलू से मुकम्मल करने के लिए शरीअत ने कफ़ू का भी लिहाज़ किया है।

कफ़ाअत में यही रूह कार फ़रमा है कि आइली ज़िन्दगी की बुनियाद ऐसे उमूर पर रखी जाये जिससे खानदान और घराना आबाद और [illegible] काम रहे। अन मेल और बे जोड़ शादियां, अमूमन तबाही व ब[illegible]ादी का पेश ख़ेमा साबित होती हैं। फिर ऐसी शादियां, औरतों के असल ज़ेवर हया और शर्म से उन्हें नंगा भी कर देती हैं और यह औरत की जीते जी मौत है।

**मसलाः**– कफ़ाअत में छः चीजों का एतबार है। नसब, इस्लाम, हर्फ़त, हुर्रियत, दयानत, माल, और खुलासा इन सबका यह है कि औरत जिस मर्द से निकाह करना चाहती है वह अपने नसब या मज़हब या चाल चलन या पैसों में इतना कम न हो कि उससे निकाह के बाइस औरत के औलिया को दुनियावी एतबार से तंग व आर और बदनामी व रुसवाई का सामना हो और उनके लिए बाइज़्ज़त तौर पर जीना दो भर हो जाये। बल्कि खुद उसके हक़ में उस का शौहर वबाले जान बन जाये।

**मसलाः**– दयानत या दीनदारी में कफ़ु होने का मतलब यह है कि एक दीनदार, खुदा तरस मुसलमान का कफ़ु वह फ़ासिक़ फ़ाजिर नहीं हो सकता। जिस का फ़सक़ व फ़जूर, उस दीनदार के लिए रुसवाई व ज़िल्लत का मोजब हो अगरचे उस दीनदार की लड़की खुद मुत्तक़ीया न हो। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

**तम्बीहः**– ज़ाहिर है कि फ़सक़ एतक़ादी (बद दीनी मज़हबी)

Scanned by CamScanner

फिसक अमली यानी बदचलनी से बदरजा बदतर है लिहाज़ा सुन्नी औरत का कफु वह मज़हब नहीं हो सकता। जिसकी मज़हबी हद कुफ्र तक पहुंची हो और जो बद मज़हब ऐसे हैं कि उनकी मज़हबी हद कुफ्र तक पहुंची हो उनसे तो निकाह हो ही नहीं सकता कि वह मुसलमान ही नहीं कफु होना तो बड़ी बात है जैसे रवाफिज़ वहाबिया ज़माना कि इनके अकाएद व अकवाल ने इन्हें इस्लामी बिरादरी में रहने के काबिल ही न रखा।

कुरआन करीम ने इस बाब में दो टोक फैसला यह दिया कि-

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ. الاية

और शिर्क वाली औरतों से निकाह न करो जब तक मुसलमान न हो जायें और बेशक मुसलमान लौंडी मुश्रिका से अच्छी है अगरचे वह तुम्हें भाती हो और औरतों को मुशरिकों के निकाह में न दो जबतक वह ईमान न लायें और बेशक मुसलमान गुलाम मुशरिक से अच्छा है अगरचे वह तुम्हें भाता हो। वे दोजख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है अपने हुक्म से और अपनी आयतें लोगों के लिए बयान करता है कि कहीं वे नसीहत मानें।''

मुश्रिकीन के साथ शादी ब्याह की मुमानिअत की इल्लत व हिक्मत यह है कि यह लोग मुसलमानों को ख़्वाह मर्द हों या औरत इन आमाल और इन अकायद की तरफ, उस तरीका ज़िन्दगी की तरफ बुलाते और उस बूद व बाश की तरफ आमादा करते हैं जो जहन्नुम की तरफ ले जाने वाले हैं और यह इल्लत जिस तरह गैर मुसलमानों, काफिरों, मुश्रिकों में पाई जाती हैं इसी तरह उन मुरतदीन में भी बदर्जा अतम पाई जाती है जो कलिमा पढ़ कर, ज़रूरीयात दीनिया

में से किसी ज़रूरी दीनी का इंकार करते हैं तो उनके आमाल व अक़ायद बइयना काफ़िरों मुशरिकों के आमाल व अक़ायद हैं।

हम पहले बता चुके हैं कि औरत मर्द के दरमियान निकाह का ताल्लुक महज़ एक शहवानी और जिन्सी ख़्वाहिशात की तकमील का ताल्लुक़ नहीं बल्कि वह एक गहरा तमददुनी अखलाक़ी और क़ल्बी ताल्लुक़ है। इंतहाई उल्फ़त व रफ़क़ का ताल्लुक़ है और कुरआन करीम गवाह है कि ज़िना शोई वह अज़ीम रिश्ता है कि ख़्वाही नख़्वाही बाहम उन्स व मुहब्बत और उल्फ़त व रफ़अत पैदा करता है और हदीस शाहिद है कि औरत के दिल में जो बात शौहर की होती है किसी की नहीं होती। (इब्न माजा व हाकिम) तो जहां इस अम्र का इमकान है कि काफ़िरों मुर्तदों और बद दीनों से शादी बियाह के मरासिम एक दूसरे के तर्ज़े ज़िन्दगी और अक़ायद आमाल पर असर डलेंगे वहीं इस अम्र का भी इमकान है कि ऐसे ताल्लुक़ात से उनके खानदान और नस्ल भी मुतास्सिर हो और ग़ालिब इमकान इस अम्र का है कि ऐसे ताल्लुक़ात ज़िना शोई से, अकायद अमाल की एक एक ऐसी माजून मुरक्कब उस घर और उस खानदान में परवरिश पायेगी जिसे ग़ैर मुस्लिम ख़्वाह कितना ही पसन्द करें मग़र इस्लाम किसी तरह पसन्द करने को तैयार नहीं जो शख्स सही मायने में साहिबे ईमान हो वह महज़ अपने जज़बात में कुफ्र व इर्तदाद और बे दीनी व बद मज़हबी परवान चढ़े और अगर बिलफ़र्ज़ एक फ़र्द मोमिन किसी बुनियाद पर उसमें मुब्तला भी हो जाये तब भी उसके ईमान का तक़ाज़ा यही होना चाहिए कि वह अपने खानदान अपनी नस्ल और खुदा अपने दीन व अखलाक़, और अकायद व आमाल पर अपने शख्सी जज़बात को कुर्बान कर दे। ऐसे बे जोड़, जोड़े अक़ायद व आमाल और दीन

Scanned by CamScanner

व अखलाक़ की तबाही और खानदान व नस्ल की बरबादी का मोजिब भी होते हैं और वबाल आखिरत और रुसवाई व रुसियाही का बाइस भी।

**मसलाः-** बालिग़ खुद अपना निकाह करना चाहे तो कफ़ु औरत से कर सकता है कि औरत की जानिब से इस सूरत में कफ़ाअत मोतबर नहीं। चुनांचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ि अल्लाह तआला अन्हु ने शहर बानो से जो परवेज़ बादशाह ईरान की पोती थी शादी की और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़िअल्लाहु तआला अन्हु के अहद में ईमान लायीं और नाबालिग़ में दोनों तरफ़ से कफ़ु होने का एतबार है। (रददुलमुहतार)

**मसलाः-** माल में कफ़ाअत के मायने हैं कि मर्द के पास इतना माल हो कि मेहर मोअज्जल और नफ़्क़ा देने पर क़ादिर हो तो एक ऐसा शख़्स जो अदाए नान नफ़्क़ा पर क़ादिर न हो ग़नी का कफ़ु नहीं हो सकता। हां उसकी ज़रूरत नहीं कि माल में यह उसके बराबर हो। (खानिया)

**मसलाः-** जिन लोगों के पेशे ज़लील समझते जाते हैं वह अच्छे पेशे वालों के कफ़ु नहीं हो सकते। मसलन जूता बनाने वाले (मोची) चमड़ा पकाने वाले साईस चरवाहे, यह बज़्ज़ाज इतर फ़रोश वग़ैरह ताजिरों के जिनका पेशा दुनियावी एतबार से शरीफ़ पेशा माना जाता है। कफ़ु नहीं हो सकते। (रददुलमुहतार)

## ६. औरत का हक़े मेहर

कुरआन करीम में मेहर का मुखतलिफ़ इबारतों और असलूबों में ज़िक्र, और मेहर की बार बार ताकीद से यह बात वाज़ेह हो जाती

Scanned by CamScanner

है कि शरीअत इस्लामी में औरतों के हक़ का किस दर्जा एहतमाम फ़रमाया गया है। जिन्सी ख़्वाहिशात की तकमील के लिए मर्द को छोटी बड़ी रक़म तो ख़र्च करनी ही होती है ख़्वाह यह तकमील हदूद शरीअत में रहते हुए बसूरत निकाह हो या हदूद व शहर से तजावुज़ करके बसूरत ज़िना हो। फ़र्क़ यह है कि निकाह से ज़िन्दगी, उसूली ज़िन्दगी बन कर इन्सानों की तरह मुक़य्यद व पाबन्द हो जाती है। वरना बसूरत दीगर इंसान वहशी जानवरों की तरह छूटा रहता है।

वह रक़म मोअय्यन जिस का अदा करना, अज़ रूए शरीअत, शौहर पर वाजिब हो इसतिलाह शरअ में उसे मेहर कहते हैं। और शरीअते इस्लामिया ने मेहर का इलतज़ाम उस हद तक किया है कि अगर निकाह में मेहर का ज़िक्र ही न हो या उस की मिक़दार मुक़र्रर न की गई हो या नफ़ी कर दी गई है और उस नफ़ी पर मर्द औरत दोनों राज़ी हों कि निकाह बिल मेहर कुबूल किया तो इस सूरत में भी मेहर वाजिब क़रार पायेगा।

**मसला:**- मेहर की मिक़दार कम अज़ कम दस दिरहम है और ज़्यादा की कोई हद नहीं जिस क़द्र बांधा जायेगा लाज़िम आयेगा। दिरहम चान्दी का एक सिक्का था अब राईज नहीं। इस दिरहम की मिक़दार, वज़न के एतबार से तक़रीबन दो रुपये तेरह आना भर या दो तौला सात माशा चार रत्ती चान्दी है। जिसकी क़ीमत घटती रहती है। रुपयों की सूरत में मेहर मुक़र्रर करें तो इसका ख़्याल ज़रूर रखें कि यह रक़म दस दिरहम चान्दी की क़ीमत से कम न हो। (फ़तावा रिज़वियह वग़ैरह)

**मसला:**- वती या ख़िलवते सहीहा या ज़न व शौहर में से किसी की मौत की सूरत में मेहर मोवक्किदा हो जाता है यानी शौहर पर

पूरा मेहर लाज़िम आता है कि जो मेहर मुकर्रर है अब उस में कोई कमी नहीं हो सकती। हां अगर साहब हक़ ने मेहर या उसका कोई हिस्सा माफ़ कर दिया तो माफ़ हो जायेगा और मेहर मोवक्किदा न हुआ था। मसलन औरत की रुखसती अमल में न आई थी या ख़िलतव सहीहा न पाई गई और शौहर ने तलाक़ दे दी तो निस्फ़ मेहर वाजिब होगा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

**मसला:–** शिग़ार यानी एक शख़्स ने अपनी लड़की या बहन का निकाह दूसरे से कर दिया और दूसरे ने अपनी लड़की या बहन का निकाह उससे कर दिया और हर एक का मेहर दूसरा निकाह है तो ऐसा करना गुनाह व मना है और मेहर मिस्ल वाजिब होगा। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:–** निकाह में मेहर का ज़िक्र ही न हुआ या मेहर की नफ़ी कर दी कि बिला मेहर निकाह किया तो निकाह हो जायेगा। और अगर ख़िलवत सहीहा हो गई या दोनों में कोई मर गया तो मेहर मिस्ल वाजिब है बशर्ते कि बाद अक़्द आपस में कोई मेहर तय न पाया गया हो वरना यही तय शुदा मेहर है। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला:–** औरत नाबालिग़ है और उसका बाप मेहर माफ़ करना चाहता है तो नहीं कर सकता है और बालिग़ है तो उसकी इजाज़त पर माफ़ी मोकूफ़ है। (रददुलमुहतार)

**मसला:–** ख़िलवते सहीहा यह है कि निकाह के बाद औरत और मर्द तन्हाई में जमा हों और कोई चीज़ ज़िमाअ से मानेअ हो तो यह ख़िलवत भी जिमाअ ही के हुक्म में है और अगर दोनों एक जगह तन्हाई में जमा हुए मगर कोई मानेअ शरई (मसलन औरत का हैज़ मर्द का बीमार होना या उनमें से किसी का रमज़ान का रोज़ादार

Scanned by CamScanner

होना) या हिस्सी (मसलन मर्द का बीमार होना या औरत के उस हद तक बीमारी में मुबतला होना कि वती से ज़रर का सही अंदेशा है) या मानेअ तबई (कि वहां कोई तीसरा मौजूद है ग़र्ज़ उनमें से कोई मानेअ) पाया जाता है तो यह ख़िलवत फ़ासिदा है। ख़िलवत सहीहा के अहकाम उस पर नाफ़िज़ न होंगे।

**मसला:–** लड़का जो इस क़ाबिल कि वती कर सके अपनी औरत के साथ तनहाई में रहा या ज़ोजा इतनी छोटी लड़की है कि इस क़ाबिल नहीं और उस का शौहर उसके साथ तंहाई में रहा। इन दोनों सूरतों में ख़िलवते सहीहा न हुई। (आलमगीरी)

**मसला:–** औरत के खानदान की उस जैसी औरत का (कि उमर, जमाल अक़्ल तमीज़, दयानत या पारसाई इल्म व अदब और कुंवारी या बियाही होने में यकसां हों) जो मेहर हो वह उसके लिए मेहर मिस्ल उसकी बहन, फूफी, चचा की बेटी वग़ैरह का मेहर उसकी मां का मेहर नहीं जबकि वह दूसरे घराने की हो और उसकी मां उसी खानदान की हो मसलन उसके बाप की चचाज़ाद बहन है तो उसका मेहर उसके लिए मिस्ल है। शौहर का हाल भी मलहूज़ होता है। मसलन जवान और बूढ़े के मेहर में इखतलाफ़ होता है शहर और ज़माना का भी लिहाज़ रखा जाता है। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:–** मेहर शरई, जो लोग यह समझ कर बांधते हैं कि सब से कम दर्जे का मेहर जो शरीअत में मुकर्रर है तो इस सूरत में दो तोले सात माशा चार रत्ती चान्दी देनी आयेगी और जो यह समझ कर बांधते हैं कि यह मेहर हज़रत खातूने जन्नत का था तो ढेढ़ सौ तौ़ले चान्दी आयेगी और जिसकी समझ में कुछ नहीं खाली एक लफ़्ज़ बोल देते हैं तो वहां मेहर मिस्ल लाज़िम आता है। (फ़तावा रिज़वियह)

Scanned by CamScanner

# मेहर की क़िस्में

**मसलाः-** मेहर तीन क़िस्म पर है। मोअजल कि रुख़सत से पहले देना क़रार पा लिया हो। उसके लिए औरत को अख़्तियार है जब तक वसूल न कर ले रुखसत न हो और अगर रुखसत हो गई तो उसे अब भी अखतियार है कि जब चाहे मुतालबा करे बल्कि मेहर मोअजल वसूल करने के लिए औरत अपने को शौहर से रोक सकती है अगरचे उससे पेशतर औरत की रज़ा मन्दी से खिलवत व वती हो चुकी हो। यानी यह हक़ औरत को हमेशा हासिल है जब तक वसूल न करले। दूसरा मुअज्जल जिसकी मीयाद क़रार पाई हो कि दस बरस या बीस बरस या पांच दिन के बाद अदा किया जायेगा तो जब तक वह मीयाद न गुज़रे औरत को मुतालबा का अख़्तियार नहीं मीयाद गुज़रने के बाद हर मुतालबा कर सकती है।

तीसरा मोखर कि न पेशगी की शर्त ठहरी हो न कोई मीयाद मोअय्यन की गई हो, यूंही मुतलक़ व मुबहम तौर पर बांधा हो जैसा कि आज कल आम तौर पर यूं ही बांधते हैं उसमें मौत या तलाक़ जब तक न हो औरत को मुतालबा का हक़ नहीं। (फ़तावा रिज़वियह, आलमगीरी वग़ैरह) और यह जो अवाम में मशहूर है कि मेहर अदा किये बग़ैर, औरत को हाथ लगाना हराम है महज़ ग़लत है।

# चन्द मुतफ़र्रिक़ मसाइल

१. जिस लड़की से मंगनी हुई उसके पास लड़के के यहां से मिठाई शकर और मेवे वग़ैरह आयें फिर किसी वजह से निकाह न हुआ तो अगर ये चीज़ें तक़सीम हो गई और भेजने वाले ने तक़सीम की इजाज़त

भी दे दी थी तो वापस नहीं ले सकता। (आलमगीरी) तक़सीम की इजाज़त सराहतन हो या उरफ़न मसलन इन बलाद में ऐसे मौक़ों पर ऐसी चीज़ें इसी लिए भेजते हैं कि लड़की वाला अपने कुन्बा और रिश्तेदारों में बांटेगा। यह चीज़ें इस लिए नहीं होतीं कि रख लेगा या खूद खा जायेगा। (बहारे शरीअत)

२. लड़की वालों ने निकाह या रुख़्सती के वक़्त शौहर से कुछ लिया हो यानी बग़ैर लिये निकाह या रुख़्सत से इंकार करते हों और शौहर ने देकर निकाह या रुख़्सत कराई तो शौहर उस चीज़ को वापस ले सकता है और वह न रही तो उसकी क़ीमत ले सकता है कि यह रिशवत है। (बहारे शरीअत वग़ैरह) और रुख़सत के वक़्त जो कपड़े भेजे अगर बतौर तमलीक हैं (कि वह चीज़ें लड़की वालों की मिल्क में दे दें) जैसे हिन्दुस्तान में अमूमन रिवाज है कि डाल बरी जोड़े भेजे जाते हैं अगर उर्फ यही है कि लड़की को मालिक कर देते हैं तो उन्हें वापिस नहीं ले सकता और तमलीक न हो तो ले सकता है। (आलमगीरी)

३. लड़की ने मां बाप के माल और अपनी दस्त कारी सें कोई चीज़ दहेज के लिए तैयार की और उसकी मां मर गई बाप ने वह चीज़ दहेज में देदी तो उसके भाईयों को यह हक़ नहीं पहुंचता कि उस चीज़ में मां की तरफ़ से मीरास का दावा करें। यूंही उसका बाप जो कपड़े लाता रहा उसमें से वह अपने दहेज के लिए बनाकर रखती रही और बहुत कुछ जमा कर लिया और बाप मर गया तो यह असबाब सब लड़की का है। (आलमगीरी)

४. शादी वग़ैरह तमाम तक़रीबात में तरह तरह की चीज़ें भेजी जाती हैं उसके मुताबिक़ इन इलाक़ों में मुखतलिफ़ किस्म की रस्में

हैं हर शहर में और हर कौम में जुदा जुदा रसूम हैं। उनके मुताबिक् हदया और हिबा का हुक्म है या कर्ज़ का। अमूमन रिवाज से जो बात साबित होती है वह यह है कि देने वाले ये चीज़ें बतौर कर्ज़ देते हैं उसी वजह से शादियों में और हर तक्रीब में जब रुपये दिये जाते हैं तो हर शख़्स का नाम और रक्म तहरीर कर लेते हैं जब देने वाले के यहां तक्रीब होती है तो यह शख़्स जिसके यहां दिया जा चुका है फ़ेहरिस्त निकालता है और इतने रुपये ज़रूर देता है जो उसने दिये थे और उसके ख़िलाफ़ करने में सख़्त बदनामी होती है और मौक़ा पाकर कहते भी हैं कि न्यौता का रुपया नहीं दिया अगर यह कर्ज़ न समझते तो ऐसा उर्फ़ न होता जो इन इलाकों में है। (बहारे शरीअत)

५. कोई औरत इद्दत में थी उसे खर्च देता रहा इस उम्मीद पर कि बाद इद्दत उससे निकाह करेगा। अगर निकाह हो गया तो जो कुछ खर्च किया है वापस नहीं ले सकता और औरत ने निकाह से इंकार कर दिया तो जो कुछ उसे बतौर तमलीक दिया है वापस ले सकता है और जो बतौर अबाहत दिया है। (कि उस की मिलकियत में दिए बग़ैर उसके बरतन या काम में लाने और ज़रूरत पूरी करने को दिया) मसलन उसके यहां खाना खाती रही हो यह वापस नहीं ले सकता है। (बहारे शरीअत)

६. जिस मर्द की दो या तीन या चार औरतें हों उस पर अदल फ़र्ज़ है। यानी जो चीज़ें अखतियारी हों उन में सब औरतों का यकसां लिहाज़ करे यानी हर एक को उसका पूरा हक् अदा करे। पोशाक और नान नफ़्क़ा और रहने सहने में सब के हकूक पूरे अदा करे हदीस शरीफ़ में है कि जिस की दो औरतें हों अगर उन दोनों में

Scanned by CamScanner

अदल न करेगा तो कियामत के दिन हाज़िर होगा इस तरह पर कि उसका आधा धड़ साकित (बिकार) होगा। (तिर्मिज़ी) और जो बात उसके अखतियार की नहीं उसमें मजबूरन माजूर है। मसलन एक की ज़्यादा मुहब्बत है दूसरी की कम। यूंही जिमाअ सब के साथ बराबर होना भी ज़रूरी नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

७. एक ही बीवी है मगर मर्द उसके पास नहीं रहता बल्कि नमाज़ रोज़ा में मशगूल रहता है तो औरत शौहर से मुतालबा कर सकती है हुक्म दिया जायेगा कि औरत के पास भी रहा करे कि हदीस में फ़रमाया तेरी बीवी का तुझ पर हक़ है। रोज़मर्रा शब बेदारी और रोज़े रखने में उसका हक तल्फ़ होता है उसे चाहिए कि औरत का भी लिहाज़ रखे उसके लिए भी कुछ वक़्त दे। (जोहरा नीयरा वग़ैरह)

८. शौहर बनाव सिंगार को कहता है यह नहीं करती (घर में मैली कुचैली परा गन्दा हाल रहती है) या वह अपने पास बुलाता है और यह नहीं आती उस सूरत में शौहर को मारने का भी हक है और नमाज़ नहीं पढ़ती तो तलाक़ दे सकता है। (आलमगीरी)

९. ऐसी औरतें जो आपस में सोत हैं एक ही मकान में रहने पर खुद राज़ी हों तो रह सकती हैं मगर एक के सामने दूसरी से वती न करे। अगर ऐसे मौके पर औरत ने इंकार कर दिया तो नाफ़रमान नहीं करार दी जायेगी। (आलमगीरी)

# तलाक़ का बयान

कुरआन अज़ीम का इरशाद गिरामी है–

وَمِنْ آيٰتِهٖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

Scanned by CamScanner

अल्लाह की निशानियों से है कि उसने तुम्हीं में से तुम्हारे जोड़े बनाये कि तुम उनसे मिल कर चैन पाओ। और तुम्हारे आपस में दोस्ती व मेहर रखी।

इस आयते करीमा में इस्लाम के खानगी निज़ाम और अहल व अयाल के साथ गुज़र बसर के लिए चन्द बातें बतौर उसूल के बायन फ़रमाई गईं हैं –

१. मर्दों को बताया गया कि तुम्हारी बीवीयां ही हम जिन्स मखलूक़ हैं इन्सानियत में तुम्हारी ही तरह हैं तुम्हारी तरह उनकी भी कुछ ख़्वाहिशें कुछ जज़बात और कुछ एहसासात हैं उनकी हैसियत लौंडी बान्दियों की नहीं।

२. औरतों की पैदाईश का मन्शा यह है कि वह मर्दों के लिए राहते क़ल्बी और तस्कीने रूहानी का सरमाया और दिली सुकून का बाइस हों।

३. मर्द अपनी फ़ितरत के तक़ाज़े औरत के पास, और औरत अपनी फ़िरत की मांग मर्द के पास पाये और दोनों एक दूसरे से वाबिस्ता हो कर सुकून व इत्मीनान हासिल करें।

४. मर्द औरत के ताल्लुक़ात की बुनियाद बाहमी मुहब्बत व इखलास और हमदर्दी पर होना चाहिए। उनके अन्दर दो तरफ़ा ऐसी कोशिश व जज़बा और मैलान होना चाहिए कि वह एक दूसरे के खैर ख़्वाह हमदर्द, व ग़म ख़्वार रंज व राहत में शरीक रहें और ज़िन्दगी की मंजधार में अपनी किश्ती एक साथ खींचते रहें।

५. मर्द औरत में एक दूसरे के लिए वह मांग वह प्यास वह इज़तिराब की कैफ़ियत पाई सुकून मयस्सर नहीं आ सकता। जब तक

Scanned by CamScanner

वह एक दूसरे से जुड़ कर और बाहम शीर व शकर हो कर न रहें।

अलग़र्ज़ कुरआन करीम ने इस बाब में सख्त ताकीद की है कि वह अहद पैमान जो ज़न व शौहर के दरमियान शरअी तौर पर वजूद में आये हैं हत्तुलइम्कान क़ायम रखें और मक़दूर भर उन्हें टूटने न दिया जाये।

लेकिन दो तरफ़ा ताल्लुक़ांत में जब हमदर्दी व ग़मख़्वारी बाक़ी न रहे, मुहब्बत व इखलास नापैद हो जाये। वह एक दूसरे के लिए राहत व तस्कीन का सरमाया न बन सकें। हक़ूक़ ज़ोजीयत तल्फ़ होने लगें ग़र्ज़ निभाव मुश्किल हो जाये और दफ़ा शर के लिए अलहदगी के सिवा कोई चारा कार बाक़ी न रहे तो ऐसी सूरत में शरीअत मुतहहरा ने अलहदगी व जुदाई के लिए भी एक निज़ाम, एक क़ानून दिया जिसे उर्फ़ शरीअत में तलाक़ कहा जाता है।

तलाक़ के लफ़ज़ी मानी छोड़ देने के हैं और शरीअत ने उसे एक खास छोड़ने के मायने में इस्तेमाल किया है यानी वह इफ़तराक़ या जुदाई जो ज़न व शौहर के दरमियान वाक़ेअ हो, या यूं कह लें कि निकाह से औरत शौहर की पाबन्द हो जाती है। उस पाबन्दी के उठा देने को तलाक़ कहते हैं।

शरीअत में तलाक़ मुबाह है मगर अबग़ज़ु लमुबाहात यानी तमाम हलाल चीज़ों में ख़ुदा के नज़दीक ज़्यादा ना पसन्दीदा। इसलिए शरीअत ने इस निज़ाम पर भी चंद पाबंदियां आयद कर दी हैं जिन की वजह से तलाक़ की इजाज़त का इस्तेमाल महज़ वक़्ती और हंगामी असरात का नतीजा न हो।

तलाक़ का वजूद खास खास दुशवारियों के हल के लिए ज़रूरी है और उस वक़्त तलाक़ की ज़रूरत ऐसी ही हो जाती है जैसे किसी

हिस्सा जिस्म में ज़हरीला मादा पैदा हो जाने के बाइस उस का जिस्म इंसानी से बज़रिया क़तअ व बरीद जुदा करना ज़रूरी हो जाता है अगरचे अज़ू काटना बहरहाल ना पसन्दीदा समझा जाए।

तलाक़ देने वाले को शरीअत मुतहहरा पहले समझाती है कि अब वह एक ऐसे खतरनाक फ़ेअल का इक़दाम करने लगा है जो अल्लाह तआला को नापसन्दीदा भी है और मबगूज़ भी लिहाज़ा जब तक यह मुसल्लम न हो जाये कि सिर्फ़ सही एक सूरत, मर्द के बक़ा व सेहत और हिफ़ाज़त इज़्ज़त व ईमान की रह गई है उस वक़्त तक उस पर अमल नहीं करना चाहिए। क़ुरआन करीम ने इसके लिए चन्द तफ़्सीली अहकाम दिये।

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"और अगर वह औरतें तुम्हें नापसन्द हों तो अजब किया कि एक चीज़ तुम्हें पसन्द न हो और अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी है। मतलब यह है कि अगर औरत में कोई ऐसा नुक़्स मौजूद हो जिसकी बिना पर वह शौहर को पसन्द न आये तो भी यह मुनासिब नहीं कि शौहर फ़ौरन दिल बरदाश्ता हो कर उसे छोड़ने पर आमादा हो जाये। बसा औक़ात ऐसा होता है कि औरत में बहुत सी खूबियों पर खूबियों ऐसी होती हैं जो अज़दवाजी ज़िन्दगी और गृहस्ती में बड़ी अहमियत रखती हैं कि अगर उसे अपनी इन खूबीयां के इज़हार का मौक़ा मिले तो शौहर पर खुद यह बात अयां हो जायेगी कि उसकी बीवी में बुराईयों के मुक़ाबले में ख़ूबियां कहीं ज़्यादा पाई जाती हैं। लिहाज़ा यह बात पसन्दीदा नहीं कि आदमी अज़दवाजी ताल्लुक़ को

Scanned by CamScanner

मुनक़तअ करने में जल्द बाज़ी से काम ले तलाक़ बिल्कुल आख़िरी चाराकार है जिसको बदरजा मजबूरी काम में लाना चाहिए।

२. इसी सूरः निसा में फ़रमाया :-

"وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا" الآيه

"और अगर कोई औरत अपने शौहर की ज़्यादती या बे रग़बती का अन्देशा करे तो उन पर गुनाह नहीं कि आपस में सुलह कर लें और सुलह खूब है।"

यानी एक औरत अगर अपने शौहर को फिरा हुआ देखे कि उससे एलाहदह रहता है या खाने पीने को नहीं देता या नान नफ़क़ा में कमी करता है। या मारता या बदज़बानी से पेश आता है और उससे दूर दूर रहता है तो तलाक़ व जुदाई अखतियार करने से यह बात कहीं बेहतर है कि औरत अपने हुकूक़ का कोई हिस्सा, शौहर पर माफ़ कर दे उसे खुश करने के लिए अपने हक़ में से कुछ छोड़ दे। मसलन अपने मेहर माफ़ कर दे या उसमें कमी कर दे। अपनी बारी का दिन दूसरी बीवी को दे दे। अपने मसारिफ़ का बार हल्का कर दे और इस तरह बाहमी मसालिहत और मेल मिलाप के बाद औरत उस शौहर के साथ रहे जिसके साथ वह उम्र का एक हिस्सा गुज़ार चुकी है।

अज़दवाजी ताल्लुकात में तलख़ी दूर करने के लिए यह एक ऐसा नुसखा है जिसे शरीअत मुतहहरा ने औरत के अख़तियार व तसर्रुफ़ में दिया।

३. बीवीयां अगर नाशाइसता, नाफ़रमान और हुकूक़ शौहर से ला परवाह हों जिसके बाइस पुर मुसर्रत अज़दवाजी ज़िन्दगी के बजाये आपस में तसादुम और धींगा मशती शुरू हो जाये तो ऐसी सूरत में

Scanned by CamScanner

इसलाहे अहवाल के लिए कुरआन करीम में मर्दों को तीन तदबीरें बतायीं।

(क) فَعِظُوهُنَّ उन्हें समझाओं और बताओ कि शौहर की नाफ़रमानी और उसकी इताअत न करने और उसके हुकूक का लिहाज़ न रखने के नतीजे में दुनिया व आखिरत दोनों में खुसरान वबाल के सिवा कुछ नहीं। और खुदा का अज़ाब मोल लेना कोई दानिशमन्दी की बात नहीं।

अगर औरत शरीफ तीनत है तो उसके लिए इतना ही काफ़ी होगा। इसमें भी शौहर को यह तालीम है कि फ़ौरन गुस्सा में आकर कोई कार्रवाई न करे।

(ख) अब भी अगर इसलाह न हो तो सज़ा की दूसरी मनज़िल यह है कि وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ मर्द कुछ अर्सा के लिए औरत से बात चीत तर्क करें उन्हें ख्वाबगाहों में तनहा छोड़ दें। और ताल्लुकात हमबिस्तरी मुनकतअ कर लें।

(ग) यह तदबीर भी कारगर न हो और औरत अपनी सरकशी व नाफ़रमानी पर कायम रहे जैसा कि बाज़ रज़ील तबकों में देखा जाता है तो अब तीसरा इलाज यह है कि तादीब के तौर पर हल्की सी मार मारी जाये। ऐसी ज़रब न मारे जिससे जिल्द परेशान हो जाये। औरत कैसी ही बेग़ैरत क्यों न हो मामूली मार से राहे रास्त पर आ जाती है ताहम बाज़ बदख़सलत औरतें ऐसी होती हैं कि वह किसी तदबीर से दुरूस्त ही नहीं होतीं और अपनी सरकशी व नाफ़रमानी में हद से तजावुज़ कर जाती हैं तो अब शरीके ज़िन्दगी से निभाव के तमाम रास्ते बन्द हो जाते हैं। इस रोज़ रोज़ की चीखो पुकार का नतीजा यह निकलता है कि घर घर रुसवाई

होती है और मर्द और औरत दोनों के लिए दुनिया जहन्नम का नमूना बन जाती है। ऐसी हालत में शरीअत मुतह्हरा फिर दोनों को एक और मौका देती है और वह यह कि

فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا۔

यानी जहां मियां बीवी में ना मुवाफ़िक़ और ऐसी कशमकश पैदा हो जाये जिसे वह बाहम न सुलझा सकें तो दो सालिस मुकर्रर किये जायें ताकि नज़ाअ से इन्कताअ (अलहदगी) तक नौबत पहुंचे या अदालत में मामला जाने से पहले घर के घर में कोई सूरत निकल आए मियां बीवी में नज़ाअ होने में यह हरग़िज़ न होना चाहिए कि फ़ौरन तलाक़ हो जाये या किसी और ऐसी ही कार्रवाही की नौबत आ जाये बल्कि पहले यह कोशिश मसालिहत व मुफ़ाहिमत की कर ली जायें, रिश्ता अज़दवाज एक अहम तरीन रिश्ता है। उस पर बे परवाई से ज़रब नहीं लगाई जानी चाहिए। और उस मसालिहत व़ मुफ़ाहिमत की तदबीर यह है कि मियां बीवी में से हर एक के खानदान का एक एक आदमी उस ग़र्ज़ से मुकर्रर किया जाये कि दोनों मिल कर इख़तिलाफ़ के असबाब की छान बीन करें और फिर आपस में सर जोड़ कर बैठें और तसफ़िया की कोई सूरत निकालें। इस्लाम को यह बात पसन्द नहीं कि खानदानी उलझनों और मियां बीवी के माबीन मुनाक़शों का इल्म होने के बावजूद उनके खानदान के बाअसर बारुसूख़ और बावकार अफ़राद, दामन समेट कर अलग थलग हो जायें जैसे कि उनका उस से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। बल्कि हुक्म यह है कि उस खानगी नज़ाअ को यह लोग अपना ही मामला समझें और अपनी सी कोशिश में कोई कमी न करें बल्कि ज़ोजैन अगर अपने अपने रिश्तादारों में से खुद ही किसी को मुनतख़ब करें तो

Scanned by CamScanner

उन्हें चाहिए कि अपने अपने ख़ानदानों के वक़ार की ख़ातिर मुदाख़लत करें और अहकाम शरीआ की रोशनी में मुनासिब फ़ैसला दें, मानना न मानना उन दोनों के अख़्तियार में है।

अब भी अगर इसलाह न हो और अहवाल की तमाम तदबीरें राईगां जायें और क़सूर का बोझ सिर्फ़ औरत पर हो तो अब शौहर को इज़ाज़त है कि उसे तलाक़ दे दे।

ज़माना जाहिलियत में दस्तूर था कि एक शख़्स अपनी बीवी को बे हिसाब व किताब, तलाक़ देने का मजाज़ था। जिस औरत से उसका शौहर बिगड़ जाता वह उसको बार बार तलाक़ दे कर रूजू करता रहता था ताकि वह ग़रीब न तो उसके साथ गुज़र बसर कर सके और न ही उससे आज़ाद होकर किसी और से निकाह कर सके। कुरआन मजीद व हदीस शरीफ ने इस जुल्म का दरवाज़ा हमेशा के लिए बन्द कर दिया और तलाक़ के बाब में शौहरों पर पाबन्दियां आयद कीं और उन्हें बताया कि अगर तुम औरतों को तलाक़ देने पर मज़बूर हो जाओ और सिवाये तलाक़ के कोई और चारा कार न रहे तो उस का सही तरीक़ा यह है कि अपने अय्याम (हैज़) से फ़ारिग़ हो तो हालते तुहर में एक मर्तबा तलाक़ दी जाये और अगर झगड़ा ऐसे ज़माना में हुआ हो जबकि औरत अय्याम माहवारी में हो तो शौहर को उस वक़्त का इन्तिज़ार करना चाहिए जब वह अय्यामे माहवारी से फ़ारिग़ हो जाए इन अय्याम का यह इन्तिज़ार भी पहली तलाक़ के रोक के लिए हैं कि अब पहली तलाक़ के बाद भी औरत के दिल में नदामत न हो या शौहर के दिल में बरदाशत की ताक़त न हो और एक माह गुज़रने पर औरत दूसरी बार हैज़ से फ़ारिग़ हो जाये तो अब शौहर दूसरे महीने में तलाक़ दे सकता है।

Scanned by CamScanner

अब फिर एक महीने की लम्बी मीयाद उन दोनों के दरमीयान है। उस मीयद में अगर झूठे गुस्से बेजा बद गुमानियां निभाव की ख्वाहिशें बेदार हो रही हैं तो शरीअत मुतहहरा, मर्द को रजअत का हुक्म देती है और उस रजअत के आड़े आने वाली झूठी नामवरियों, खानदानी वजाहतों दुनियावी तानों और दुशनाम तराज़ीयों को कुचल कर, दोनों को फिर दोबारा मियां बीवी की तरह रहने की इजाज़त देती है बल्कि पहली या दूसरी तलाक़ की इद्दत भी गुज़र जाये तब भी दोनों के लिए मौक़ा बाक़ी रहता है कि फिर बाहमी रज़ामन्दी से निकाह कर लें। गोया उस आख़िरी गुन्जाईश से फ़ायदा उठा कर तलाक़ वापसी ले ली जाये और ताल्लुक़ात ज़ोजीयत अज़ सरे नौ क़ायम किये जायें। अलबत्ता शरीअत मुतहहरा ने मर्दों को तम्बीह फ़रमाई कि रुजूअ करते हो तो इस नीयत से कि अब हुस्ने सुलूक से रहना है वरना बेहतर है कि शरीफ़ाना तरीक़ा पर रुखसत कर दो ज़ोजीयत में वापसी खाना आबादी के लिए होना चाहिए न कि खाना बरबादी के लिए।

बहरहाल अब इन दो तलाक़ों के बाद भी नाखुशगवार ताल्लुक़ात का खात्मा न हो और नफ़रत व ज़िद की बुनियाद ऐसी मज़बूत है कि मर्द अब तक तलाक़ ही पर तुला हुआ है इधर औरत दूसरी तलाक़ के बाद अय्याम महावारी से फ़ारिग़ हो चुकी है तो अब शरीअत उसे बतलाती है कि देख ये हुमा तेरे हाथ से निकलने वाली है। चिड़िया उड़ गई तो कफ़े अफ़सोस ही मलना पड़ेगा। खूब समझ ले लेकिन मर्द अपनी बात पर अड़ा हुआ है तो शरीअत उसे मजबूर नहीं करती और मुआहेदए शादी को ज़िन्दगी भर के लिए तौके लाअनत बनाना गवारा नहीं करती। अलबत्ता उस तीसरी तलाक़ के बाद, न तो शौहर

को रुजूअ का हक् बाकी रहता है और न इसका ही मौका रहता है कि दोनों का फिर निकाह हो सके। अब हलाला के सिवा कोई चारा नहीं।

## एतज़ार

फ़कीर को इन मुबाहिस की तहरीर के दौरान कई बार यह ख्याल आया कि उन बहसों और मोशगाफ़ियों से औरत को क्या वास्ता। लेकिन इस ख्याल से दिल को तसकीन मिलती रही कि माशा अल्लाह कौम की समझदार बेटियां और बहनें तो उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। और कम अज़ कम वह तो यह समझ सकती हैं कि शरीअत मुतहहरा ने किस तरह औरतों के हकूक की हिफ़ाज़त फ़रमाई और उनकी ज़िन्दगी को बा मक़सद और बा वक़अत बनाया है। क्या नई तहज़ीब के किसी भी गोशा में यह मोती दसतियाब हो सकते हैं। जिनसे इस्लाम ने औरत के दामन को माला माल फ़रमाया है।

**तम्बीह ज़रूरी:–** तलाक् देना जायज़ है। हां बे हाजत, बिला वजह शरई तलाक् मकरूह व ममनूअ़ है मगर देगा तो ज़रूर हो जायेगी, कि तलाक् शौहर की ज़बान पर रखी गई है तो उस का मुरतकिब मकरूह बल्कि बाज़ सूरतों में गुनाहगार होना भी तलाक् को वाकेअ होने से नहीं रोकता जैसे हालते हैज़ में तलाक् देना हराम है कि हुक्म इलाही की नाफ़रमानी है मगर देगा तो ज़रूर हो जायेगी और देने वाला गुनाहगार होगा।

और वजह शरई मौजूद हो तो तलाक् देना मुबाह, बल्कि बाज़ सूरतों में मुस्तहब है मसलन औरत पर शुब्हा हो या वह नाफ़रमान हो तो ऐसी सूरत में उसे तलाक् देना बिला कराहत जायज़ व मुबाह है।

Scanned by CamScanner

उलेमाए किराम फ़रमाते हैं कि अगर औरत उसे या औरों को ईज़ा देती है या नमाज़ नहीं पढ़ती है अगर यह मेहर अदा करने पर कादिर न हो जब भी तलाक़ दे देनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि अल्लाहु तलाआ अन्हु फ़रमाते हैं कि बे नमाज़ी औरत को तलाक़ दे दूं और उस का मेहर मेरे ज़िम्मा बाकी हो। इस हालत में दरबारे खुदा में मेरी पेशी हो तो यह उस से बेहतर है कि मैं उसके साथ ज़िन्दगी बसर करूं बल्कि बाज़ सूरतों में वाजिब होती है। मसलन शौहर नामर्द या हिजड़ा है या शौहर के मां बाप उसे हुक्म देते हैं कि औरत को तलाक़ दे दे और न देने में उन्हें ईज़ा हो या वह नाराज़ हों तो वाजिब है कि तलाक़ दे दे अगरचे औरत का कुछ कसूर न हो कि मां बाप की नाफरमानी का वबाल उससे कहीं बढ़ कर है। (फ़तावा रिज़वियह)

## चन्द फ़िक़्ही मसाइल

**मसला:-** हर आक़िल व बालिग़ का फ़ेअल चूंकि शरीअत के नज़दीक क़ाबिले तस्लीम है इसलिए तलाक़ के लिए शर्त यह है कि शौहर आक़िल बालिग़ हो। नाबालिग़ या मजनूं खुद तलाक़ दे सकता है न उसकी तरफ़ से उसका वली। हां अगर अक़्ल किसी ख़ारजी शै से ज़ायल कर दी जाये मसलन नशा वाले ने तलाक़ दी, गुस्सा की हालत में दी तो तलाक़ वाकेअ़ हो जायेगी कि आक़िल के हुक्म में है और नशा ख़्वाह शराब पीने से हो या भंग वग़ैरह किसी और चीज़ से। अफ़ीम की पेंग में तलाक़ देदी तब भी वाकेअ़ हो जायेगी। (ताकि कोई शख़्स गुस्सा या नशा को सिपर न बना सके। जिससे औरत के हुकूक़ तल्फ़ होते हैं) और तलाक़ में औरत की जानिब से

कोई शर्त नहीं। नाबालिग़ हो या मजनूं बहरहाल तलाक़ वाक़ेअ हो जायेगी। (आलमगीरी)

यूंही औरत को हमल की हालत में तलाक़ दी जाये क़तअन वाक़ेअ हो जायेगी अवाम में जो मशहूर है कि हामिला औरत पर तलाक़ नहीं पड़ती महज़ बे असल है।

**मसला:-** सरसाम व बरसाम या किसी और बीमारी में जिसमें अक्ल जाती रही या ग़शी की हालत में या सोते में तलाक़ दे दी तो वाक़ेअ न होगी। यूंही अगर गुस्सा इस हद का हो कि अक़्ल जाती रहे तो वाक़ेअ न होगी। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह) आजकल अक्सर तलाक़ दे बैठते हैं बाद को अफ़सोस करते और तरह तरह के हीले तराशते हैं एक उज़्र अक्सर यह भी होता है कि गुस्सा में तलाक़ दे दी अज़ीज़ो! तलाक़ तो अमूमन गुस्सा ही की हालत में दी जाती है और इस हालत में तलाक़ वाक़ेअ हो जाती है और वह सूरत कि अक़्ल गुस्से से जाती रहे बहुत नादिर है यूंही तलाक़ बख़ुशी दी जाए ख़्वाह जब्रिया, वाक़ेअ हो जायेगी। अज़ीज़ो! निकाह शीशा है और तलाक़ संग, शीशा पर पत्थर ख़ुशी से फेंके या जब्र से या ख़ुद से छूट जाये तो शीशा हर तरह टूट जायेगा।

**मसला:-** किसी ने शौहर को तलाक़ लिखने पर मजबूर किया उसने लिख दिया। मगर न दिल में इरादाए तलाक़ है न ज़बान से तलाक़ का लफ़्ज़ कहा तो तलाक़ न होगी। मजबूरी से मुराद शरई मजबूरी है। महज़ किसी के इसरार कर देने पर लिख देना या यह ख़्याल कर के लिख देना कि बड़ा है उसकी बात कैसे टालूं तो यह मजबूरी नहीं। (रद्दुलमुहतार)

**मसला:-** तलाक़ की दो क़िस्म है (यानी बाएतबार अल्फ़ाज़े

तलाक) सरीह[1], किनाय[2]। सरीह वह जिससे तलाक मुराद होना ज़ाहिर हो। अक्सर तलाक में इसका इस्तेमाल हो। अगरचे वह किसी ज़बान का लफ्ज़ हो जैसे उर्दू में यह लफ्ज़ कि "मैंने तुझे छोड़ा" सरीह है। उससे एक तलाक हो जायेगी। कुछ नीयत हो न हो। किनाया तलाक वे अल्फ़ाज़ हैं जिससे तलाक मुराद होना ज़ाहिर न हो। तलाक के अलावा और मायनों में भी उन का इस्तेमाल होता हो। (आमए कुतुब)

**मसला:-** जो अल्फ़ाज़ तलाक के लिए वज़अ किये गये हैं जब उन्हें तलाक में इस्तेमाल किया जायेगा तो उससे तलाक रजअी वाकेआ होगी और जो अल्फ़ाज़ कि तलाक के लिए वज़अ नहीं किये गये हैं बल्कि उनका इस्तेमाल इशारतन "और किनायतन " तलाक की तरह है तो ऐसे अल्फ़ाज़ के इस्तेमाल से तलाके बाइन पड़ती है जब कि नीयत तलाक हो या हालत बताती हो कि तलाक मुराद है। मसलन पेशतर तलाक का जिक्र था या गुस्सा में कहा। (आमए कुतुब)

**मसला:-** किनाया के अल्फ़ाज़ तीन तरह के हैं-

बाज़ में सवाल रद्द करने का एहतमाल है बाज़ में गाली का एहतमाल है और बाज़ में न यह है न वह है बल्कि जवाब के लिए मुतअय्युन हैं।

अगर रद्द का एहतमाल है तो मुतलकन हर हालत में नीयत की हाजत है। बग़ैर नीयत तलाक नहीं और जिन में गाली का एहतमाल है उनसे तलाक होना खुशी और ग़ज़ब में नीयत पर मौकूफ है और तलाक का जिक्र था तो नीयत की ज़रूरत नहीं और तीसरी सूरत में जो फक्त जवाब हो तो खुशी में नीयत ज़रूरी है और ग़ज़ब व मुज़ाकरए तलाक के वक्त बग़ैर नीयत भी तलाक हो

जाती है। (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

**मसला:-** औरत का हामला होना, तलाक़ वाक़ेअ होने से नहीं रोकता। हालत हमल में तलाक़ जायज़ व हलाल है। अगरचे अय्याम हमल में शौहर उससे जिमाअ़ भी कर चुका हो। अब अगर तलाक़ बाइन थी या तलाक़ रजई थी और बच्चा पैदा होने तक न ज़बानी रजअत की न ज़ोजा को हाथ लगाया तो बाद विलादत औरत निकाह से निकल गई। अब उसे अखतियार है जिससे चाहे निकाह करे और रजई थी और विलादत से क़ब्ल शौहर ने रजअत कर ली तो औरत बदस्तूर उसके निकाह में है। दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसला:-** औरत से कहा तलाक़ तलाक़ तलाक़। न यह कहा कि तुझ को या उस औरत को। मगर क़राईन से यह बात मालूम होती है कि उसने अपनी औरत को लताक़ दी है या वह खुद इक़रार करता है कि मैंने अपनी औरत को तलाक़ दी है तो तीन तलाक़ें पड़ गयी। बे हलाला उसके निकाह में नहीं आ सकती। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसला :-** तलाक़ (बएतबार हुक्म व नतीजा) तीन क़िस्म हैं-

**रजई :-** वह जिससे औरत फ़िलहाल निकाह से नहीं निकलती। इद्दत के अन्दर अगर शौहर रजअत कर ले वह बदस्तूर उसकी ज़ोजा रहेगी। हां इद्दत गुज़र जाये और रजअत न करे तो उस वक़्त निकाह से निकलेगी। फिर भी बरज़ाए खुद (बाहमी रज़ामन्दी से) निकाह कर सकते हैं।

**बाईन:-** वह जिससे औरत फ़िलफ़ोर निकाह से निकल जाती है। हां बरज़ाए खुद निकाह कर सकते हैं इद्दत के अन्दर ख़्वाह बाद में।

Scanned by CamScanner

**मुग़ल्लिज़ा** :– वह कि औरत फ़ौरन निकाह से निकल भी गई और कभी उन दोनों का निकाह नहीं हो सकता जब तक हलाला न हो। यह तीन तलाक़ों से होता है ख़्वाह एक साथ दी हों ख़्वाह बरसों के फ़ासले से। रजई दी हों या बाईन या बाज़ रजई बाज़ बाईन।

तलाक़ के सैकड़ों लफ़्ज़ हैं बाज़ से रजअी पड़ती है। बाज़ से बाईन और बाज़ से मुग़ल्लिज़ा। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसला**:– औरत को तलाक़ नहीं दी है मगर लोगों से कहता है कि तलाक़ दे आया तो तलाक़ हो जायेगी। यूंही एक तलाक़ दी है और लोगों से कहता है तीन दी हैं तो फ़ैसला यही होगा कि तीन दी हैं। अगरचे कहे मैंने झूठ कहा था। (बहारे शरीअत, फ़तावा रिज़वियह)

**मसला**:– जब तलाक़ें तीन तक पहुंच जायें तो वह औरत उस शौहर के लिए बे हलाला किसी तरह हलाल नहीं हो सकती। और अगर इसके बावजूद उससे हम बिस्तरी करे तो वह सोहबत ज़िना होगी और अगर उसे मसला मालूम है तो यह ज़ानी और शरअन सज़ाए ज़िना का मुस्तहिक़ होगा। और औलाद वल्दुज़्ज़िना और तर्के पिदरी से महरूम होगी। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसला**:– शौहर ने औरत को तीन तलाक़ें दे दीं या बाईन तलाक़ दी मगर इंकार करता है और औरत के पास गवाह नहीं तो जिस तरह मुमकिन हो औरत उससे पीछा छुड़ाये। मेहर माफ़ करके अपना माल उसको देकर उससे अलहदा हो जाये ग़र्ज़ जिस तरह भी मुमकिन हो उस से किनारा कशी करे और किसी तरह वह न छोड़े तो औरत मजबूर है मगर हर वक़्त उसी फ़िक्र में रहे कि जिस तरह मुमकिन हो रिहाई हासिल करे और इसकी पूरी कोशिश करे कि सोहबत न

Scanned by CamScanner

करने पाये। औरत जब इन बातों पर अमल करेगी तो माजूर है और शौहर बहरहाल गुनाहगार है। (दुर्रे मुख़्तार फ़तावा रिज़वियह)

**मसला:-** शौहर ने औरत को तीन तलाकें दे दीं इद्दत गुज़रने पर कुछ लोगों ने उस औरत का निकाह किसी और से शरई तरीक़ा पर करा दिया। अब शौहर सानी अगर बे सोहबत किये उसे तलाक़ दे भी दे जब भी औरत शौहर अव्वल के लिए हलाल नहीं हो सकती कि बहुक्म कुरआन व हदीस दूसरे शौहर का उससे सोहबत करना ज़रूरी है।

**मसला:-** ज़ैद ने उमर से कहा तूने अपनी औरत को तलाक़ दी। उसने नर्म दबे लहजे में कहा "मैंने तलाक़ दी" यह इक़रार है तलाक़ हो गई और उसने तुर्श व गर्म तलाक़ दी यह इंकार है तलाक़ न हुई। अल्फ़ाज़ बइयनह वही हैं और हुक्म असबात से नफ़ी में बदल गया। यूंही अगर औरत ने कहा "मुझे दे उसने न माना। औरत ने पूछा "दी" उसने झिड़कने के लहजे में सख़्ती से कहा "दी" तलाक़ न हुई। वरना हो गई। (फ़तावा रिज़वियह)

**तम्बीह:-** यहां से मालूम हुआ कि तलाक़ के मसाइल बहुत नाज़ुक हैं एक हरूफ़ की बेशी दर किनार, लहजे के बदलने से हुक्म बदलता है। सख़्त एहतियात दरकार है।

## रजअत का मसनून तरीक़ा

**मसला:-** रजअत के यह मायने हैं कि जिस औरत को रजई तलाक़ दी हो इद्दत के अन्दर उसकी पहले निकाह में वापसी और रजअत उसी औरत से हो सकती है। जिससे वती की हो। अगर ख़िलवत सहीहा हुई मगर जिमाअ न हो तो नहीं हो सकती। अगरचे

उसे शहवत के साथ छुआ हो। (दुर्रे मुख़्तार रददुलमुहतार)

**मसला:-** रजअत का मसनून तरीक़ा यह है कि किसी लफ़्ज़ से रजअत करे और रजअत पर दो आदिल लोगों को गवाह करे और औरत को भी खबर कर दे कि वह इद्दत के बाद किसी और से निकाह न करे और उस सूरत में कि क़ौल से रजअत की मगर गवाह न किये या गवाह भी किये मगर औरत को खबर न की तो मकरूह व खिलाफ़े सुन्नत है मगर रजअत हो जायेगी। और फ़ेअल से रजअत की मसलन उससे वती की या शहवत के साथ बोसा लिया तो रजअत हो गई मकरूह है उसे चाहिए कि फिर गवाहों के सामने रजअत के अल्फाज़ कहे। (जोहरा)

**मसला:-** रजअत के अल्फ़ाज़ ये हैं। मैंने तुझ से रजअत की। या तुझ को वापस अपने निकाह में लिया या रोक लिया। या अपनी ज़ोजा से रजअत की ये सब सरीह अल्फ़ाज़ हैं उनमें बिल नीयत भी रजअत हो जायेगी। और अगर औरत से कहा कि तू मेरे नज़दीक वैसी ही है जैसे थी या तू मेरी औरत है'' तो अगर ब नीयत रजअत ये अल्फाज़ कहे रजअत हो गई वरना नहीं और निकाह के अल्फ़ाज़ से भी रजअत हो जाती है। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला:-** रजअत में औरत की रज़ा की ज़रूरत नहीं बल्कि अगर वह इंकार भी करे तब भी हो जायेगी। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:-** हलाला की सूरत यह है कि अगर औरत मदख़ूला है (यानी शौहर उससे हमबिस्तरी कर चुका है) तो तलाक़ की इद्दत पूरी होने के बाद औरत किसी और से निकाह सहीह करे और यह शौहर सानी उससे वती भी करले। अब उस शौहर सानी के तलाक़ या मौत के बाद इद्दत पूरी होने पर शौहर अव्वल से निकाह हो सकता

है और अगर औरत मदख़ूला नहीं है तो पहले शौहर के तलाक़ देने के बाद फ़ौरन दूसरे से निकाह कर सकती है कि उसके लिए इद्दत नहीं। (आमए कुतुब)

**मसला:-** अक़्द निकाह यानी ईजाब व क़ुबूल में यह शर्त लगाई कि यह सोहबत के बाद औरत को तलाक़ देगा। हदीस शरीफ़ में उस पर लानत आई और यह निकाह मकरूह तहरीमी है। ज़ोजा अव्वल व सानी और औरत तीनों गुनाहगार होंगे। अगरचे औरत उस निकाह से भी शौहर अव्वल के लिए हलाल हो जायेगी और शर्त बातिल है अगर शौहर सानी तलाक़ देने पर मजबूर नहीं। और अगर अक़्द में शर्त न हो अगरचे नीयत में हो तो कोई कराहत नहीं बल्कि अगर नीयत ख़ैर हो तो मुस्तहिक़ सवाब है। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

**मसला:-** शौहर ने औरत को तीन तलाक़ें दीं या बाईन तलाक़ दी मगर अब इंकार करता और औरत के पास गवाह नहीं तो जिस तरह मुमकिन हो औरत उससे पीछा छुड़ाये और किसी तरह वह न छोड़े तो पूरी कोशिश उसकी करे कि वह सोहबत न करने पाये। औरत जब इन बातों पर अमल करेगी तो माज़ूर है और शोहर बहरहाल गुनाहगार है। (दुर्रे मुख़्तार, बहारे शरीअत)

# ईला और ज़िहार का बयान

ज़मानए जाहिलीयत में एक तरीक़ा मीयां बीवी में अलहदगी का यह भी था कि शोहर गुस्से में आकर क़सम खा बैठते थे कि अपनी बीवीयों से हमबिस्तरी न करेंगे। इसतिलाह में इसी को ईला कहते हैं। ईला करने के बाद जो एक तरह की तलाक़ ही थी शौहर अपनी बीवी के नान नफ़्क़ा और हर किस्म के अदाए हक़ूक़ से मअन

Scanned by CamScanner

दस्तबरदार हो जाता था इस्लाम ने इस तरीका की भी इसलाह की और इसे एक कानून की शक्ल में नाफ़िज़ फ़रमाया और फ़ितरते बशरी का बिल्कुल सहीह अंदाज़ा करके हुक्म दिया कि चूंकि जोजैन में ताल्लुकात हमेशा खुशगवार तो नहीं रह सकते बिगाड़ के असबाब पैदा होते ही रहते हैं। लेकिन ऐसे बिगाड़ को खुदा की शरीअत पसन्द नहीं करती कि दोनों एक दूसरे के साथ, कानूनी तौर पर रिश्ता अज़्दवाज में तो बन्धे रहें। मगर अमलन एक दूसरे से इस तरह अलग रहें कि गोया वह मियां बीवी नहीं है ऐसे बिगाड़ के लिए अल्लाह तआला ने चार माह की मुद्दत मुकर्रर फ़रमा दी कि या तो इस मुद्दत में सारे पहलुओं पर ठंडे दिल से गौर व फ़िक्र के बाद अपने ताल्लुकात दुरूस्त कर लो लेकिन इस सूरत में ऐसी कसम तोड़ने का गुनाह एक ख़फ़ीफ़ से कुफ़्फ़ारे के बाद माफ़ किया जायेगा। वरना रिश्ता अज़्दवाज मुन्कतअ कर दो ताकि दोनों, एक दसूरे से अज़ाद हो कर जिससे चाहें निबाह कर सकें। फ़रीकीन हंसी खुशी और बाज़ाबता मुआहिदए निकाह को फ़सख़ करके एक दूसरे से मुसतकिल अलहदगी अख़्तियार कर लें यह उससे हज़ार दर्जा बेहतर है कि रहें तो मियां बीवी, लेकिन अमलन एक दूसरे से ला ताल्लुक।

अरब में बाज़ औक़ात यह सूरत पेश आती थी कि मियां बीवी में लड़ाई होती तो शोहर गुस्सा में आ कर कहता أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي इसके लग़वी मायने तो यह हैं कि तू मेरे ऊपर ऐसी है जैसे मेरी मां की पीठ। लेकिन इसका असली मफ़हूम यह है कि तुझ से मुबाशरत (हमबिस्तरी) करना मेरे लिए ऐसा है जैसे मैं अपनी मां से मुबाशरत करूं। जाहिलीयत के ज़माने में अहले अरब के यहां यह तलाक़, बल्कि उससे भी शदीद कतअ ताल्लुक का एलान समझा

जाता था क्योंकि उनके नज़दीक इसके मायने यह थे कि शौहर अपनी बीवी से न सिर्फ अज़दवाजी रिश्ता तोड़ रहा है बल्कि उसे मां की तरह अपने ऊपर हराम करार दे रहा है इसी बिना पर अहले अरब के नज़दीक तलाक के बाद रुजूअ की गुंजाइश हो सकती थी मगर ज़िहार के बाद रुजूअ का कोई इमकान बाकी न रहता था। इस्लाम आने के बाद इस तरह के कुछ वाकिआत रोनुमा हुए और अब भी बहुत से नादान मुसलमान बीवी से लड़ कर उसको मां बहन बेटी से तशबीह दे बैठते हैं जिस का साफ मतलब यह होता है कि आदमी गोया अब उसे बीवी नहीं बल्कि उन औरतों की तरह समझता है जो उसके लिए हराम हैं इसी फेअल का नाम ज़िहार है।

कुरआन करीम ने ज़िहार के मुताल्लिक पहला फैसला यह दिया है कि مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ यानी अगर किसी शख़्स ने बीवी को मां की तरह कह भी दिया तो वह बीवीयां इन अल्फ़ाज़ की अदायेगी से मां नहीं बन गई और न उनमें कोई ऐसी बात पैदा हो गई कि वह हराम करार दे ही दी जायें। मां का मां होना तो एक हकीकी अम्र वाकिया है क्योंकि उसने आदमी को जना है उसी बिना पर उसे अबदी हुरमत हासिल है। अब आखिर वह औरत जिसने उसे नहीं जना है महज़ मुंह से कह देने से उसकी मां कैसे हो जाएगी और उसके बारे में अक्ल, अखलाक, कानून, किसी चीज़ के एतबार से वह हुर्मत कैसे साबित होगी जो उस अम्र वाकई की बिना पर जनने वाली मां के लिए है।

दूसरा फैसला यह दिया कि यह हरकत तो ऐसी है कि उस पर आदमी को बहुत ही सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यह अल्लाह तआला की मेहरबानी है कि उसने अव्वल तो ज़िहार के मामले में

जाहिलियत के कानून को मनसूख करके तुम्हारी खांगी ज़िन्दगी को तबाही से बचा लिया। दूसरे इस फ़ेअल का इरतकाब करने वालों के लिए वह सज़ा तजवीज़ की जो इस जुर्म की हल्की से हल्की सज़ा हो सकती थी और सब से बड़ी मेहरबानी यह है कि सज़ा किसी ज़रब या कैद की शक्ल में नहीं बल्कि चंद ऐसी इबादात और नेकियों की शक्ल में तजवीज़ की जो तुम्हारे नफ़्स की इस्लाह करने वाली और तुम्हारे मुआशरे में भलाई फैलाने वाली हैं। चुनांचे इस बारे में भी अगर गुनाह का तदारुक कर लिया जाए तो गुनाह माफ हो जाएगा। इस सिलसिले में यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम में बाज़ जरायम और गुनाहों पर जो इबादात बतौरे कुफ़्फ़ारा मुकर्रर की गई हैं वह न महज़ सज़ा हैं कि इबादत की रूह से ख़ाली हों और न महज़ इबादत हैं कि सज़ा की अज़ीयत का कोई पहलू उन में न हो बल्कि उनमें यह दोनों पहलू जमा कर दिए गए हैं ताकि आदमी को अज़ीयत भी हो और साथ साथ वह एक नेकी और इबादत करके अपने गुनाहों की तलाफी भी कर दे। बअल्फ़ाज़ दीगर यह हुक्म तादीब के लिए दिया जा रहा है। ताकि मुस्लिम मुआशरे के लोग जाहिलियत की इस बुरी आदत को छोड़ दें और कोई शख़्स इस बेहूदा हरकत का इरतकाब न करे। बीवी से लड़ना ही है तो भले आदमियों की तरह लड़ो, तलाक ही देना है तो सीधी तरह तलाक दे दो। यह आख़िर क्या शराफ़त है कि आदमी जब बीवी से लड़े तो उसे मां बहन बना कर ही छोड़े।

मुसलमान औरत बल्कि मर्द देखे कि इस्लाम ने एक मुसलमान घराने को बरबादी व तबाही से बचाने के लिए कैसे कैसे हिकमत आमेज़ अहकाम नाफ़िज़ फ़रमाए हैं और मर्द व औरत किस किस तरह खुद अपने घर तबाह करते हैं। ऐ रब हमारे, हमारी आंखें खोल

Scanned by CamScanner

और राहे हक़ पर साबित क़दम रख आमीन०

# फ़िक़्ही मसायल

मसला:- ऐला के मायने यह हैं कि शौहर ने क़सम खाई कि औरत से कुर्बत न करूंगा या चार महीने कुर्बत न करेगा। ऐला की दो क़िस्म हैं। एक मुवक़्क़त यानी चार महीने का। दूसरा मुवब्बद यानी वह जिस में चार महीने की क़ैद न हो। बहर हाल अगर औरत से चार माह के अन्दर जिमाअ किया तो क़सम टूट गई और कुफ़्फ़ारा लाज़िम हो गया और कुर्बत न की यहां तक कि चार महीने गुज़र गए तो तलाक़ हो गई।

फिर अगर ऐलाये मुवक़्क़त था यानी चार महीने का तो क़सम साक़ित हो गई यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो अब उसका कुछ असर नहीं और अगर मुवब्बद था यानी हमेशा की उसमें क़ैद थी मसलन खुदा की क़सम तुझ से कुर्बत न करूंगा तो इस सूरत में एक बाईन तलाक़ पड़ गई। फिर भी क़सम बदस्तूर बाक़ी है यानी अगर उस औरत से फिर निकाह किया तो फिर ऐलाए बदस्तूर आ गया। अगर वक़्त निकाह से चार माह के अन्दर जिमाअ कर लिया तो क़सम का कुफ़्फ़ारा दे और अगर चार माह गुज़र गये और कुर्बत न की तो एक तलाक़ बाईन वाकेअ हो गई मगर क़सम बदस्तूर बाक़ी है। सह बारह निकाह किया तो फिर ऐला आ गया। अब भी जिमाअ न करे तो चार महीने गुज़रने पर तीसरी तलाक़ पड़ जायेगी और अब बे हलाला निकाह नहीं कर सकता। अगर हलाला के बाद फिर निकाह किया तो अब ऐला नहीं। यानी चार महीने बग़ैर कुर्बत गुज़रने पर तलाक़ न होगी मगर क़सम बाक़ी है। अगर जिमाअ करेगा तो

Scanned by CamScanner

कफ़्फ़ारा वाजिब होगा। (आलमगीरी)

**मसला:-** ऐला के बाज़ अल्फ़ाज़ सरीह हैं। बाज़ किनाया, सरीह के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं वल्लाह मैं तुझ से जिमाअ न करूंगा। कुर्बत न करूंगा। सोहबत न करूंगा, वती न करूंगा। मैं तेरे साथ न सोऊंगा ग़र्ज़ वह अल्फ़ाज़ जिन से ज़ेहन, माआने जिमाअ की तरफ़ सबक़्क़त करता हो। उस मायने में बकसरत इस्तेमाल किये जाते हों। वह ऐला सरीह हैं। उनमें नीयत दरकार नहीं बग़ैर नीयत भी ऐला है। किनाया के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं तेरे बिछोने के क़रीब न जाऊंगा। तेरे साथ न लेटूंगा। तेरे बदन से मेरा बदन न मिलेगा। तेरे पास न रहूंगा। यूंही ऐसे ही वे अल्फ़ाज़ जिन में जिमाअ के अलावा दूसरे मायने का भी एहतमाल हो। उन में बग़ैर नीयत ऐला नहीं। (रददुलमुहतार)

**मसला:-** ऐला के लिए चन्द शर्तें हैं कि उनमें से एक भी न पाई गई तो ऐला न होगा। मसलन-

१. ऐला सिर्फ़ मनकूहा से होता है या उस औरत से जिसे तलाक़ रजई दी गई।

२. शौहर अहल तलाक़ हो यानी वह तलाक़ दे सकता हो। लेहाज़ा मजनू व नाबालिग़ का ऐला सहीह नहीं।

३. चार महीने से कम की मुद्दत न हो और ज़्यादा की कोई हद नहीं।

४. जगह मोअय्यन न करे, अगर जगह मोअय्यन की तो ऐला नहीं।

**तफ़सीलात के लिए अहले इल्म की तरफ़ रुजू लायें।**

**मसला:-** औरत से कहा "तू मुझ पर हराम है" इस लफ़्ज़ से ऐला की नीयत की तो ऐला है। और ज़िहार की नीयत की तो ज़िहार

Scanned by CamScanner

है वरना तलाक़ बाईन और तीन की नीयत की तो तीन और अगर औरत ने कहा कि मैं तुझ पर हराम हूं तो यमीन (क़सम) है शौहर ने ज़बरदस्ती या उसकी खुशी से जिमाअ किया तो औरत पर कुफ़्फ़ारा लाज़िम है। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:**– अगर शौहर ने कहा "तू मुझ पर मिस्ल मुरदार या गोश्त या खून या शराब के है अगर इससे झूठ मक़सूद है तो झुठ है और हराम करना मक़सूद है तो ऐला है। और अगर तलाक़ की नीयत हो तो तलाक़ है। (जोहरा)

**मसला:**– ज़िहार के यह मानी हैं कि अपनी ज़ोजा या उसके जिस्म के किसी ऐसे अजू को जो कुल से है। ऐसी औरत से तशबीह देना जो उस पर हमेशा के लिए हराम है या उसके किसी ऐसे अजू से तशबीह देना जिस की तरफ़ देखना हराम हो मसलन कहा तू मुझ पर मेरी मां की मिस्ल है। या तेरा सर या तेरी गर्दन मेरी मां की पीठ की मिस्ल है।

**मसला:**– ज़िहार के लिए इस्लाम व अक़्ल व बुलूग़ शर्त है तो अगर नाबालिग़ या मजनून या मदहोश या सरसाम व बरसाम के बीमार ने या बेहोश या सोने वाले ने ज़िहार किया तो ज़िहार न हुआ और हंसी मज़ाक में या नशा में या मजबूर किया गया इस हालत में या ज़बान से ग़लती में ज़िहार का लफ़्ज़ निकल गया तो ज़िहार है। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला:**– औरत मर्द से ज़िहार के लफ्ज़ कहे तो ज़िहार नहीं, बल्कि लग़ू हैं। (जोहरा)

**मसला:**– महारम से मुराद आम है निसबती हों या रिज़ाई या सुसराली रिश्ते से। लेहाज़ा मां बहन फूफी लड़की और रिज़ाई मां

और बहन वग़ैरह से और ज़ोजा की मां से तशबीह दी तो ज़िहार है। (आलमगीरी)

**मसला:-** औरत को मां, बहन या बेटी कह दिया तो ज़िहार नहीं मगर ऐसा कहना मकरूह है। (आलमगीरी)

**मसला:-** औरत से कहा तू "मुझ पर मेरी मां की मिस्ल है" तो नीयत दरयाफ़्त की जायेगी अगर उसके एजाज़ के लिए कहा तो कुछ नहीं और तलाक़ की नीयत है तो बाईन तलाक़ वाकेअ होगी और ज़िहार की नीयत है तो ज़िहार है और तहरीम की नीयत है तो ऐला है और कुछ नीयत न हो तो कुछ नहीं। (जोहरा)

**मसला:-** ज़िहार का हुक्म यह है कि जब तक कुफ़्फ़ारा न देदे उस वक़्त तक उस औरत से जिमाअ करना या शहवत के साथ उस का बोसा लेना या उसको छूना हराम है। और लब का बोसा बग़ैर शहवत भी जायज़ नहीं। कफ़्फ़ारा से पहले कर लिया तो तौबा करे मगर खबरदार फिर ऐसा न करे और औरत को भी यह जायज़ नहीं कि शौहर को कुर्बत करने दे। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

**मसला:-** ज़िहार करने वाला जिमाअ का इरादा करे तो कुफ़्फ़ारा वाजिब है। उसका कुफ़्फ़ारा गुलाम या कनीज़ आज़ाद करना है और उसकी इस्तताअत न हो तो कफ़्फ़ारा में पे दर पे दो महीने के रोज़े रखे और रोज़े रखने पर भी कुदरत न हो तो साठ मिसकीनों को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिला दे।

और यह भी हो सकता है कि हर मिस्कीन को सदका फित्र की मिक्दार क़रीबन सवा दो सैर गेहूं या इसका आधा या इसकी कीमत का मालिक कर दिया जाए और इन्हें लोगों को दिया जाए जिन्हें सदका फित्र दे सकते हैं। (रददुलमुहतार, वग़ैरह)

**तम्बीह:**– ज़िहार वग़ैरह के कुफ़्फ़ारे में तफ़सील बड़ी किताबों से या उलेमा से मालूम करें।

# खुलअ का बयान

शरीअत इस्लामी में इज्तिमाई और मआशरती ज़िन्दगी का संगे बुनियाद, मियां बीवी के सहीह ताल्लुकात हैं लेकिन नौबत यहां तक आ जाये कि वह दोनों हक़ूके ज़ोजियत अदा न कर सकें। और मुवाफ़िक़त की तमाम राहें बन्द हो जायें और औरत को उस मर्द से उस हद तक नफ़रत हो जाये कि उसके साथ उस का निबाह नहीं हो सकता। तो निकाह से मुख़्लिसी पाने और शौहर से तलाक़ हासिल करने की एक सूरत यह भी है कि औरत अपने कुल मेहर से, या उसके किसी हिस्से से दस्तबरदार हो जाये या अपने पास से कुछ माल दे के शौहर को तलाक़ पर आमादा कर ले तो यह भी एक जायज़ सूरत अलहदगी की है और उस माल को क़ुबूल कर लेना शौहर के लिए दुरुस्त होगा। तलाक़ की उस ख़ास सूरत का नाम जिसमें तलाक़ की ख़्वास्तगार औरत हो शरीअत की इस्तिलाह में खुलअ है।

अहकाम खुलअ की तफ़सील तो की बड़ी किताबों में मिलेगी। लेकिन यहां चन्द मसाइल तहरीर किये जाते हैं ताकि औरतें फिलजुमला उस से वाक़िफ़ रहें।

**मसला:**– माल के बदले में निकाह ज़ायल करने को खुलअ कहते हैं। औरत का क़बूल करना शर्त है। बग़ैर उसके क़बूल किये खुलअ नहीं हो सकता उसके अल्फ़ाज़ मोअय्यन हैं उनके अलावा और अल्फ़ाज़ से न होगा और जब मियां बीबी खुलअ कर लें तो तलाक़ बाईन वाक़ेअ हो जायेगी। दोनों के माबीन निकाह टूट जायेगा और जो माल ठहरा

Scanned by CamScanner

है औरत पर उस का देना लाज़िम है। (आमए कुतब)

**मसला:-** चुंकि शौहर की जानिब से खुलअ तलाक है। लिहाज़ा शौहर का आकिल बालिग़ होना शर्त है। नाबालिग़ या मजनू खुलअ नहीं कर सकता कि अहल तलाक नहीं और यह भी शर्त है कि औरत महल्ले तलाक हो लिहाज़ा अगर औरत को तलाक बाईन दे दी है तो अगरचे इद्दत में हो उससे खुलअ नहीं हो सकता। हां रजई की इद्दत में हो तो खुलअ हो सकता है। (दुर्रे मुख्तार रददुलमुहतार वग़ैरह)

**मसला:-** शौहर ने कहा "मैंने तुझ से खुलअ किया और माल का ज़िक्र न किया तो खुलअ नहीं बल्कि तलाक और औरत के कुबूल करने पर मोकूफ़ नहीं। (हिदाया)

**मसला:-** बाप ने लड़की का उसके शौहर से खुलअ कराया। अगर लड़की बालिग़ है और बाप बदल खुलअ का ज़ामन हो तो खुलअ सही है और अगर नाबालिग़ लड़की का उस लड़की के माल पर खुलअ कर दिया तो सहीह यह है कि तलाक हो जायेगी। मगर न तो मेहर साकित होगा न लड़की पर माल वाजिब होगा और अगर ना बालिग़ की मां ने अपने माल से खुलअ कराया या ज़ामिन हुई तो खुलअ हो जायेगा और लड़की के माल से कराया तो तलाक न होगी। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला:-** औरत से कहा " मैंने तुझ से खुलअ किया "औरत ने कहा मैंने कुबूल किया'' तो अगर वह लफ़्ज़ शौहर ने ब नीयत तलाक कहा था तलाक बाईन वाकेअ हो गई और मेहर साकित न होगा बल्कि अगर औरत ने कुबूल न किया जब भी यही हुक्म है और अगर शौहर यह कहता है कि मैंने तलाक की नीयत से न कहा था तो तलाक वाकेअ न होगी। जब तक औरत कुबूल न करे अगर शौहर ने औरत

से यह कहा था कि फलां चीज़ के बदले, मैंने तुझ से खुलअ किया तो जब तक औरत कुबूल न करेगी तलाक़ वाकेअ न होगी (कि यह सूरत खुलअ की सूरत है) और औरत के कुबूल करने के बाद अगर शौहर कहे कि मेरी मुराद तलाक़ न थी तो उसकी बात मानी न जायेगी। (खानिया वग़ैरह)

# लिआन का बयान

आदमी खुद नेक हो या बद, अच्छा हो या बुरा, ग़ैर मर्द और ग़ैर औरत की बदचलनी देख कर तो सब्र कर सकता है। एराज़ व चशम व पोशी से काम ले सकता है कि न चार की तादाद में मुस्लिम, आकिल, बालिग़, आदिल, चशम दीद तफ़सीली गवाही देने वाले गवाह मयस्सर आयेंगे न यह शरई अदालत में पेश कर सकेगा तो मुंह से किसी तरफ़ बदचलनी की निसबत से फ़ायदा क्या हासिल होगा तो ज़बान पर कुफ़्ल चढ़ाने और मामले को नज़र अन्दाज़ करने के अलावा चारा कार ही क्या है। लेकिन अगर वह खुद अपनी बीवी को बदचलनी की हालत में देख ले तो क्या करें? कत्ल कर दे तो उलटा सज़ाए कत्ल का मुस्तहिक़ हो। गवाह ढूंढने जाये तो उनके आने तक मुजरिम ठहरा रहेगा। मुंह से बात निकाले तो हदे कज़फ़ (इल्ज़ामे ज़िना पर शरई सज़ा) जारी हो। चुप रहे तो ग़ैज़ व ग़ज़ब की आग में जलता रहे। सब्र करे तो आखिर कैसे ? तलाक़ देकर औरत को रुखसत कर सकता है। मगर न उस औरत को किसी क़िस्म की माद्दी या अख़्लाकी सज़ा मिली न उसके आशना को तो मुआशरा और ज़्यादा खराब। और अगर औरत को नाजायज़ हमल हो तो ग़ैर का बच्चा अलग गले पड़ा।

शरीअत मुतहहरा ने इन हालात के मद्देनजर, तसफ़िया का जो तरीक़ा तजवीज़ किया है उसे इस्लामी कानून की इस्तिलाह में 'लिआन'' कहते हैं। उसके इजमाली अहकाम सूरह नूर में मज़कूर हैं।

**मसला:**- मर्द ने अपनी औरत को ज़िना की तोहमत लगाई। इस तरह पर अगर अजनबियह औरत को लगाता तो हद्दे कज़फ़ (तोहमते ज़िना की हद) उस पर लगाई जाती यानी औरत आकिला बालिग़ा मुस्लिमा अफ़ीफ़ा और आज़ाद हो तो लिआन किया जाएगा।

लिआन का तरीक़ा यह है कि क़ाज़ी के रू-बरू पहले शौहर क़सम के साथ चार मर्तबा शहादत दे यानी यह कहे कि "मैं शहादत देता हूं कि मैंने जो इस औरत को ज़िना की तोहमत लगाई उस में खुदा की क़सम मैं सच्चा हूं।" फिर पांचवीं मर्तबा यह कहे कि उस पर खुदा की लानत अगर इस अम्र में कि इस पर ज़िना की तोहमत लगाई झूठ बोलने वालों से हो" और हर बार लफ़्ज़ "इस" से औरत की तरफ़ इशारा करे। इतना करने के बाद मर्द पर से हद्दे क़ज़फ़ साकित हो जाएगी और औरत पर लिआन वाजिब होगा। इंकार करेगी तो क़ैद की जाए यहां तक कि लिआन मंजूर करे या शौहर के इल्ज़ाम की तस्दीक़ करदे। अगर तस्दीक़ की तो औरत पर ज़िना की हद लगाई जाएगी और लिआन करना चाहे तो औरत को चार मर्तबा यह कहना पड़ेगा कि मैं शहादत देती हूं कि खुदा की क़सम इसने जो मुझे ज़िना की तोहमत लगाई है इस बात में वह झूठा है और पांचवीं मर्तबा यह कहे कि इस पर अल्लाह का ग़ज़ब हो अगर यह मर्द इस बात में सच्चा हो जो मुझे ज़िना की तोहमत लगाई। इतना कहने के बाद औरत से ज़िना की हद साकित हो जाएगी। लिआन

Scanned by CamScanner

में लफ़्ज़ शहादत शर्त है अगर यह कहा कि मैं खुदा की क़सम खाता हूं कि मैं सच्चा हूं तो लिआन न होगा। (आमए कुतुब)

**मसला:**– लिआन के लिए चंद शर्तें हैं –

१. मर्द व औरत के माबैन निकाह सही हो। (२) ज़ोजियत कायम हो (३) दोनों आज़ाद आक़िल बालिग़ मुसलमान हों। (४) उनमें कोई गुंगा न हो। (५) उनमें से किसी पर हद्दे कज़फ न लगायी हो। (६) मर्द ने अपने कौल पर गवाह न पेश किये हों। (७) औरत ज़िना से इंकार करती हो और अपने आप को पारसा कहती हो। (८) सरीह ज़िना की तोहमत लगायी हो या उसकी जो औलाद उसके निकाह में पैदा हुई उसको कहता हो कि यह मेरी नहीं या जो बच्चा औरत का दूसरे शौहर से है उसको कहता हो कि यह उसका नहीं। (९) औरत क़ाज़ी के पास मुतालबा करे। (१०) शौहर तोहमत लगाने का इक़रार करता हो या दो मर्द गवाहों से उसका इक़रार साबित हो। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला:**– लिआन का यह हुक्म है कि उससे फ़ारिग़ होते ही उस शख़्स को उस औरत से वती हराम है। मगर फ़क्त लिआन से निकाह से खारिज न हुई बल्कि लिआन के बाद हाकिमे इस्लाम तफ़रीक़ कर देगा और यह तफ़रीक़ तलाक़ बाईन हो जाएगी। और लिआन के बाद अगर यह दोनों अलहदा होना न भी चाहें जब भी तफ़रीक़ कर दी जाएगी।

**मसला:**– मर्द और औरत दोनों शहावत के अहल हों और औरत उसपर मुतालबा करे तो मर्द पर लिआन वाजिब हो जाता है अगर वह लिआन से इंकार करे तो उस वक़्त तक क़ैद रखा जाएगा जब तक वह लिआन करे या अपने झूठ का इक़रार। इस सूरत में उस

Scanned by CamScanner

पर हद कज़फ लगायी जायेगी।

**मसला:**– लिआन के बाद तफ़रीक़ हो गई तो औरत इद्दत का नफ्क़ा व सुकना यानी रहने का मकान पाएगी और इद्दत के अंदर जो बच्चा पैदा होगा वह उसी शौहर का होगा। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

**तम्बीह:**– लिआन से मुताल्लिक़ मसाइल की तफ़सील बड़ी किताबों में मज़कूर है। लेकिन यहां इतना कहना है कि मुसलमान मर्द व औरत आंख खोल कर देखें कि इस्लाम ने मुसलमान मर्द औरत की इज़्ज़त व नामूस की हिफ़ाज़त का किस क़द्र एहतमाम किया है कि किसी की जानिब ज़िना की निसबत करने या उस पर तोहमत रखने वाले पर यह इल्ज़ाम क़रार दिया कि गवाह एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, इकट्ठे चार चार गवाह, वह भी चश्मदीद होना चाहिए पेश करे। अगर उस तादाद में एक की भी कमी रह जायेगी तो उस पर हद जारी न होगी। अल्बत्ता यह तोहमत ज़िना के जुर्म में सज़ा का मुस्तहिक़ होगा। कि वह बिला ज़रूरत ऐसी बात ज़बान से निकाल कर एक मुसलमान की खामख़ाह आबरू-रेज़ी करता और उसकी इज़्ज़त व नामूस को बट्टा लगाता है और जहां लिआन का हुक्म है वहां झूठ की राहें बन्द फ़रमा दें कि महज़ एक का झूठ, दूसरे के लिए अज़ाब न बन सके इस लिए दोनों मर्द औरत को इस क़समाक़समी का पाबन्द बनाया। इस बारे में सख़्त एहतिहात की ज़रूरत है।

# ज़ोजए मफ़क़ूद का बयान

**मसला:**– जिस औरत का शौहर लापता हो मालूम नहीं मर गया या ज़िन्दा है तो अगरचे बरसों गुज़र जायें, औरत किसी और मर्द

Scanned by CamScanner

से निकाह नहीं कर सकती। उस पर लाज़िम है कि सब्र व इंतज़ार करे यहां तक कि उसके शौहर की विलादत को सत्तर बरस गुज़र जायें। मसलन तीस साल की उम्र में लापता हुआ तो औरत चालीस बरस इंतज़ार करे। इस मुद्दत के गुज़र जाने पर काज़ी उस की मौत का हुक्म करे। बाद हुक्म, औरत चार महीने दस दिन इद्दत बैठे। इद्दत गुज़ार कर जिससे चाहे निकाह करे। (फ़तावा रिज़विया) और यह कि ज़रूरियात ज़िन्दगी कहां से मय्यसर होंगी। जवानी कैसे गुज़रेगी एक मोहमल और नाक़ाबिल कुबूल उज़्र है। उस उज़्र के बाअस हराम को हलाल नहीं ठहराया जा सकता कि हुक्म शरअ के लिए है न कि अपनी ख़्वाहिश नफ़स के लिए। काज़ी इस्लाम के फ़ैसले से पहले यह औरत शौहर वाली है और कु रआन करीम साफ फ़रमा रहा है कि :- وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ यानी तुम पर शौहर वाली बीबीयां हराम की गईं।

बहुत कमसिन लड़कियां कि बेवा हो जाती हैं, हिन्दुओं की रीत में उम्र भर निकाह का नाम नहीं लेतीं और पाक दामनी से ज़िन्दगी बसर करती हैं उस वक़्त ज़रूरत व जवानी किधर चली जाती है। हज़ारों वे हैं जिन के शौहर ज़िन्दा मौजूद हैं। मगर उनकी तरफ़ से कतअन बरगशता दर व गरदां। न नान नफ़्क़ा देते हैं न तलाक़ दे कर उसका पीछा छोड़ते हैं। वह अपनी उम्र क्योंकर गुज़ारती हैं। हम ने खुद देखा कि उनकी पाक दामनी पर, उम्र भर कोई दाग़ न आया। मरते मर गईं मगर किसी को उंगली उठाने का मौका न दिया। बाप दादा की इज़्ज़त सीने से चिमटाये रहीं और खुदा को प्यारी हो गईं। और जिन्हें बिगड़ना ही है वह शौहरों की मौजूदगी के बावजूद बद चलनी में मुलव्विस हो जाती हैं।

Scanned by CamScanner

ख़ुदा और रसूल की बारगाह में बाज़ पुर्स का ख़ौफ़ हो तो क़दम नहीं डगमगाते और यह जो बाज़ का ज़ोअम है कि शौहर की गुमशुदगी को चार साल गुज़रने पर औरत को निकाह सानी का अख़्तियार इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि के मज़हब में हासिल हो जाता है। महज़ जहल और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि के मज़हब से ना वाक़िफ़ी है। उनके यहां भी क़ाज़ी शरअ के रू ब रू औरत के दावा करने और उसके हुक्म से पहले अगर बीस बरस गुज़र जायें तो वह मोतबर नहीं। औरत पहले मुद्दइया हो और क़ाज़ी शरअ तफ़्तीश कराये अब साबित हो जाये कि वाकई वह लापता है तो औरत को चार साल की मोहलत दी जाती है। उसके गुज़रने पर क़ाज़ी तफ़रीक़ करता है। अब औरत इद्दत गुज़ार कर निकाह कर सकती है और दावा व हुक्म क़ाज़ी न हो तो न तफ़रीक़ न निकाह सानी। (फ़तावा रिज़विया वग़ैरह)

# इद्दत का बयान

शौहर के तलाक़ देने या उस के वफ़ात पा जाने के बाद, औरत का निकाह ममनूअ होना, और एक ज़माना मोअय्यना तक इंतजार करना। इसे इस्तिलाह शरअ में इद्दत कहते हैं। औरत के लिए इस इंतज़ार की मुद्दते मुतअय्यन में बहुत हिक्मतें और मसलहतें हैं। एक तरफ़ तो शौहर को ठंडे दिल से ग़ौर व फ़िक्र का पूरा मौक़ा मिल जाता है और तलाक़ रजई की सूरत में वह रजअत के ज़रिये और बाइन (जबकि मुग़ल्लिज़ा न हो) की सूरत में बज़रिया निकाह वह अपना घर दोबारा आबाद कर सकता है और दूसरी तरफ़ औरत के हमल की बाबत पूरी तहक़ीक़ हो जाती है और दोनों उम्र भर की

एक खलिश से महफूज़ रहते हैं और तलाकन के बाद बेवा का मसला भी कुछ कम अहमियत नहीं रखता। बेवा के साथ दुनिया के किसी दूसरे मज़हब ने कोई खास तवज्जोह बरती ही नहीं है बल्कि बाज़ मज़हबों ने तो सती वग़ैरह को जायज़ करके बेवा को ज़िन्दा ही जला दिया है। इस्लाम ने बेवा को ज़िन्दा रहने, पूरी तरह ज़िन्दा रहने, सुहागनों की तरह ज़िन्दा रहने का हक़ अता किया। अल्बत्ता उसे इसका पाबन्द बनाया कि वह ज़माना इद्दत में बाहर न निकले, बनाव सिंगार न करे। हां ज़माना मुतअय्यना गुज़र जाने पर उसे अख्तियार है कि जिस जायज़ व शरई तौर पर चाहे अपनी ज़िन्दगी गुज़ारे, इद्दत वफ़ात में सिर्फ यही मकसूद नहीं कि औरत का हामला, ग़ैर हामला होना मालूम हो जाये बल्कि शौहर की मौत का सोग भी है।

**मसला:-** हाईज़ा, ग़ैर हाईज़ा, हामला, ग़ैर हामला, सग़ीरा, कबीरा, मदखूला, ग़ैर मदख़ूला के लिए इद्दत के अहकाम जुदागाना हैं जिनकी तफ़सील बड़ी किताबों से मालूम करें या सुनें। उलमाए किराम की तरफ़ मुतव्वज्जोह हों। हम ज़रूरी व अहम मसाइल पर इकतिफ़ा करते हैं।

**मसला:-** निकाह ज़ायल होने के बाद उस वक़्त इद्दत है कि शौहर का इंतकाल हुआ हो या खिलवत सहीहा हुई हो। ज़ानिया के लिए इद्दत नहीं अगरचे हामला हो और यह निकाह कर सकती है मगर जिस ज़माने से हमल है उसके सिवा दूसरे से करे तो जब तक बच्चा पैदा न हो वती जायज़ नहीं। और जिस का हमल है उसी से निकाह करे तो शौहर वती भी कर सकता है। (दुर्रे मुख्तार वग़ैरह)

**मसला:-** तलाक़ की इद्दत जबकि औरत मदखूला हो या खिलवत वाकेअ हो चुकी हो और औरत को हैज़ आता हो और उसे हमल

भी न हो बाअल्फ़ाज़े दीगर हाईज़ा व मद खूला ग़ैर हामला की इद्दत, पूरे तीन हैज़ हैं।

**मसला:**– तलाक़ की इद्दत ग़ैर मदखूला पर असलन नहीं अगरचे कबीरा हो।

**मसला:**– तलाक़ व फ़सखे निकाह की सूरत में, ग़ैर हैज़ वाली के लिए इद्दत, तीन महीने हैं ख़्वाह औरत नाबालिग़ा सग़ीरा हो कि अभी हैज़ आया ही नहीं। या कबीरा आईसा (जो सन् अयास को पहुंच चुकी यानी) अब उम्र हैज़ की न रही। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

**मसला:**– अगर तलाक़ या फ़सख़ चान्द की पहली तारीख़ को हो अगरचे अस्र के वक़्त तो चान्द के हिसाब से तीन महीने वरना हर महीना तीस दिन का क़रार दिया जाये यानी इद्दत के कुल दिन नव्वे होंगे। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला:**– तलाक़ की इद्दत वक़्त तलाक़ से है। अगरचे औरत को इसकी इत्तला न हो शौहर ने उसे तलाक देदी है और तीन हैज़ आने के बाद मालूम हुआ तो इद्दत खत्म हो चुकी। (जोहरा नीयरह)

**मसला:**– मर्द तलाक़ देकर मुकर गया। औरत ने क़ाज़ी के पास दावा किया और गवाहों से तलाक़ देना साबित कर दिया और क़ाज़ी ने दोनों में अलहदगी का हुक्म दिया तो इद्दत वक़्त तलाक़ से है। उस वक़्त से नहीं। (आलमगीरी)

**मसला:**– हैज़ की हालत में तलाक़ दी तो यह हैज़ इद्दत में शुमार न होगा तलाक़ की इद्दत (हाईज़ा के लिए) तीन हैज़ कामिल हैं यानी तलाक़ के बाद एक नया हैज़ आये फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब यह तीसरा हैज़ खत्म होगा उस वक़्त इद्दत से निकलेगी और उसे जिससे चाहे निकाह करना जायज़ होगा। (आमए कुतुब व फ़तावा रिज़वियह)

Scanned by CamScanner

**मसला:**– औरत हामला है तो इद्दत वज़अे हमल है। इद्दत ख़्वाह तलाक़ की हो या वफ़ात की और वज़अ हमल से इद्दत पूरी होने के लिए कोई खास वक़्त मुकर्रर नहीं मौत या तलाक़ के बाद जिस वक़्त बच्चा पैदा हुआ हो इद्दत खत्म हो जायेगी अगरचे एक मिनट बाद। (जोहरा नीयरह)

**मसला:**– हमल साकित हो गया और आज़ा बन चुके हैं तो इद्दत पूरी हो गई वरना नहीं और अगर दो या तीन बच्चे एक हमल से हुए तो पिछले के पैदा होने से इद्दत पूरी हो जायेगी। (जोहरा नीयरह)

**मसला:**– वफ़ात की इद्दत चार महीने दस दिन है यानी दसवीं रात भी गुज़रे औरत ख़्वाह सग़ीरा हो या कबीरा, मदखूला हो या ग़ैर मदखूला या अगरचे शौहर नाबालिग़ हो। मगर इस इद्दत में शर्त यह है कि औरत को हमल न हो। (जोहरा नीयरह)

**मसला:**– शौहर की वफ़ात पहली तारीख को हो तो चान्द से महीने लिए जायें वर्ना आज़ाद औरत के लिए एक सौ तीस दिन यानी हर महीना तीस दिन का करार दिया जाये जैसा कि इद्दत तलाक़ ग़ैर हाईज़ा में गुज़रा। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

## ज़रूरी निहायत ज़रूरी

इद्दत में निकाह हराम कतई है बल्कि निकाह तो बड़ी चीज़ है कुरआन अज़ीम ने इद्दत में निकाह के सरीह पैग़ाम को भी हराम फ़रमाया। बल्कि इद्दत गुज़रने के बाद निकाह के वादा को भी हराम फ़रमाया.............................................सिर्फ़ इसकी इजाज़त दी है कि दिल में ख्याल रखो या कोई पहलूदार बात ऐसी कहो जिससे बाद इद्दत इरादा निकाह का इशारा निकलता हो। साफ़ साफ़ यह ज़िक्र

न हो कि मैं बाद इद्दत तुम ................ चाहता हूं। यहां तक कहना भी हराम है तो खुद निकाह कर लेना क्योंकर हलाल होगा। फिर पहलूदार बात भी इद्दत वफ़ात वाली से कहना जायज़ है। इद्दत तलाक़ वाली से बिजमाअ उम्मत वह भी जायज़ नहीं।

यूंही जब तक शौहर ज़िन्दा है अगरचे न वह औरत की खबर गीरी करता है न नान नुफ़का देंता है न बादजूद मुतालबा उसे तलाक़ देता है। अगरचे वह किसी औरत से निकाह कर चुका है औरत के लिए दूसरा निकाह करना हराम हराम हराम, ज़िना ज़िना ज़िना है।

और यह वसवसे कि औरत को कोई खाना कपड़ा देने वाला नहीं है न उसे कोई क़र्ज़ देता है न उसके पास कोई असासा है कि उसे फ़रोख्त करके बसर औक़ात करे। न वह दस्त कार है कि़ उसकी उजरत से अपनी ज़रूरीयात पूरी कर सके अगर निकाह सानी न करेगी तो ज़िनाकारी में मुबतला हो जायेगी, महज़ शैतानी वसवसे और ला यानी खतरे हैं ज़िना के आईन्दा वहम से बचने के लिए, नाम निकाह की आड़ में ज़िना कराओ यह कौन सा दीन है।

अज़ीज़ बीबीयो! रिज़्क अल्लाह पर है। शौहर राज़िक़ नहीं और उसका वादा है कि जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए राह निकाल देगा। और उसे वहां से रिज़्क पहुंचायेगा कि उसे गुमान भी न होगा''। और बेशक अल्लाह सच्चा और उसके वादे सच्चे। और शैतान झूठा उसके डरावे झूठे।

**मसला:-** औरत को शौहर से जुदा हुए ख़्वाह कितनी ही मुद्दत क्यों न गुज़र जाये। बहुक्म कुरआन इद्दत ज़रूरी है।

**मसला:-** जो औरत तलाक़ रजई या बाईन की इद्दत में है उसे

Scanned by CamScanner

घर से निकलने की इजाज़त नहीं न दिन में न रात में जबकि वह आज़ाद आकिला बालिग़ा मुस्लिमा हो अगरचे शौहर ने उसे निकलने की इजाज़त भी दी हो और नाबालिग़ा लड़की तलाक़ रजई की इद्दत में शौहर की इजाज़त से बाहर जा सकती है। बग़ैर इजाज़त नहीं। और बाईन तलाक़ की इद्दत में ना बालिग़ होने के क़रीब है तो बग़ैर इजाज़त नहीं जा सकती। (आलमगीरी दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:-** तलाक़ की इद्दत, खत्म होने तक नान नुफ़्क़ा शौहर के ज़िम्मा है और औरत शौहर ही के मकान में इद्दत पूरी करेगी जबकि क़ब्ल अज़ तलाक़ वही मकान उसके रहने का था। ज़वाल निकाह के बाअस बिल्कुल ग़ैर अजनबी औरत की तरह रहे और शौहर से पर्दा करे। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसला:-** शौहर तलाक़ के बाद औरत को जुलमन अपने घर में न रहने दे तो कोई और मकान बताए जिस में वह इद्दत पूरी करे और अगर वह मकान किराया का है तो तमाम इद्दत तक किराया शौहर के ज़िम्मे है और जब शौहर अपने मकान में रहने दे या दूसरा मकान उसके लिए बनाये तो औरत पर लाज़िम है कि फ़ौरन उस मकान में से चली जाये और ख़त्मे इद्दत तक हरगिज़ उससे बाहर न आये। (रददुलमुहतार वग़ैरह)

**तम्बीह:-** यह हैं इस्लामी शरीअत में हकुक निसवां की मिसालें, कि मियां बीवी में जुदाई के बाद भी शरीअत का हुक्म है कि इद्दत भर बीवी का एजाज़ व इकराम बरकरार रखा जाये मुतल्लिका बीबीयों की सकूनत के लिए मकान ही देना नहीं बल्कि इद्दत भर उनके खाने पीने वग़ैरह के ज़रूरी मसारिफ़ भी शौहर के जिम्मा हैं यह न हो कि तलाक़ के बाद औरत को नंगा बूचा कर के भूखा प्यासा उसी

Scanned by CamScanner

वक़्त घर से निकाल दिया जाये।

**मसला:–** औरत अपने शौहर की इजाज़त से वालदैन के घर गई। उसके पीछे उसके शौहर का इंतक़ाल हो गया तो उस पर फ़र्ज़ है कि अपने शौहर की खबर मर्ग सुनते ही फ़ौरन उसके घर यानी जहां वह रहता था चली जाए और ख़त्मे इद्दत तक वहीं रहे। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसला:–** वफ़ात की इद्दत में नफ़क़ा वाजिब नहीं। ख़्वाह औरत को हमल हो या नहीं। उसके देने से शौहर के दूसरे वरसा इन्कार करें तो बेशक बजा है। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसला:–** जो औरत बे इजाज़त शौहर, घर से चली जाया करती है इस बिना पर उसे तलाक़ दे दी तो इद्दत का नफ़क़ा नहीं पायेगी। हां अगर बाद तलाक़, शौहर के घर रही और बाहर जाना छोड़ दिया तो पायेगी। (आलमगीरी)

# बच्चा की परवरिश का बयान

माल व मताअ ज़िन्दगी की मुहब्बत बाज़ औक़ात इंसान पर ऐसी ग़ालिब आ जाती है कि अपने अहल व अयाल व औलाद पर भी माल खर्च करना उसे गवारा नहीं होता। यहां तक ज़मानए जिहालत में औलाद पर खर्च करने के मुक़ाबला में औलाद को क़त्ल कर डालना तक गवारा कर लिया जाता था। शरीअत इस्लामिया ने उस शजरे खबीस की भी जड़ काट दी और बार बार बा ताकीद यह अहकाम दिए कि जो अमीर हैं वह अपनी इमारत के लायक़ और जो ग़रीब हैं वह अपनी बिसात के मुवाफ़िक़ औलाद की तरबियत व परवरिश में दरेग़ न करें।

Scanned by CamScanner

इस सिलसिला के बाज़ अहकाम यह हैं:-

**मसला:-** बच्चे की परवरिश का हक़ मां के लिए है। ख़्वाह वह निकाह में हो या निकाह से बाहर हो गई हो। हां अगर वह बदचलन है तो बच्चा उसकी परवरिश में उस वक़्त तक रहेगा कि नासमझ हो जब कुछ समझने लगे तो अलहदा कर लें कि बच्चा मां को देख कर वही आदतें अख़्तियार करेगा जो उसकी मां में हैं। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला:-** अगर बच्चे की मां ने बच्चा के नसब में ग़ैर मेहरम से निकाह कर लिया तो उसे परवरिश का हक़ न रहा। (रददुलमुहतार)

**मसला:-** अगर बच्चे की मां दूध पिलाने से इंकार करे और बच्चा दूसरी औरत का दूध न लेता हो मुफ़्त कोई दूध नहीं पिलाती और बच्चा या उसके बाप के पास माल नहीं तो मां दूध पिलाने पर मजबूर की जायेगी। (रददुलमुहतार)

**मसला:-** मां की परवरिश में बच्चा हो और वह उसके बाप के निकाह या इद्दत में हो तो परवरिश का मुआवज़ा नहीं पायेगी। वरना उसका भी हक़ ले सकती है और दूध पिलाने की उजरत और बच्चा का नफ़क़ा भी, और अगर उसके पास रहने का मकान न हो तो यह भी। और बच्चे को ख़ादिम की ज़रूरत हो तो यह भी। और यह सब इख़राजात अगर बच्चे का माल हो तो उससे दिये जायें वरना जिस पर बच्चे का नफ़क़ा है उसके ज़िम्मा यह सब भी हैं। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:-** मां अगर न हो या परवरिश की अहल न हो या उसने इंकार कर दिया या अजनबी से निकाह कर लिया तो अब हक़ परवरिश

नानी के लिए है। यह भी न हो तो नानी की मां, इसके बाद दादी, फिर हकीकी बहन, फिर मादरी बहन यानी जो उस बच्चे से सिर्फ मां में शरीक हो और बाप में जुदा फिर सौतेली बहन फिर हकीकी और मादरी बहनों की बेटियां। फिर सगी खाला, फिर मादरी खाला, फिर सौतेली खाला, फिर सौतेली भांजी या सौतेली बहन की बेटी फिर सगी भतीजी, फिर मां शरीक भाई की बेटी फिर सौतेले भाई की बेटी, फिर इसी तरतीब से फूफियां।

फिर मां की खाला, फिर बाप की खाला, फिर मां की फूफियां, फिर बाप की फूफियां और इन सब में भी वही तरतीब है कि पहले हकीकी फिर अखयानी, फिर सौतेली यह सब मिल कर बत्तीस औरतें हैं।

और अगर कोई औरत परवरिश करने वाली न हो या हो मगर उस का हक साकित हो तो हक़े परवरिश, ब तरतीब विरासत बच्चे के मर्द असबात को है उनमें सबसे मुकददम बाप है फिर दादा, फिर सगा भाई, फिर सौतेला भाई, फिर सगा भतीजा, फिर सौतेला फिर सगा चचा फिर सौतेला, फिर चचा के बेटे, मगर लड़की को चचा ज़ाद भाई की परवरिश में न दें। खसूसन जब कि मुशतहाता (काबिल शहवत) हो।

और अगर असबात भी न हों तो हक परवरिश ज़विल अरहाम को है। असबा मर्दों के होते हुए नाना मामू वग़ैरहम को हक परवरिश हासिल नहीं और उन बत्तीस औरतों में से जिन्हें हक परवरिश हासिल है, किसी औरत के होते बच्चे के बाप दादा पर दादा चचा वग़ैरह असबात को परवरिश का हक नहीं। (फतावा रिज़वियह रददुलमुहतार वग़ैरहुमा)

Scanned by CamScanner

**मसला:–** जिस औरत को हक्के परवरिश हासिल है, उसके पास लड़के को उस वक़्त तक रहने दें कि अब उसे उसकी हाजत न रहे यानी आप खाना पीना, पहनना और इस्तिंजा कर लेता हो। इस की मिक्दार सात बरस की उम्र है और लड़की उस वक़्त तक औरत की परवरिश में रहेगी कि हद्दे शहवत को पहुंच जाये इसकी मिक्दार नौ बरस की उम्र है। (खानिया बहरुर्राइक वग़ैरहुमा)

**मसला:–** लड़का बालिग़ न हुआ मगर काम के क़ाबिल हो गया है तो उसे किसी काम में लगाने या काम सिखाने या नौकरी व मज़दूरी के क़ाबिल हो और बाप उससे नौकरी या मज़दूरी कराना चाहे तो इन सब से मुक़्क़दम यह है कि बच्चों को कुरआन करीम पढ़ायें। दीन की ज़रूरी बातें सिखायें, नमाज़ रोज़ा तहारत, खरीद व फ़रोख़्त और दीगर मामलात के मसाइल जिन की रोज़ मर्रा हाजत पड़ती है, उनकी तालीम दें और नावाक़िफ़ी के बाअस, खिलाफ़ शरअ बातों में मुबतला होने से बचायें कि उसी में दीन व दुनिया का भला है और उसी में खुदा व रसूल की खुशनूदी।

यूंही लड़की को भी अक़ाइद अहले सुन्नत व जमाअत और ज़रूरी मसाइल सिखाने के बाद किसी औरत से सीना पिरोना, काढ़ना और नक़्श व निगार वग़ैरह ऐसे काम सिखायें जिनकी औरतों को अक्सर ज़रूरत पड़ती है और खाने पकाने और खानादारी के कामों में उसे सलीक़ा मन्द और सघड़ बनाने की कोशिश करें कि सलीक़ा वाली औरत जिस खूबी से ज़िन्दगी बसर कर सकती है, बदसलीक़ा नहीं कर सक़ती। आज की सही तरबियत पर आइन्दा की खुश हाल ज़िन्दगी का बड़ा दारो मदार है।

**मसला:–** लड़की को नौकर न रखायें जिसके पास नौकर रहेगी

Scanned by CamScanner

ऐसा भी होगा कि मर्द के पास तन्हा रहे और यह बड़ी ऐब की बात है। (रददुल मुहतार) तन्हा लड़की का किसी ग़ैर के साथ रहना ऐसा है जैसे आग बारूद कि ज़रा देर में भड़क सकती है और लड़की का भड़कना उसकी तबाही व बरबादी है।

**मसला:-** लड़का सात बरस और लड़की नौ बरस की उम्र तक जिन औरतों के पास रखे जायेंगे अगर उन में कोई बेतन्ख़्वाह न माने और बच्चा नादार, बाप मालदार है तो जबरन तन्ख़्वाह दिलाई जायेगी और उस उम्र के बाद बच्चे को अपनी हिफ़ाज़त में लेना बाप पर वाजिब है अगर न लेगा तो हाकिम मजबूर करेगा। (रददुलमुहतार)

**मसला:-** जब परवरिश का ज़माना पूरा हो चुका और बच्चा बाप के पास आ गया तो बाप पर यह वाजिब नहीं कि बच्चे को उस की मां के पास भेजे, न परवरिश के ज़माने में मां पर बाप के पास भेजना लाज़िम था। हां अगर एक के पास है और दूसरा उसे देखना चाहता है तो देखने से मना नहीं किया जा सकता। (दुर्रे मुख़्तार)

## नफ़क़ा का बयान

नफ़्क़ा से मुराद खाना कपड़ा और रहने का मकान है और किस का नफ़्क़ा, किस पर, कितना और किन हालात में लाज़िम व ज़रूरी है। शरीअत मुतहहरा ने उसे तफ़सील से बयान फ़रमाया और बताया कि नफ़्क़ा वाजिब होने के तीन सबब हैं।

१. ज़ोजियत यानी मियां बीबी का रिश्ता (२) नसब (३) मिल्क

हम यहां सिर्फ़ ज़ोजियत और नसब से मुतािल्लक चन्द मसाइल पर इक्तिफ़ा करते हैं

Scanned by CamScanner

**मसलाः–** जिस औरत से निकाह सहीह हुआ उसका नफ़का शौहर पर वाजिब है अगरचे वह नाबालिग़ हो मगर नाबालिग़ में शर्त यह है कि जिमाअ की ताक़्त रखती हो या मुशतहाता हो कि हद शहवत को पहुंच जाये और शौहर की जानिब कोई शर्त नहीं अगरचे सग़ीरुलसिन कमसिन हो। (आलमगीरी, दुर्रे मुख़्तार)

**मसलाः–** हम बिस्तरी के बाद अगर औरत शौहर के यहां आने से इंकार करती है तो अगर मेहर मुअज्जल का मुतालबा करती है कि दे दो तो चलूं तो नुफ़्क़ा की मुस्तहिक़ है वरना नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसलाः–** जिस मकान में औरत रहती है वह उसकी मिल्क है और शौहर का आना वहां बन्द कर दिया तो नुफ़का नहीं पायेगी। हां अगर उसने शौहर से कहा कि मुझे अपने मकान में ले चलो या मेरे लिये किराया का कोई मकान ले दो और शौहर न ले गया तो नफ़का की मुस्तहिक़ है कि क़सूर शौहर का है। (आलमगीरी)

**मसलाः–** औरत शौहर के घर बीमार हुई या मैके में थी और बीमार होकर उसके यहां गई या अपने ही घर रही मगर शौहर के यहां जाने से इंकार न किया तो नुफ़का वाजिब है और अगर शौहर के यहां बीमार हुई और अपने मैके चली गई और अगर इतनी बीमार है कि डोली वग़ैरह पर भी नहीं आ सकती तो नुफ़का की मुस्तहिक़ है और अगर आ सकती है मगर नहीं आई तो नहीं। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसलाः–** औरत शौहर के यहां से नाहक़ चली गई तो नफ़का नहीं पायेगी जबकि वापस न आये और अगर उस वक़्त वापस आई कि शौहर मकान पर नहीं बल्कि परदेस चला गया है जब भी नुफ़का की मुस्तहिक़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसलाः–** अगर मर्द और औरत दोनों मालदार हों तो नफ़का

मालदार का सा होगा और दोनों मोहताज हों तो मोहताजों का सा। और एक मालदार है दूसरा मोहताज तो औसत दर्जे का यानी मोहताज जैसा खाते हों उससे उम्दा और अग़नीया (मालदार) जैसा खाते हों उससे कम। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसलाः-** नुफ़्क़ा का तअय्युन रुपयों से नहीं किया जा सकता कि हमेशा इतने ही रुपये दिये जायें इसलिए कि नर्ख़ बदलता रहता है। अरज़ानी और गिरानी दोनों के मसारिफ़ यकसां नहीं हो सकते। (आलमगीरी)

**मसलाः-** औरत जब रुख़सत होकर आई तो उसी वक़्त से शौहर के ज़िम्मे उसका लिबास है। अगरचे औरत के पास कितने ही जोड़े हों। (रद्दुलमुहतार)

**मसलाः-** साल में कम अज़ कम दो जोड़े देना वाजिब है। हर शशमाही पर एक जोड़ा। मगर इसका लिहाज़ ज़रूरी है कि अगर दोनों मालदार हों तो मालदारों के से कपड़े हों और मोहताज वग़ैरह हों तो ग़रीबों के से। और एक मालदार हो एक मोहताज तो औसत हों जैसे खाने में तीनों बातों का लिहाज़ है। (दुर्रे मुख़्तार रद्दुलमुहतार)

**मसलाः-** लिबास में उस शहर के रिवाज का एतबार है जाड़े गर्मी में जैसे कपड़ों का वहां चलन है वह दे। और अदना मोज़े जो जाड़ों में सर्दी की वजह से पहने जाते हैं यह देने होंगे। (रद्दुलमुहतार)

**मसलाः-** नफ़्क़ा का तीसरा जुज़ सुकना है यानी रहने का मकान कि शौहर रहने के लिए जो मकान दे वह ख़ाली हो यानी शौहर के मुताल्लिकीन वहां न रहें और अगर उस मकान में शौहर के मुताल्लिकीन रहते हों और औरत ने इसी को अख़्तियार कर लिया

Scanned by CamScanner

कि सब के साथ रहे तब भी मुज़ायका नहीं जैसा कि आम तौर पर हमारे इतराफ़ व बलाद में दस्तूर है। हां यह लिहाज़ ज़रूरी है कि शौहर के रिशतेदार उसे नाहक़ ईज़ा न दें। (दुर्रे मुख़्तार, रद्दुलमुहतार)

**मसला:–** औरत अपनी सोत या शौहर के मुताल्लिक़ीन के साथ रहना नहीं चाहती तो अगर मकान में कोई ऐसा दालान उसको देदे जिसमें दरवाज़ा हो और औरत उसे बन्द कर सकती हो कि उस का सामान महफ़ूज़ रहे तो अब दूसरा मकान तलब करने का उसे अख़्तियार नहीं। बशर्तेकि शौहर के रिशतेदार, औरत को तकलीफ़ न पहुंचाते हों। (आलमगीरी, रद्दुलमुहतार)

**मसला:–** औरत तन्हा मकान चाहती है और शौहर मालदार है तो उसे ऐसा मकान दे जिसमें पाख़ाना गुस्ल ख़ाना, बावरची ख़ाना वग़ैरा ज़रूरीयात अलहदा हों और ग़रीबों में ख़ाली एक कमरा दे देना काफी है। अगरचे गुस्ल ख़ाना वग़ैरह मुशतर्का हो। (रद्दुलमुहतार)

**मसला:–** यह बात ज़रूरी है कि औरत को ऐसे मकान में रखे जिस के पड़ोसी सालिहीन हों कि फ़ासिक़ों बदचलनों में ख़ुद भी रहना अच्छा नहीं कि ऐसे मक़ाम पर औरत का होना। अगर मकान बहुत बड़ा हो कि औरत वहां तन्हा रहने से घबराती और डरती है तो वहां कोई ऐसी नेक औरत रखे जिससे दिल बसतगी हो और जी बहलता रहे या औरत को कोई दूसरा मकान दे जो इतना बड़ा न हो और उस के हमसाया नेक लोग हों। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

**मसला:–** औरत के वालदैन हर हफ़्ता में एक बार अपनी लड़की के यहां आ सकते हैं शौहर मना नहीं कर सकता। हां अगर रात में वहां रहना चाहते हों तो शौहर को मना करने का अख़्तियार है।

यूंही औरत अपने वालदैन के यहां हर हफ़्ता में एक बार जा सकती है मगर रात बग़ैर इजाज़त अपने शौहर वहां नहीं रह सकती और गैरों के यहां जाने या उनकी इयादत करने या शादी वगैरह तक़रीबों में शिर्कत से मना कर दे औरत बग़ैर इजाज़त जायेगी तो गुनाहगार होगी और इजाज़त से गई और वहां पर्दा का ख्याल न रखा और शौहर को यह बात मालूम है तो दोनों गुनहागार हुए। (दुर्रे मुख़्तार वग़ैरह)

**मसला:-** जिस काम में शौहर की हक़ तल्फ़ी न होती हो न उसमें कोई नुक़सान हो अगर औरत घर में वह काम कर लिया करे जैसे कपड़ा सीना पिरोना काढ़ना या ऐसे ही और दूसरे काम जिन के लिए घर से बाहर न जाना पड़े तो ऐसे कामों से मना करने की हाजत नहीं। खसूसन जबकि शौहर घर न हो कि इन कामों से जी बहलता रहेगा और बेकार बैठेगी तो वसवसे और खतरे पैदा होते रहेंगे और लायानी व फ़ुजूल बातों में मशगूल होगी। (रददुलमुहतार)

**मसला:-** नाबालिग़ औलाद का नफ़्क़ा बाप पर वाजिब है जब कि औलाद की मिल्क में माल न हो और बालिग़ बेटा अगर अपाहिज या मजनू या नाबीना हो कमाने से आजिज़ हो और उसके पास माल न हो तो उस का नुफ़्क़ा भी बाप पर है और लड़की जबकि माल न रखती हो और शादी शुदा भी न हो तो उसका नफ़्क़ा बहरहाल बाप पर है अगरचे उसके आज़ा सलामत हों और लड़की जब जवान हो गई और उसकी शादी कर दी तो अब शौहर पर नफ़्क़ा है बाप सबुकदोश हो गया। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला:-** अगर बाप मुफ़लिस है तो कमाये और बच्चों को खिलाये और कमाने से भी आजिज़ है मसलन अपाहिज है तो दादा के जिम्मे नफ़्क़ा है कि खुद बाप का नफ़्क़ा भी इस सूरत में

Scanned by CamScanner

उसी के ज़िम्मे है। (रददुल मुहतार)

**मसला:–** किसी शख़्स के मसलन दो बेटे हैं एक फ़क़्त मालिके निसाब है और दूसरा बहुत मालदार है तो नफ़्क़ा दोनों पर बराबर बराबर है। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:–** मां का नुफ़्क़ा भी बेटे पर है अगरचे अपाहिज न हो, अगर बेटा नादार हो यानी जबकि वह बेवा हो और अगर निकाह कर लिया है तो उसका नफ़्क़ा शौहर पर है और अगर उसके बाप के निकाह में है और बाप और मां दोनों मोहताज हों तो दोनों का नफ़्क़ा बेटे पर है। (दुर्रे मुख़्तार, रददुलमुहतार)

**मसला:–** बेटा अगर मां बाप दोनों को नफ़्क़ा नहीं दे सकता मगर एक का दे सकता है तो मां ज़्यादा मुसतहिक़ है। और अगर वालदैन में से किसी का पूरा नफ़्क़ा न दे सकता हो तो दोनों को अपने साथ खिलाए जो खुद खाता पीता पहनता हो उसमें से उन्हें भी खिलाए पिलाये और पहनाये।

**मसला:–** बाप बेटा दोनों नादार हैं मग़र बेटा कमाने वाला है तो बेटे को हुक्म दिया जाएगा कि बाप को भी हमराह ले ले जबकि तन्हा हो और अगर बाल बच्चों वाला है तो मजबूर किया जायेगा कि बाप को भी हमराह ले ले। (आलमगीरी)

**मसला:–** जो रिश्तेदार महारम हों (यानी वह कि उनसे निकाह हमेशा के लिए हराम है) उनका भी नुफ़्क़ा वाजिब है जबकि हाजतमन्द हों या नाबालिग़ या औरत और रिश्तेदार बालिग़ मर्द हो तो यह भी शर्त है कि वह कमाने से आजिज़ हो मसलन दीवाना है या उस पर फ़ालिज गिरा है या अपाहिज है या नाबीना। और यह आजिज़ न हो तो वाजिब नहीं अगरचे मोहताज हो और औरत में बालिग़ नाबालिग़

Scanned by CamScanner

की कैद नहीं बल्कि अगर कमाने पर कादिर है जब भी नफ़्का वाजिब है।

**मसला:-** हां अगर वह कोई काम करती है जिससे उसका खर्च चलता है तो अब उस का नुफ़्का रिशतेदार पर फ़र्ज़ नहीं। यूंही अन्धा वग़ैरह भी कमाता हो तो अब किसी और पर उसका नफ़्का फ़र्ज़ नहीं। (रददुलमुहतार)

**मसला:-** औरत का शौहर तंग दस्त है और भाई मालदार है तो भाई को खर्च करने का हुक्म दिया जायेगा। फिर जब शौहर के पास माल हो जाये तो वापस ले सकता है।

**मसला:-** क़रीबी रिशतेदार ग़ायब है और दूर वाला मौजूद है तो नफ़्का उस दूर के रिशतेदार पर वाजिब है। (दुर्रे मुख़्तार)

## मजालिसे ख़ैर का बयान

**मसला:-** मीलाद शरीफ़ यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की विलादते अक़दस का बयान जायज़ भी है और बहुत सी बरकतों और रहमतों के नाज़िल होने का आला ज़रिया भी। इस मजलिस पाक में हुजू र अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के फ़ज़ाइल व मोजिज़ात, आप की सीरत मुबारक, आप की मुबारक ज़िन्दगी के वाक़िआत भी बयान होते हैं। इन चीजों का बयान अहादीस में भी है और कुरआन मजीद में भी। अगर मुसलमानाने अहले सुन्नत अपनी महफ़िल में बयान करें बल्कि खालिस इन बातों के बयान करने के लिए महफ़िलें मुन्अक़िद करें। इसके लिए फर्श व रोशनी का अच्छा इन्तज़ाम करें। लोगों को बुलावे दें। इसके लिए तारीख मुकर्रर करें। पढ़ने वाले खुश अल हानी से हम्द व नाअत

पढ़ें तो यह सब बातें जायज़ हैं। इनके नाजायज़ होने की कोई वजह नहीं।

इस मजलिस के लिए लोगों को बुलाना और शरीक करना ख़ैर की तरफ़ बुलाना है जिस तरह वाअज़ और मजलिसों के एलान किये जाते हैं इश्तिहारात छपवाकर तक़सीम किये जाते हैं। अख़बारात में उसके मुताल्लिक मज़ामीन शाया होते हैं और उनकी वजह से वह वाअज़ और जलसे नाजायज़ नहीं हो जाते। इसी तरह ज़िक्र पाक साहब लोलाक के लिए बुलावा देने से इस मजलिस को नाजायज़ व बिदअत नहीं कहा जा सकता।

इसी तरह मीलाद शरीफ़ में शीरीनी बांटना भी जायज़ है। मिठाई बांटना नेकी व सिलारहमी है। जबकि यह महफ़िल जायज़ है तो शीरीनी तक़सीम करना जो एक जायज़ काम था इस मजलिस को नाजायज़ नहीं करेगा। और यह कहना कि लोग उसे ज़रूरी समझते हैं इस वजह से नाजायज़ है यह भी गलत है कोई भी उसे फ़र्ज़ या वाजिब व ज़रूरी नहीं जानता। बीसों क्या, ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम बरपा करने वाली कमेटियों के इन्तज़ाम में सैकड़ों महफ़िलें ऐसी होती हैं कि मीलाद शरीफ़ हुआ और मिठाई तक़सीम नहीं हुई।

इस मजलिस में ज़िक्रे विलादत के वक़्त कियाम किया जाता है यानी खड़े हो कर दरूद सलाम पढ़ते हैं और नीयत यह होती है कि जब हमारा दरूद सलाम हुज़ूर की बारगाह में पेश हो तो उसी ताज़ीमी हैयात के साथ पेश हो। उलेमाए किराम ने इस कियाम को मुस्तहसन और बाअेसे सवाब फ़रमाया। बाज़ बुज़ुरगाने दीन को इस मजलिस पाक में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की ज़ियारत

का शर्फ़ भी हासिल हुआ है। अगरचे यह नहीं कहा जा सकता कि हुज़ूर इस मौक़ा पर तशरीफ़ लाते ही हैं। मगर किसी गुलाम पर अपना करम खास फ़रमायें और तशरीफ़ ले आयें तो उनके करम से कुछ बईद भी नहीं।

**मसला:**- मजालिसे मीलाद शरीफ़ में या और दूसरी मजलिसों में वही रिवायतें बयान की जायें जो मुसतनद और क़ाबिले एतमाद किताबों में मज़कूर हैं। अफ़साने और गढ़े हुए क़िस्से हरगिज़ हरगिज़ बयान न किये जायें कि खैर व बरकत की बजाये ऐसी बातों के बयान करने में और गुनाह होता है। (बहारे शरीअत)

**मसला:**- औरतें अगर खुद मीलाद शरीफ़ पढ़ें तो इन तमाम बातों के अलावा उन्हें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनकी आवाज़ घर से बाहर न जाये। अजनबियों या ग़ैरमर्दों के कानों में न पहुंचने पाये और जो किताबें पढ़ी जायें या रिवायतें बयान की जायें वह बे सरूपा कहानियां न हों इसी तरह जो नाअतें और हम्द वग़ैरह पर मुशतमिल पढ़ी जायें वह किसी मग़रूर या शायर बे शऊर की न हों कि ऐसों में वह अदब व ताअज़ीम कहां जो उस जनाब पाक के शायाने शान है। न अक़ीदों न शरअ की बातों का ख्याल होता है। न खुदा और रसूल से शर्म, न बुज़रगाने दीन का लिहाज़। यूंही इस अम्र बतौर खास का एहतमाम करें कि औरतें पूरी तवज्जोह से बाअदब इस महफ़िल में शरीक हों यह न हो कि नाम मीलाद शरीफ़ में शिरकत का और कुछ सुनें न सुनायें मीठी मीठी अपनी कचरियां पकायें। अपनी मजलिस अलग जमायें और बे सरूपा बातों में वक़्त गवायें बल्कि ग़ीबत के दरवाज़े खोलें अपने करतूतों पर नज़र न हो दूसरों के आमाल तोलें। वला हौला वलाकुव्वत इल्लाबिल्लाहिल

Scanned by CamScanner

आलीय्यिल अज़ीम।

**मसलाः-** खुलफ़ाए राशिदीन रज़िअल्लाहु तआला अन्हुम की वफ़ात की तारीखों में मजलिस मुन्अक़िद करना और उनके हालात व कमालात से मुसलमानों को आगाह करना भी जायज़ है कि वे हज़रात अहले इस्लाम के मुक़तदा व पेशवा हैं। उनकी ज़िन्दगी के कारनामे मुसलमानों के लिए मिस्ले हिदायत हैं और उनका ज़िक्र बाइस ख़ैर व बरकत और सबब नुज़ूल रहमत है।

**मसलाः-** अशरा मुहर्रम में मजलिस मुन्अक़िद करना और वाक़िआत करबला बयान करना जायज़ है जबकि रिवायात सही ब्यान की जायें। उन वाक़ियात में सब्र व तहम्मुल रज़ा व तस्लीम का बहुत मुकम्मल दर्स है। और पाबन्दी अहकाम शरीअत व एत्तबाअ सुन्नत का ज़बरदस्त अमली सबूत है कि दीन हक़ की हिफ़ाज़त में तमाम अज़ीज़ों रफ़ीक़ों और ख़ूद अपने को राहे खुदा में कुर्बान किया और जज़अ फज़अ का नाम भी न आने दिया। मगर उसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि अजमईन का भी ज़िक्र ख़ैर होना चाहिए। ताकि अहले सुन्नत और शिओं की मजलिसों में फ़र्क़ व इमतियाज़ रहे।

इन मजालिस में लोग इज़हारे ग़म के लिए सर के बाल बिखेरते हैं कपड़े फाड़ते हैं। सर पर ख़ाक डालते और भूसा उड़ाते हैं। यह सब नाजायज़ है और जाहिलियत के काम हैं सुन्नी मुसलमानों को उन से बचना निहायत ज़रूरी है। अहादीस में उनकी सख्त मुमानिअ़त आई है। मुसलमान मर्दों और औरतों पर लाज़िम है कि ऐसे उमूर से बचें और ऐसे काम करें जिन से अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु व अलैहि व सल्लम राज़ी हों कि यही निजात का रास्ता है।

Scanned by CamScanner

# अक़ीक़ा और ख़त्ना से मुताल्लिक़ चन्द मसाइल

**मसला:–** बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िब्ह किया जाता है उसको अक़ीक़ा कहते हैं। हमारे नज़दीक अक़ीक़ा मुबाह व मुस्तहब है। न लाज़िम व ज़रूरी है न सुन्नते मोवक्किदा। यह नहीं कि न करने पर ख़ुदा के यहां गिरफ़्त हो और आदमी पकड़ा जाये या मुजरिम क़रार पाये। हां हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ने इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ि अल्लाहु तआला अन्हुम की तरफ़ से एक या दो मेंढे का अक़ीक़ा किया। (अबूदाऊद व नसई) तो हमारे लिए भी बाअस बरकत है। उलेमाए किराम फ़रमाते हैं कि बच्चे की सलामती, उसकी नशोनुमा और उस में अच्छे औसाफ़ होना अक़ीक़ा के साथ वाबिस्ता हैं तो जिसे औलाद अज़ीज़ हो वह अक़ीक़ा न छोड़े।

**मसला:–** जब बच्चा पैदा हो तो मुस्तहब यह है कि दाहिने कान में चार मर्तबा अज़ान और बायें में तीन मर्तबा इक़ामत कही जाये। इन्शाअल्लाहु तआला उससे बलायें दूर हो जायेंगी। बहुत से लोगों में यह रिवाज है कि लड़का पैदा होता है तो अज़ान कही जाती है और लड़की पैदा होती है तो अज़ान नहीं कहते। यह न चाहिए बल्कि लड़की पैदा हो जब भी अज़ान व इक़ामत कही जाये। सातवें दिन उस का नाम रखा जाये और उसका सर मूंढा जाये और सर मुंढने के वक़्त अक़ीक़ा किया जाये कि इधर बच्चा के सर पर उस्तरा चले उधर जानवर की गर्दन पर छुरी। और बालों का वज़न करके इतनी चान्दी, और ख़ुदा दे तो सोना

ख़ैरात किया जाये। (अफ़ादात रिज़विया, बहारे शरीअत)

**मसला:–** बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। हिन्द पाक के मुसलमानों में ऐसे नाम रखने का शौक़ हो गया है जिनके कुछ मायने या उनके बुरे मायने निकलते हैं ऐसे नामों से परहेज़ किया जाये। अम्बियाए अलैहिस्सलातो वस्सलाम के असमाए मुबारक और सहाबा व ताबअीन व बुज़रगाने दीन के नाम पर नाम रखना बेहतर है उम्मीद है कि उनकी बरकत शामिले हाल हो। ऐसा नाम रखना जिस का ज़िक्र न कुरआन मजीद में आया हो न हदीसों में हो और न मुसलमानों में ऐसा नाम मुस्तअमिल हो, न रखना चाहिए। (आलमगीरी वग़ैरह)

**मसला:–** अक़ीक़ा के लिए सातवां दिन बेहतर है और सातवें दिन न कर सकें तो जब चाहे करें। सुन्नत अदा हो जायेगी। बेहतर यह है कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उस दिन को याद रखें उससे एक दिन पहले वाला दिन जब आये वह सातवां दिन होगा। मसलन जुमा को पैदा हुआ तो जुमेरात सातवां दिन है जिस जुमेरात को अक़ीक़ा करेगा। सातवां दिन का हिसाब ज़रूर आयेगा। (बहारे शरीअत वग़ैहर)

**मसला:–** लड़के के अक़ीक़े में दो बकरे और लड़की में एक बकरी ज़िब्ह की जाये यानी लड़के में नर जानवर और लड़की में मादा मुनासिब है और लड़के के अक़ीक़े में बकरियां और लड़की में बकरा किया जब भी हरज नहीं। लड़के के अक़ीक़ा में दो बकरी की जगह एक ही बकरी किसी ने ज़िब्ह की तो यह भी जायज़ है। और अक़ीक़ा में गाय ज़िब्ह की जाये तो सात हिस्सों में से दो हिस्से लड़के के लिए और एक हिस्सा लड़की के लिए काफ़ी है। गाय की कुर्बानी हुई तो उसमें अक़ीक़ा की शिर्कत हो सकती है। (आलमगीरी)

Scanned by CamScanner

**मसला:**– बच्चे का सर मूंढने के बाद सर पर ज़ाफ़रान पीस कर लगा देना बेहतर है। (हदीस)

**मसला:**– अक़ीक़ा का जानवर इन्हीं शराईत के साथ होना चाहिए जैसा कुर्बानी के लिए होता है उसका गोश्त फुक़रा अज़ीज़ व क़रीब और दोस्त अहबाब को कच्चा तक़सीम कर दिया जाये या पका कर दिया जाये या उनको बतौर ज़ियाफ़त व दावत खिलाया जाये यह सब सूरतें जायज़ हैं और अवाम में जो यह बात मशहूर है कि अक़ीक़ा का गोश्त बच्चे के मां बाप और दादा, दादी, नाना नानी न खायें यह महज़ ग़लत है इसका कोई सबूत नहीं। (आमए कुतुब)

**मसला:**– अक़ीक़ा में जानवर ज़िब्ह करते वक़्त यह दुआ पढ़ें–

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ फुलां (बिन्त) इब्न फुलां (यहां बच्चा और उसके बाप का नाम लें)

دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لَّهٗ مِنَ النَّارِ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ

लड़की के लिए हे की बजाए हा पढ़े मसलन دَمُهَا بِدَمِهَا وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهَا الخ

**मसला:**– अगर दुआ न पढ़ी और दिल में अक़ीक़ा की नीयत है। तब भी बच्चे का अक़ीक़ा हो जायेगा।

**मसला:**– यह ख्याल महज़ लग़ू और बे असल है कि जिस का अक़ीक़ा न हुआ हो वह कुर्बानी नहीं कर सकता।

**मसला:**– बाज़ जाहिल औरतों में दस्तूर है कि बच्चे के सर पर बाज़ औलियाए किराम के नाम की चोटी रखती हैं और उसकी कुछ मीयाद व मुकर्रर करती हैं। उस मीयाद तक कितने ही बार बच्चे का सर मूंढे वह चोटी बरकरार रखती हैं। फिर मीयाद गुज़ार कर

Scanned by CamScanner

मज़ार पर ले जा कर वह बाल उतारती हैं। यह महज़ बे असल बात है बल्कि जाहिलाना रस्म व बिदअत । हां बच्चा पैदाइश के बाद नहला धुहला सर के बाल घर पर दूर कराकर औलियाए किराम के मज़ारात पर हाज़िर किया जाये। और ले जाने वाले मर्द हों जो वहां जाकर उसके हक़ में दुआ खैर करें तो इन्शाअल्लाहु तआला यह बाअसे बरकत है। (अफ़ादात रिज़वियह)

**मसला:–** बाज़ जाहिल औरतें लड़कों के कान छिदवाने और बच्चों की चुटिया रखने की नन्नत या और तरह तरह की ऐसी मन्नतें मानती हैं जिनको किसी तरह जायज़ नहीं कहा जा सकता। ऐसी वाहियात मन्नतों से बचें और मान ली हो तो पूरी न करें। और शरीअत के मामले में अपने लगू ख्यालात को दखल न दें। न यह कि हमारे बड़े बूढ़े यूंही करते चले आये हैं और यह कि अगर पूरी न करेंगे तो बच्चा मर जायेगा। बच्चा मरने वाला होगा तो यह नाजायज़ मन्नतें उसे बचा न लेंगी। मन्नत माना करो तो नेक काम, नमाज़ रोज़ा खैरात करने, दरूद शरीफ़, कलिमा शरीफ़ कुरआन मजीद पढ़ने, फ़कीरों को खाना देने और कपड़ा पहनाने वग़ैरह की मन्नत मानो और अपने यहां के किसी सुन्नी आलिम से दरयाफ़्त भी कर लो कि यह मन्नत ठीक है या नहीं। वहाबी या शीआ वगैरह से न पूछना कि वह गुमराह बद दीन हैं वह सही मसला न बतायेंगे बल्कि ऐच पेच से जायज़ अम्र बता बता कर तुम्हें ग़लत रास्ते पर डाल देंगे। (बहारे शरीअत वग़ैरह)

**मसला:–** अलम और ताज़ीया बनाने, पैक बनने और मुहर्रम में बच्चों को फकीर बनाने और बदही पहनाने मर्सिया की मजलिस करने और ताअज़ीयों पर नियाज़ दीलाने वग़ैरह खुराफ़ात जो राफ़ज़ी और

Scanned by CamScanner

ताअज़ीयादार लोग करते हैं उनकी मन्नत सख़्त जिहालत है ऐसी मन्नत माननी न चाहिए और मानी हो तो पूरी न करे। इन सब से बद तर शेख सद्दू का मुर्ग़ा और कढ़ाही है। अल्लाह अपनी अपनी पनाह में रखे। (बहारे शरीअत)

**मसला:**– खत्ना करना सुन्नत है और यह इस्लाम के शआइर में है कि मुस्लिम व ग़ैर मुस्लिम में इमतियाज़ होता है। इसीलिए उर्फ़ आम में इसे मुसलमानी भी कहते हैं खत्ना की मुद्दत सात साल से बारह साल की उम्र तक है और बाज़ उलेमा ने फ़रमाया कि पैदाईश से सातवें दिन के बाद खत्ना करना जायज़ है। (आलमगीरी) और अमूमन मुसलमानों का अमल भी इसी पर है। बच्चा पैदा ही ऐसा हुआ कि खत्ना में जो खाल काटी जाती है वह उसमें नहीं है तो खत्ना की हाजत नहीं। (आलमगीरी)

**मसला:**– सुना जाता बल्कि देखा गया है कि जिस बच्चा में पैदाईशी खत्ना की खाल नहीं होती, उसके बाप वग़ैरह औलिया अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा को बुलाते हैं और खत्ना के क़ायम मक़ाम पान की गिलोरी काटी जाती है। गोया उससे खत्ना की रस्म अदा की गई यह एक लग़ू हरकत है जिस का न कुछ हासिल है न फ़ायदा।

**मसला:**– खत्ना की तक़रीब में रिश्तेदारों के यहां से जोड़े वग़ैरह आते हैं सेहरे पर रुपये वग़ैरह दिये जाते हैं और जोड़े भी तरह तरह के होते हैं। उनमें से जिन चीज़ों के मुताल्लिक मालूम हो कि बच्चा के लिए मसलन छोटे कपड़े जो बच्चों के लिए मुनासिब हैं यह उसी बच्चे के लिए हैं वरना वालदैन के लिए। (दुर्रे मुख़्तार) और अगर भेजने वाले ने नाम बनाम जोड़े या तोहफे भेजे हैं तो जिस के लिए जो चीज़ आई वही ले सकता है दूसरा नहीं ले सकता। यहां तक कि

मुलाज़मीन के लिए जो जोड़े वग़ैरह आयें वह उन्हीं को दिये जायें। रोकना या किसी और को न देना चाहिए।

# ज़ीनत का बयान

**मसला:–** लड़कियों के कान नाक छिदवाने में हरज नहीं। इसलिए कि ज़मानए रिसालत में कान छिदते थे और उस पर इन्कार नहीं हुआ। (आलमगीरी) बल्कि कान छिदवाने का सिलसिला अब तक जारी है। सिर्फ़ बाज़ घरानों में नसरानी औरतों की तक्लीद में उसे मौकूफ़ कर दिया गया है इसका एतबार नहीं।

**मसला:–** बाज़ घरानों में लड़कों के भी कान छिदवाते और दुरयां पहनाते हैं यह नाजायज़ है यानी कान छिदवाना भी नाजायज़ और उसे ज़ेवर पहनना भी नाजायज़। (रद्दुलमुहतार)

**मसला:–** औरतों को हाथ पावं में मेहन्दी लगाना जायज़ है कि यह ज़ीनत की चीज़ है। बे ज़रूरत, छोटे बच्चों के हाथ पावं में मेहन्दी लगाना न चाहिए। (आलमगीरी)

औरतें अपनी चुटियों में पोत और चान्दी सोने के दाने लगा सकती हैं। (आलमगीरी)

**मसला:–** औरत का अपने शौहर के लिए गहना पहनना, बनाव सिंगार करना अज़ीम सवाब का बाअस और उनके हक़ में नमाज़ नफ़िल से अफ़ज़ल है। एक पारसा बीबी कि वह खुद और उन के शौहर दोनों साहब औलिया किराम से थे। हर शब बाद नमाज़ इशा पूरा सिंगार करके दुल्हन बन कर अपने शौहर के पास आतीं वहीं हाज़िर रहतीं। अगर उन्हें अपनी तरफ़ राग़िब पातीं खिदतम बजा लातीं वरना ज़ेवर व लिबास उतार कर मुसल्ला बिछातीं और नमाज़

में मशगूल हो जातीं।

और दुल्हन को सजाना तो मुसलमानों में कदीम से राईज और बहुत अहादीस से साबित है बल्कि कुंवारी लड़कियों को ज़ेवर व लिबास से आरस्ता रखना कि उनकी मंगनियां आयें यह भी सुन्नत है। बल्कि औरत का कुदरत रखने के बावजूद बिल्कुल बे ज़ेवर रहना मकरूह है कि यह मर्दों से तशब्बा है। उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका आयशा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा, औरत का बे ज़ेवर नमाज़ पढ़ना मकरूह जानतीं और फरमातीं और कुछ न पाये तो एक डोरा ही गले में बांध ले और बजने वाला ज़ेवर औरत के लिए उस हालत में जायज़ है कि नामहरमों मसलन खाला मामूं, चचा फुफी के बेटों, जेठ देवर, बहनोई के सामने न आती हो। न उसके ज़ेवर की झंकार नामहरम तक पहुंचे। (फ़तावा रिज़वियह)

**मसला:-** सोने चान्दी के अलावा दूसरी धात की अंगूठी पहनना हराम है मसलन लोहा पीतल तांबा जस्त वग़ैरह। इन धातों की अंगूठियां मर्द व औरत दोनों के लिए नाजायज़ है। फर्क इतना है कि औरत सोना भी पहन सकती है और मर्द नहीं पहन सकता। और नगीना हर किस्म के पत्थर का मर्द औरत दोनों के लिए हो सकता है, अकीक ज़मर्रुद, याकूत फीरोज़ा वग़ैरह सब का नगीना जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:-** लोहे की अंगूठी पर चान्दी का (औरत के लिए सोने) का खोल चढ़ा दिया कि लोहा बिल्कुल दिखाई न दे उसकी अंगूठी के पहनने की मनाही नहीं। (आलमगीरी) इस से मालूम हुआ कि सोने के ज़ेवरों में जो अन्दर तांबे या लोहे की सलाख रखते हैं और ऊपर से सोने का खोल या पत्तर चढ़ा देते हैं उसको

Scanned by CamScanner

पहनना जायज़ है। (बहारे शरीअत)

**मसला:-** औरतें कि अंगूठी पहनें तो नगीना हाथ की पुशत की तरफ रखें कि उनको पहनना ज़ीनत के लिए है और ज़ीनत उसी सूरत में जायज़ है कि नगीना बाहर की जानिब रहे। (हिदाया)

**मसला:-** हिलते हुए दांतों को सोने के तार से बंधवाना जायज़ है और अगर किसी की नाक कट गई हो तो सोने की नाक भी लगाने की इजाज़त है इन दोनों सूरतों में ज़रूरत की वजह से मर्दों के लिए भी सोने को जायज़ किया गया। क्योंकि चान्दी के तार से दांत बांधे ा जायें या चान्दी की नाक लगाई जाये तो उससे तअफ्फुन (बदबू) पैदा होगी। (आलमगीरी) और दांत गिर गया तो उसी दांत को सोने या चान्दी के तार से बंधवा सकता है। दूसरे शख्स का दांत अपने मुंह में नहीं लगा सकता! (आलमगीरी)

**मसला:-** घुंगरू वाले ज़ेवरात का इस्तेमाल औरत के लिए मना है। हदीस शरीफ में है कि घुंगरू के साथ शैतान होता है और जिस घर में घुंगरू वाले ज़ेवरात इस्तेमाल किये जाते हैं उस घर में फरिश्ते नहीं आते। (अबूदाऊद)

**मसला:-** कहीं कहीं मौसम की तबदीली या मिज़ाज में नुक्स या किसी बीमारी के बाअस सर के बाल सफेद हो जाते हैं और औरतें वक़्त से पहले ही बूढ़ी मालूम होने लगती हैं ऐसी औरतें शौहर की खुशनूदी और उसकी रग़बत बढ़ाने की नीयत से अगर सियाह खिज़ाब से सर के बाल रंग लें तो इन्शाअल्लाहु तआला उस में हरज नहीं।

**मसला:-** ऐसे चुस्त कपड़े जिनसे जिस्म का नक्शा खिंच जाता हो मसलन चुस्त पाजामा में पिन्डली और रान की पूरी हैईत नज़र आती है और उस पर कोई और ढीला कपड़ा शलवार वग़ैरह न हो

तो औरतें ऐसे मौक़ों पर इस्तेमाल न करें कि ग़ैरों की नज़रें उन पर पड़ें। मसलन घर में देवर, जेठ, चचा फूफी मामू खाला के बेटों या ऐसे ही दूर के रिश्तदारों का आना जाना हो या वह मौजूद हों। इसी तरह बाज़ औरतें बहुत ही बारीक कपड़े पहनती हैं मसलन जार्जट आबे रवां या जाली या बारीक मलमल ही का दोपट्टा जिससे सर के बाल या बालों की सियाही या गर्दन या कान नज़र आते हैं या कुरते में से पेट और पीठ बिल्कुल नज़र आती है। इस क़िस्म के कपड़े पहनना भी नाजायज़ है। और मर्दों को इस हालत में उनकी तरफ़ नज़र करना भी हराम है। (आलमगीरी)

**मसला:-** औरत के दाढ़ी या मुंछ के बाल निकल आयें तो उनका नोचना जायज़ बल्कि मुसतहब है कि कहीं उसके शौहर को उस से नफ़रत न पैदा हो। (रददुलमुहतार)

**मसला:-** नाखुन काटने का एक आसान तरीक़ा जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मरवी है यह है कि दाहिने हाथ की कलिमे की उंगली से शुरू करे और छन्गिलिया पर खत्म करे फिर बायें हाथ की छन्गलिया से शुरू करके अंगूठे पर खत्म करे उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे का नाखून तराशे या तराशवाये। इस सूरत में दाहिने ही हाथ से शुरू हो और दाहिने पर ही खत्म हो। (दुर्रे मुख्तार)

**मसला:-** पावं के नाखुन तराशने में कोई तरतीब मन्कूल नहीं। बेहतर यह है कि पावं की उंगलियों में खिलाल करने की जो तरतीब है उसी तरतीब से नाखुन तराशे यानी दाहिने पावं की छंगली से शुरू करके अंगूठे पर खत्म करे। फिर बायें पावं के अंगूठे से शुरू करके छंगली पर खत्म करे। (दुर्रे मुख्तार)

Scanned by CamScanner

**मसला:**– दांत से नाखुन न काटना चाहिए कि मकरूह है और उसमें मर्ज़ बरस (माअज़अल्ला) पैदा होने का अन्देशा है। (आलमगीरी) और मशहूर है कि इससे बरकत जाती है।

**मसला:**– हर जुमे को अगर नाखुन न तराश सके तो पन्द्रवें दिन तराशे और उसकी इन्तहाई मुद्दत चालीस दिन है। (हदीस) कुछ लड़कियों में नाखुन बढ़ाने उन्हें नोकीले बनाने और फिर उन पर "नेलपालिश" का फैशन बढ़ता जा रहा है मां बाप और घर के बड़ों को चाहिए कि इस वबा को जो ज़माना जाहिलियत की यादगार है सख़्ती से मिटा दें।

**मसला:**– कंघा करने या सर धोने में जो बाल सर से जुदा हों, यूंही औरत पावं के नाखुन काटे तो औरत पर लाज़िम है कि उन्हें ज़मीन में दफ़न कर दें। या कहीं छुपा दें। या ऐसी जगह डाल दें कि उन पर किसी अजनबी की नज़र न पड़े। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:**– मोये ज़ेर नाफ़ दूर करना सुन्नत है और बेहतर जुमा के जुमा है और पन्द्रवें दिन करना भी जायज़ है और चालीस रोज़ से ज़ायद गुज़ार देना मकरूह ममनूअ है और गुस्ल ज़रूरी हो तो ऐसी हालत में न बाल मूंढे और न नाखुन तरशवाये कि यह मकरूह है (आलमगीरी) नाक के बाल न उखाड़े कि उससे मर्ज़ आकला पैदा होने का डर है। (आलमगीरी)

**मसला:**– औरत को सर के बाल कटवाने जैसा कि इस ज़माना में नसरानी औरतें कटवाती हैं ना जायज़ व गुनाह है और उस पर लानत आई। शौहर ने ऐसा करने को कहा जब भी यही हुक्म है कि औरत ऐसा करने में गुनाहगार होगी क्योंकि शरीअत की नाफ़रमानी करने में किसी का कहना न माना जायेगा। (दुर्रे मुख़्तार)

Scanned by CamScanner

आहिस्ता–आहिस्ता यह बला मग़रिबी तहज़ीब के दिलदादा घरानों में फैलती जा रही है और हदीस शरीफ़ में वारिद है कि जो औरत मर्दाना हैयत में हो उस पर अल्लाह की लानत है'' तो यह बाल कटवाती हैं और अल्लाह की लानत में गिरफ़्तार होती हैं।

**मसला:**– इंसान के बालों की चोटी बना कर औरत अपने बालों में गूंधे यह हराम है हदीस में उस पर लानत आयी बल्कि उस पर भी लानत जिसने किसी औरत के सर में ऐसी चोटी गोंधी। और अगर वह बाल हैं जिसकी चोटी बनायी गई खुद उसी औरत के सर के बाल जिसके सर में जोड़ी गई जब भी नाजायज़ कि बात वही नसारानी औरतों की रीस की हुई और अगर ऊन या सियाह तागे की चोटी बनाकर लगाये तो उसकी मनाही नहीं। सियाह कपड़े का मोबाफ बांधना भी जायज़ है। (दुर्रे मुख़्तार)

**मसला:**– सियाह सुर्मा काजल आंखों में इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं। हां मर्द बमक़सद ज़ीनत न लगायें। (आलमगीरी)

**मसला:**– मकान में जानवारों की तस्वीर (पूरी हो या आधी या सिर्फ़ चेहरा) लगाना या उसे एजाज़ व ताअज़ीम से रखना यूंही ऐसे पर्दे दरवाज़ों पर डालना जायज़ नहीं। और ग़ैर जानदार की तस्वीर से मकान आरस्ता करना जायज़ है जैसा कि तुग़रे और कतबों से मकान सजाने का रिवाज है। (आलमगीरी) हदीस शरीफ़ में है कि जिबरील अमीन अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ की। हम "मलायका रहमत उस घर में नहीं जाते जिस में कुत्ता या तस्वीर हो। (बुख़ारी व मुस्लिम)

**मसला:**– बाज़ घरों में ख़ानदानी बुज़ुर्गों या बुजुर्गाने दीन की मसनवी तस्वीरें दीवारों पर लटकाते या मेज़ वग़ैरह ऐसी चीज़ पर

Scanned by CamScanner

रखते हैं कि वह नुमायां नज़र आती हैं। यह और भी बुरा और सख्त तर गुनाह है। बुत परस्ती की इबतदा हुई तो इन्हीं बुज़ूर्गों की तस्वीरों की ताज़ीम से। कुरआन करीम में जो पांच बुतों का सूरः नूह में ज़िक्र फरमाया यह पांचों बन्दगाने सालिहीन थे कि लोगों ने उनके इंतकाल के बाद इब्लीस लईन के बहकावे में आकर उनकी तस्वीरें बनाकर मजलिसों में क़ायम कीं। फिर बाद की आने वाली नसलों ने उन्हें माअबूद समझ लिया और उनकी पूजा पाठ शुरू हो गई। (बुख़ारी)

**मसला:-** हुज़ूर सैयदुल बशर अफ़ज़लुस्सल्लातो व अक्मल अस्सलाम के नअल (पापोश) मतहर और रोज़-ए मोअत्तर के नक़्शे मकानों में आवेज़ां करना उन्हें इज़्ज़त व तकरीम से रखना उन्हें बोसा देना, आंखों से लगाना, सर पर रखना, यह सब जायज़ है और दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त व सरूर का बाअस और तकमील ईमान का आला ज़रिया कि जिस चीज़ को महबूबाने ख़ुदा बख़लूस सैय्यदुल महबूबीन खात्मुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ निसबत का शर्फ़ हासिल हो जाता है वह खुद भी मोअज़्ज़म शरई हो जाती है जैसे ग़िलाफ़ काबा की ताअज़ीम व तकरीम सब ही करते चले आ रहे हैं उलेमाए किराम फ़रमाते हैं कि उन नक़्शों में एक फ़ायदा यह है कि जिसे असल रोज़ा आलिया की ज़ियारत न मिले वह उसकी ज़ियारत करले कि यह मिसाल व तस्वीर उस असल के क़ायम मकाम है। यूं ही नाले मुकद्दस का नक्शा, असल नालेमुकद्दस का क़ायम मकाम है। यही वजह है कि दलाईलुल ख़ैरात शरीफ़ में रोज़ा-ए अनवर का नक्शा शामिल किया जाता है और सदियों से उलेमा व मशाइख का मामूल है। अल्लाह तआला हम मुसलमानों

को हुस्ने अदब अता फ़रमाये। आमीन

मसला:- लड़कियों के लिये गुड़ियों से खेलने की इजाज़त है कि इस बहाने उनमें सीने पिरोने, खाने-पीने और करीने से रहने सहने का शौक़ पैदा होता है। ख़्वाह यह गुड़िया या ऐसे ही दूसरे खिलौने कपड़े के हों या टीन वग़ैरह या किसी धात के या मिट्टी और प्लास्टिक के। लेकिन यह ज़रूर है कि यह चीज़ें खिलौनों की हद तक रहें कि बच्चे फेंके तोड़ें ताकि उनमें बुत शिकनी की आदत पैदा हो। उन्हें शीशे की आलमारी में सजा सजा कर और कमरे की ज़ीनत का समान बनाना किसी तरह जायज़ व दुरुस्त नहीं। यह मसला खूब ज़ेहन नशीन रखें।

अबू दाऊद ने हज़रत आयशा रज़िअल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत की। कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गज़वा तबूक या खैबर से तशरीफ लाये (उस वक़्त आपकी उम्र शरीफ करीबन नौ साल थी। गुड़ियों से खेला करतीं और आपके पास आपकी सहेलियां भी आ जाती थीं) उस वक़्त आपकी गुड़ियां ताक़ में रखी हुई थीं और उन पर पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली और पर्दा हट गया। हज़रत आयशा की गुड़ियां दिखायी दीं तो हुजूर ने फरमाया, आयशा यह क्या हैं? अर्ज़ की "मेरी गुड़ियां हैं" इन गुड़ियों के दर्मियान कपड़े का एक घोड़ा था जिसके दो बाजू थे। हुजूर सल्ल० ने उस घोड़े की तरफ इशारा करके फरमाया कि 'गुड़ियों के बीच में यह क्या है' अर्ज़ की "यह घोड़ा है।" इर्शाद फ़रमाया "घोड़े के यह क्या हैं?" अर्ज़ की 'यह घोड़े के बाजू हैं' इर्शाद फरमाया। घोड़े के लिए बाजू? "हज़रत आयशा ने अर्ज़ की" क्या आपने नहीं सुना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के बाजू थे। हुजूर सल्ल० ने यह सुनकर

Scanned by CamScanner

तबस्सुम फरमाया–

इस हदीस शरीफ़ से मालूम हुआ कि लड़की को गुड़ियों से खेलना जायज़ है और यह भी मालूम हुआ कि अगर उन्हें रखना हो तो पर्दे में छुपा दिया जाए ताकि उनपर नज़र न पड़े और उनका शुमार ज़ीनत की चीज़ों में न हो और बच्चों में चूंकि इतनी समझ नहीं होती, इसलिये घर के बड़ों को इसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसा न हो कि उनकी ग़फ़लत से रहमत के फ़रिश्तों से घर महरूम रहे और बरकतें रुखसत हो जायें।

# इस्लाहुर्रुसूम

बच्चे की पैदाइश, खतना, अक़ीक़ा, बिस्मिल्लाह ख्वानी, शादी ब्याह और दूसरी तमाम तक़रीबात से लेकर इंसान के आखिरी अंजाम यानी मौत तक मुसलमान घरानों में तरह–तरह की रस्में बरती जाती हैं। हर मुल्क में नयी नयी रस्में हैं और हर क़ौम व खानदान के रिवाज और तरीक़े जुदागाना, रसूम की बुनियाद उर्फ़ पर है। यह कोई नहीं समझता कि यह शरअन वाजिब या सुन्नत या मुस्तहब हैं। लिहाज़ा जब तक किसी रस्म की मनाही, शरीअत, से साबित न हो उस वक़्त तक उसे हराम व नाजायज़ नहीं कह सकते। खींचतान कर उसे ममनूअ क़रार देना बड़ी ज़्यादती है।

दरअसल शरअ शरीफ़ का एक कुल्लीया क़ायदा यह है कि जिस चीज़ को खुदा और रसूल अच्छा बतायें वह अच्छी है और जिसे बुरा फ़रमायें वह बुरी है। और जिससे सकूत फ़रमायें यानी शरअ से न उसकी खूबी निकली न बुराई कि न उसकी मनाही शरीअत मुतहहरा से साबित है न शरीअत ने उसके करने का हुक्म दिया तो वह चीज़

Scanned by CamScanner

अबाहते असलीया पर रहती है उसे मुबाह करार दिया जाएगा कि उसके करने में कोई सवाब नहीं और न करने पर कोई अज़ाब व अिताब नहीं। यह क़ायदा हमेशा याद करने का है कि अक्सर काम आयेगा। आजकल मुखालिफ़ीन हक़ और अहले सुन्नत व जमाअत से कट कर नई राहों पर चलने वालों मस्लन वहाबियों देवबंदियों ने यह रविश अख्तियार कर ली है कि जिस चीज को चाहा, शिर्क, हराम, बिदअत, ज़लालत कहना शुरू कर दिया। उसपर तुर्रा यह है कि अहले सुन्नत से पूछते हैं कि तुम जो इन चीज़ों को जायज़ बताते हो कुरआन व हदीस में कहां जायज़ लिखा है। हालांकि उन को अपनी खुशफ़हमी से इतनी खबर नहीं कि जायज़ कहने वाला किसी दलाइल का मोहताज नहीं। जो नाजायज़ कहें वह कुरआन व हदीस में दिखलायें कि इन अफ़आल को कहां नाजायज़ लिखा है। वरना शरीअत किसी की ज़बान का नाम नहीं कि जिसे चाहे आदमी बे दलील हराम व नाजायज़ व ममनूअ कह दे।

और फ़िरक़ा वहाबिया के मुबल्लिग़ और उनके बही ख़्वाह जो इस क़िस्म के मसाइल में हदीस पेश करते हैं من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد (यानी जो शख्स दीन में नई बात पैदा करे वह बात मरदूद है) तो यह महज़ बे महल और मुसलमानों को गुमराह करने का एक बहाना है वरना उनके बड़े यह बात खूब जानते हैं कि बिदअत ज़लालत वही है जो दीन में नयी पैदा हो। और दुनियावी रसूम और आदाब पर हुक्म बिदअत नहीं हो सकता। मसलन अंगरखा व शैरवानी पहनना, बिरयानी, शीरमाल वग़ैरह लज़ीज खाना, आलीशान मकानों बंगलों के नाम तजवीज़ करना और उनमें रहना-सहना दुल्हा को उम्दा पौशाक पहनाना। बना संवार कर पूरे एहतमाम से दुल्हन के

Scanned by CamScanner

घर ले जाना और उनका जायज़ तरीकों पर इस्तक़्बाल करना और खातिर-व-मदारत में पेश-पेश रहना। दुल्हन को ब वक़्त रुखसत पालकी या मोटर वग़ैरह पर बैठाना। इसी तरह दुल्हन और दुल्हा के सर पर सेहरा बांधना, जबकि सेहरे में नलकियां और पत्ती वग़ैरह न हों कि कोई भी उन चीज़ों को दीनी बात समझ कर नहीं करता। न बग़र्ज़ सवाब उन्हें किया जाता है बल्कि सब एक दुनियावी रस्म ही जान कर करते हैं। हां अगर कोई जाहिल और नावाकिफ महज़ ऐसा हो कि उन्हें दीनी बात जाने और न करने को शरअन बुरा या गुनाह माने तो उस की इस बेहुदा समझ पर एतराज़ सही है।

यूंही दुल्हा व दुल्हन को उबटन मलना, खुशबू लगाना, दुल्हन को माईयों बिठाना और डाल बरी की रस्म के कपड़े वग़ैरह भेजे जाते हैं नाजायज़ है। इसी तरह दुल्हा व दुल्हन के गलों में खालिस फूलों के हार पहनाना कि उन में फूलों से बस इतनी बात ज़ायद है कि उन्हें एक डोरे में पिरो लिया है और गले में डालना खुशबू से खुद फ़ायदा लेना और अपने साथियों को फ़रहत पहुंचाता है और खुशबू लगाना सुन्नत है और खुशबू की चीज़ें फूल पत्ती वग़ैरह रसुलूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बारगाह में पंसन्द हैं और फूल अगर हाथ में लिये रहे तो हाथ भी रुके और फूल भी जल्द कुमला जायें। इसलिए डोरे में पिरो कर गले में डालने से कोई हरज नहीं तो इसमें हुरमत या मुमानिअत व ना जवाज़ी किस तरफ़ से आ गयी।

इसी तरह शादी ब्याह के मौक़ा पर बिन्नोट खेलना लकड़ी फेंकना बन्दूकें छोड़ना और इस क़िस्म के सब खेल जायज़ हैं जबकि अपने या किसी दूसरे के नुक़्सान का अन्देशा न हो। और उनसे मक़सूद, कोई ग़र्ज़ महमूद हो जैसे फ़न सिपागिरी में महारत और अगर सिर्फ़

खेल कूद मकसूद हो तो ज़रूर ममनूअ व मकरूह है।

ग़र्ज़ यह कि इन जायज़ रसूम को जो बिला दलील शरअी नाजायज़ व हराम और बिदअत व ज़लालत कहता है वह शरीअत मुतहहरा पर इफ़्तिरा करता है अगर सच्चा है तो बताये कि अल्लाह व रसूल ने कुरआन व हदीस में उसे क़हां ना जायज़ कहा और कहां मना फरमाया है और जब अल्लाह व रसूल ने मना नहीं फरमाया तो दूसरा अपनी तरफ से मना करने वाला कौन जल व अला व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। मगर यह ज़रूर है कि रसूम की पाबन्दी उसी हद तक कर सकता है कि किसी फेअल हराम में मुबतला न हो उसके बरख़िलाफ़ बाज़ लोगों को उन रसूम व आदात और अपने बाप दादा से वरसा में पाई हुई रस्म व रिवाज की पाबन्दी का इस हद तक ख़्याल रहता है कि जायज़ व हराम फेअल करना पड़े तो पड़े मगर खानदानी रस्म व रिवाज का छोड़ना गवारा नहीं करते। मानता हूं कि रस्म व रिवाज की जड़ें जब किसी कौम या खानदान या उसके अफराद व अशखास की रग व पै में सरायत कर जाती हैं और उन रसूम व आदात के पांव मज़बूती से उन में जम जाते हैं तो उन्हें तर्क करना नफ़्स पर बड़ा शाक गुज़रता है और आदमी किसी तरह उन्हें छोड़ना गवारा नहीं करता। लेकिन यह तो सोचो तुम मुसलमान हो और मुसलमान, इताअत व फरमांबरदारी का दूसरा नाम है कुरआन करीम का इरशाद गरामी है-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

'ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पर न चलो। वह तुम्हारा खुला दुश्मन है''। तो इस्लाम का कलिमा पढ़ने कुरआन व हदीस को अपना ईमान मानने

और खुदा और रसूल जल व अला व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कामिल फ़रमा गुज़ारी का इक़रार करने के बाद, जाहिल बे शऊर बनना और अपनी झुठी इज़्ज़त व नामूस और खानदानी अज़्ज़ो वक़ार का ऐसी रसूम व आदात के दरमियान नाम लाना उसी शैताने लअीन के क़दमों पर चलना है जिस से दूर रहने का कुरआन अज़ीम हुक्म देता है लिहाज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ है अपनी नफ़सानी ख़्वाहिशात पर कुरआन अज़ीम व हदीस करीम के अहकाम को हाकिम बनायें और हर हाल में खुदा और रसूल की रज़ा व खुशी के तालिब रहें उसी पर जमें उसी पर मरें और हमेशा उसी का दम भरें।

यह जो कुछ लिखा है "रसूम व आदात'' के बारे में एक बुनियादी चीज़ थी। अब हम अपने उनवान "इसलाहे रसूम'' की तरफ आते हैं और चन्द रसूम का ज़िक्र करते हैं। जिनकी पाबन्दी से दुनिया व आखिरत में ज़िल्लत व रुसवाई के सिवा कुछ हाथ नहीं आता।

**१. शादी में टाल मटोल**

मसलन लड़की जवान है मुनासिब रिशता भी मिल रहा है लेकिन रसूम अदा करने को रुपया नहीं तो यह न होगा कि रसूम छोड़ दें। लड़की की शादी करके उसके हाथ पीले करके उस बोझ से सबकदोश हो जायें और फ़ितनों का दरवाज़ा बन्द हो। अब खानदानी रसूम के पूरा करने को भीख मांगने को तरह-तरह की फ़िक्रें करते हैं और इस ख्याल में कि कहीं से कुछ मिल जाये तो लड़की का ब्याह रचायें, शादी की खुशियां मनायें ताकि बिरादरी में नाम पायें, बरसों गुज़ार देते हैं। नतीजा यह निकलता है कि लड़की की तन्दुरुस्ती बिगड़ती है उसकी जवानी ढलती है। उस का दिल बुझ जाता है और उस पर तुर्रा यह कि तरह-तरह की बातें उड़ाई जायें और अफ़वाहें फैलाई

Scanned by CamScanner

जाती हैं। रसुलूल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं जब ऐसा शख़्स पैग़ाम भेजे जिसके खल्क़ और दीन को तुम पसन्द करते हो तो निकाह कर दो अगर न करोगे तो ज़मीन में फ़ितना और फ़साद अज़ीम बरपा होगा। एक और हदीस शरीफ़ में फ़रमाया कि तीन चीज़ों में ताख़ीर न करो (दिर न करो) नमाज़ का जब वक़्त आ जाये। जनाज़ा जब मौजूद हो शौहर वाली का जब कफ़ू मिले (तिर्मिज़ी) कफ़ू के यह मायने हैं कि औरत से नसब वग़ैरह में इतना कम न हो कि उससे निकाह औरत के औलिया के लिए तंग व आर का बाअस हो।

**२. बलाये कर्ज़:-**

ज़रूरत अगर वाक़ई हो तो कर्ज़ लेने में कोई गुनाह भी नहीं बशर्ते कि उसकी अदाएगी बआसानी हो सके लेकिन बाज़ लोग लेते हैं तो सिर्फ़ इस लिए कि इन रसूम को अंजाम देना है अगर कर्ज़ न लेंगे और इन रसूम को अदा न करेंगे तो खानदान की इज़्ज़त और हमारे नाम को बट्टा लग जायेगा। ग़र्ज़ इसी किस्म के हीले बहाने को कर्ज़ का ज़रिया बनाते हैं।

ज़ाहिर है कि मुफ़लिस को कर्ज़ कौन दे। जब यूं नहीं मिलता तो सूदी कर्ज़ लेते हैं जो आसानी से दसतियाब हो तो जाता है मगर जिस तरह सूद लेना हराम, यूंही देना भी हराम हदीस शरीफ़ में दोनों पर लानत आई। सूदी क़र्ज़ से रसूम तो अन्जाम पायें लेकिन यह न सोचा कि शरीअत की मुखालिफ़त के साथ अल्लाह व रसूल की लानत भी खरीद ली और उसके नतीजे में दुनिया में भी बरबादी आखिरत में भी रुसवाई। अगर बाप दादा की कमाई हुई कुछ जायदाद है तो उसे सूदी कर्ज़ में बहा दिया वरना रहने की झोंपड़ी ही गिरवी

Scanned by CamScanner

रख दी। थोड़े दिनों में सूद का सैलाब सब को बहा कर ले गया। जायदाद नीलाम हुई मकान सूद ख्वार के कब्ज़े में गया। अब दर बदर मारे-मारे फिरते हैं। न खाने का ठिकाना न रहने की जगह।

इस की मिसालें ब कसरत हर जगह मिलेंगी कि ऐसे ही ग़ैर ज़रूरी मसारिफ़ की वजह से मुसलमानों की बेशतर जायदाद सूद की नज़र हो गईं। फिर कर्ज़ ख्वाह के तकाज़े और उसके तशददूद आमेज़ लहजे से रही सही इज़्ज़त पर भी पानी पड़ जाता है। यह सारी त[illegible] बरबादी आंखों देख रहे हैं मगर इबरत नहीं होती। आंखें नहीं खुलतीं और मुलसमान अपनी फ़िज़ूल खर्चियों से बाज़ नहीं आते। फिर इन फ़िज़ूल खर्चियों का वबाल यही नहीं कि इसी दुनियां की ज़िन्दगी तक महदूद हो बल्कि आखिरत का वबाल अलग है। अल्लाह तआला हम सबको अपनी पनाह व आफ़ियत में रखे। आमीन

**३. ढोल तमाशा गाना बजाना।**

आम तौर पर जाहिल घरानों में रिवाज है कि मौहल्ला या रिश्ता की औरतें जमा होती और गाती हैं बजाती हैं यह हराम है कि अव्वल तो ढोल बजाना ही हराम। फिर औरतों का गाना बजाना मज़ीद बरआं औरत की आवाज़ नामहरमों को पहुंचना और वह भी गाने की। और वह भी इश्क़ व हिज्र व विसाल के अशआर या गीत। जो औरतें अपने घरों में चिल्ला कर बात करना पसन्द नहीं करतीं घर से बाहर आवाज़ जाने को बुरा और बड़ा अजीब जानती हैं। ऐसे मौक़ों पर वह भी इस महफ़िल में शरीक हो जाती हैं गोया उनके नज़दीक गाना कोई ऐब नहीं। गाने बजाने की आवाज़ कितनी ही दूर तक जाये उसमें कोई हरज नहीं।

नीज़ ऐसे गानों में जवान कुंवारी लड़कियां भी होती हैं। उनका

Scanned by CamScanner

ऐसे अशआर पढ़ना या सुनना, किस हद तक उन के दबे हुए जोश को उभारेगा और कैसे-कैसे वलवले पैदा करेगा और उनके अख़्लाक़ व आदात पर कहां तक उसका असर पड़ेगा। यह बातें ऐसी नहीं जिन के समझाने की ज़रूरत हो या सबूत पेश करने की हाजत हो गाने बजाने की उन तमाम नाजायज़ व हराम रसमों में एक और नापाक व मलऊन रस्म है जो बदतमीज़ अहमक़ जाहिल घरानों ने, हिन्दुओं से सीखी यानी फ़हश गालियों के गीत गवाना और मजलिस में मौजूद मर्दों औरतों को लच्छेदार सुनाना। समधियाने की पाकदामन औरतों को अल्फ़ाज़े ज़िना से ताबीर करना, कराना खसूसन इस मलऊन बे हया रस्म का औरतों के मजमे में होना। उनका इस नापाक फ़वाहिश हरकत पर हंसना कहकह उड़ाना। अपनी कुंवारी लड़कियों को यह सब कुछ सुनाकर बदलिहाज़ियां, सिखाना, बेजा बे गैरत बे हमीयत मर्दों का इस शोहदे पन को जायज़ रखना कभी बराए नाम लोगों के दिखावे को झूठ सच एक आध बार झिड़क देना मगर बन्दोबस्त कतई न करना। यह वह गन्दी मरदूद रस्म है जिस पर सदहा लानतें अल्लाह अज़्ज़ोजल की उतरती हैं। इसके करने वाले इस पर राज़ी होने वाले। अपने यहां इसकी रोक थाम का काफी इंतजाम न करने वाले सब गुनाहगार सख़्त गुनाहगार। कबीरा गुनाहों मे गिरफ़्तार और ग़ज़ब खुदावन्दी के सज़ा वार हैं।

अल्लाह तआला मुसलमानों को हिदायत बख़्शे आमीन।

### ४. नाच बाजा

शादी ब्याह में अमूमन नाच का भी एहतमाम किया जाता है। घरों में डोमनियों और मीरासनों का और घर से बाहर मरदानी महफ़िलों में बाज़ारी फ़ाजिरा फ़ाहिशा औरतों रंडियों या फिर दोनों

Scanned by CamScanner

जगह हिजड़ों का ऐसी महफिलों में शरीफ ज़ादियों का ख्वाह कुंवारी हों या ब्याही, शौहर वाली हों या बेवा, का शरीक होना तो दर किनार उन का उन आवारा बद वज़ओं के सामने आना ही सख्त बेहूदा व बेजा है। सोहबत बद, ज़हर कातिल है और औरतें नाजुक शीशीयां जिन के टूटने को अदना ठेस बहुत होती है तो ऐसों को तो घर में हरगिज़ हरगिज़ कदम न रखने दें वह बेहयाईयों की आदी हैं मना करते करते अपना काम कर गुज़रेंगी।

नाच रंग की यह महफिलें जिस तरह शरीफ घरानों और शरीफ ज़ादियों के हक में ज़हर कातिल हैं यूंही मर्दों और शरीफ जादों के लिए तबाही व बरबादी का बाअस हैं। बाज़ारी औरतों और रंडियों में जो बे हयाई, बेशर्मी और बदलिहाजी पाई जाती है उससे कौन वाक़िफ़ नहीं। फिर जब यह बे हया बेशर्म औरतें मर्दों की महफिलों में आती और कूल्हा कमर मटका कर, आंखें चमका कर नीम बरहना लिबास में अपना जोहर दिखाती और अपनी रसीली आवाज़ का रस कानों में गिराती हैं तो वहां कौन सा मर्द ऐसा होता है जो टकटकी बांध ा कर उसकी अदाओं का जायज़ा लेता और उसके कानों को मज़े ले ले कर नहीं सुनता नामहरम औरत को मर्द देखते हैं और घूर-घूर का देखते हैं यह आंखों का ज़िना हुआ। नामहरम औरत की आवाज़ सुनते और पूरी तव्वज्जोह से सुनते हैं यह कानों का ज़िना हुआ। और जब वह अपनी बेहयाई का मुज़ाहिरा करती उनमें से किसी के पास से गुज़रती है या उससे मिलतीं हैं नीम बरहना जिस्म के साथ, फुहश हरकतों के बाअस उन मर्दों के दिलों में बुरे ख्यालात या अपनी सी पूरी कोशिश उसे छूने की करते हैं और कभी बकमाल इशतियाक़ उसकी तरफ जाते हैं यह हाथ पैरों का ज़िना हुआ।

Scanned by CamScanner

ग़र्ज़ नाच रंग की इन महफ़िलों में जिन फ़ाहिशः हरकतों, बदकारियों और दीन व अख़लाक को तबाह करने वाली बातों का इजतमाअ होता है यह ऐसी बातें नहीं जिन्हें बताया गिनाया जाये ऐसी ही मजलिसों में शिर्कत के बाअस अकसर नव जवान बिल्खसूस वह जिन में खुद सरी का मादा होता है जिन्हें किसी की पुरसिश का खतरा नहीं होता, जज़बात की रू में बे क़ाबू हो जाते हैं। तवायफ़ों के दामे फ़रेब का शिकार हो जाते हैं। आवारगी को अपना मशग़ला बना लेते हैं। दौलत बरबाद कर बैठते हैं। कमाई लुटाते हैं बाज़ारियों से ताल्लुक ही में ज़िन्दगी की सारी लज़्ज़तें और मुसर्रतें ढूंडते हैं। नतीजा यह निकलता है कि घर वालों और पाक दामन बीबीयों से दूर दूर रहते हैं और यूं अपनी बरबादी व तबाही अपने हाथों खरीदते हैं और अगर उन बेहूदगियों और आवारा गर्दियों से कोई बन्दा खुदा बच भी गया तो इतना ज़रूर होता है कि हया व ग़ैरत की चादर उतार कर सर से पैर तक बेहयाई और बेग़ैरती का मुजस्समा बन जाते हैं।

बाज़ लोगों के मुतल्लिक तो यहां तक सुनने और देखने में आया कि खुद भी इन मजलिसों में शरीक होते हैं और अपने साथ साथ जवान बेटियों और बीवी बेटियों तक को ले जाते हैं। ऐसी बदतहज़ीबी के मजमा में बाप बेटे और मां बेटी का साथ साथ रहना जिस बेग़ैरती और बे हमिय्यती का पता देता है वह बयान का मोहताज नहीं।

इससे बढ़ कर रोना इस बात का है कि अपनी छोटी मोटी नामवरी और शोहरत को आड़ बना कर लड़की वाले, लड़के वालों पर दबाव डालते हैं बल्कि निसबत के वक़्त ही तै कर लेते हैं कि नाच बाजा लाना होगा वरना शादी न करेंगे। लड़की वाला यह ख़्याल नहीं करता कि बे जा सर्फ़ न हो तो उसी की लड़की के काम आयेगा। एक वक़्ती

Scanned by CamScanner

ख़ुशी के लिए यह सब कुछ कर लिया लेकिन यह न समझा कि लड़की जहां ब्याह कर गई वहां तो अब उसके बैठने का ठिकाना न रहा। एक मकान था वह भी कर्ज़ का सैलाब बहा कर ले गया। अब तकलीफ़ हुई तो मीयां बीबी में लड़ाई उठी और उसका सिलसिला दराज़ हुआ तो अच्छी खासी जंग क़ायम हो गई और नतीजा निकला। दोनों के दरमियान तलाक़ व जुदाई। यह शादी हुई या खाना बरबादी। हमने माना कि यह ख़ुशी का मौक़ा है और मुद्दत की आरज़ू के बाद यह दिन देखने को नसीब हुए। बेशक ख़ुशी करो मगर हद से गुज़रना और हदूद शरीअत से बाहर हो जाना किसी अक़्लमन्द का काम नहीं। काम वह करो जिस से दुनिया में बोल बाला और आख़िरत में मुंह उजाला हो। और वह है हर काम ख़ुदा और रसूल जल व आला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम की रज़ा जोई के लिए अंजाम देना और शरीअत मुतहहरा का दामन मजबूती से थाम कर अपनी नाजायज़ ख्वाहिशों से हमेशा हमेशा के लिए दस्त बरदार हो जाना।

## और आह सद आह

कि बाज़ तो इतने बेबाक होते हैं कि अगर शादी में यह ख़ुराफ़ात न हों तो उसे ग़मी और जनाज़ा से ताबीर करते हैं और यह ख्याल नहीं करते कि एक गुनाह और शरीअत की मुख़ालिफ़त है।

दूसरे तमाम शिर्कत करने वालों और तमाशाईयों के गुनाह का यही सबब है और सबके गुनाहों के बराबर, उस तन्हा पर गुनाहों का बोझ कि अगर उन ख़राफ़ात की सख़्ती से रोक थाम करता और गुनाहों के यह सामान अपने यहां न फैलाता तो आने वाले या तमाशाई उन गुनाहों में क्यों पड़ते। और बेहयाईयों और बे शर्मी का यह बाज़ार

क्यों गर्म होता जिनमें अल्लाह तआला की सदहा नेमतें उतरती हैं। अल्लाह तआला हम सब मुसलमानों को हिदायत बख़्शे और अपनी पनाह व हिफ़ाज़त में रखे। आमीन। जिस शादी में ऐसी नापाक हरकतें हों मुसलमानों पर लाज़िम है कि उसमें हरगिज़ हरगिज़ शरीक न हों। अगर दानिस्ता शरीक हो गये हैं तो जिस वक़्त इस क़िस्म की बातें शुरू हों या उन लोगों का इरादा मालूम हो सब मुसलमान मर्दों औरतों पर लाज़िम है कि फ़ौरन उसी वक़्त उठ जायें और अपनी बीबीयों, बेटियों, माओं, बहनों को गालियां न दिलवायें। फ़ुहश न सुनवायें वरना यह भी इन नापाकियों में शरीक होंगे और ग़ज़ब इलाही से हिस्सा लेंगे वलअियाज़ बिल्लाहा हरगिज़ हरगिज़ इस मामले में हक़ीक़ी बहन भाई बल्कि मां बाप की भी रिआयत व मरव्वत रवा न रखें कि खुदा की नाफ़रमानी में किसी की फ़रमा बरदारी नहीं। ऐ रब हमारे हमें कुबूले हक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन

## फ़िल्मी रिकार्डिंग

और अब हमारे इस दौर में एक नई बला ने घर घर जन्म लिया है और वह है फ़िल्मी गानों और फ़िज़ूल आवाज़ों की रिकार्डिंग। गाने बजाने की आवाज़ और ढोल सारंगी की ढप-ढप रों-रों तो खैर इसी मजलिस इसी घर में या ज़्यादा से ज़्यादा दो चार पास पड़ौस के घरों तक महदूद रहती थी। मगर यह रिकार्डिंग तो खुदा की पनाह। फ़िल्मी गाने खुद अपनी जगह तन्हाई में जवान लड़कियों और नौजवान लड़कों के लिए ज़हरे क़ातिल और बड़े बूढ़ों के लिए सोहाने रूह होते हैं न कि पूरी आवाज़ से उनकी तशहीर न यह ख़्याल कि नौजवान शरीफ़

ज़ादियों और शरीफ़ जादों के जज़बात में उससे कैसा हैजान पैदा होगा न इसका लिहाज़ कि बड़े बूढ़ों के दिलों पर इन गानों का क्या असर होगा न इसका पास कि बीमारों ग़म के मारों को इन से कैसी तकलीफ़ पहुंचेगी। न खुदा और रसूल का खौफ़ न कियामत में गिरफ़्त की परवाह। और लानत पर लानत यह है कि उन शौकीन मिज़ाजों को न अज़ान का ध्यान आये न नमाज़ों और जमाअतों का एहसास हो। अपनी धुन में मस्त, अपने नाजायज़ शौक़ की तकमील में मसरूफ़, अपने पैसे और वक़्त ज़िया में मशगूल। दुनिया व माफ़िहा से बे खबर खुदा और रसूल के अहकाम की खिलाफ वरज़ी के बाअस अज़ाब खुदावन्दी में मुबतला हैं। लेकिन आंख नहीं खोलते। खुदा और रसूल से नहीं शमति, और कोई मना करे तो उसकी तौहीन व तज़लील करते हैं उन पर फबतीयां कसते और उनका मज़ाक उड़ाते हैं। सच है– बे हया बाश व हरचा ख्वाही कुन

# आतिश बाज़ी

शादी ब्याह की तकरीबों में अमूमन और शबे बराअत के मौकों पर खसूसन आतिशबाज़ी की रस्म, वबा की सूरत अख्तियार करती जा रही है कपड़े जलें बदन झुलसें, कच्चे पक्के मकानों छप्परों में आग लगे। बच्चे बूढ़े जवान नागहानी ज़ख्मी हो जायें जिस्मों पर आबले पड़ जायें। यह सब कुछ गवारा है और अगर गवारा नहीं तो इस बेहूदा रस्म को छोड़ना। हालांकि यह हराम है और सख्त हराम है कि इसमें माल भी ज़ाया होता है और जान बूझ कर नुक्सान उठाना पड़ता है। कुरआन का साफ़–साफ़ इरशाद गारामी है कि अपना माल

Scanned by CamScanner

ज़ाया करने वाले शैतान के भाई हैं चुनाचे फरमाया:-

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

यानी "माल को फुज़ूल कामों में न उड़ा बेशक फुज़ूलियात में उड़ा देने वाले शैतानों के भाई बन्द होते हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुक्रा है''

किसी इंसान की बुराई इससे बढ़ कर और क्या हो सकती है कि उसे शैतान से तशबीह दी जाये और उसे शैतान का भाई बन्द कहा जाये "घर फूंक तमाशा'' इसी काम का नाम है।

अज़ीज़ो! अल्लाह तआला ने तुम्हें इस्लाम दिया। अक़्ल अता फ़रमाई। दौलत बख़्शी तो इसलिए कि दौलत को ताअत व बन्दगी के कामों में सर्फ करो। अपनी ज़रूरीयात और मुफ़ीद कामों में सर्फ करो और अपने परवरदिगार का शुक्र बजा लाओ। अब कि तुम इस दौलत को फ़िज़ूल कामों में उड़ाते और खुदा की नाफ़रमानियों में काम लाते हो तो तुम खुद सोचो कि दौलत को ग़लत रास्तों पर बहाने वाले बड़े ना शुक्रे और शैतान के भाई बन्द हुये या नहीं। कहो हुए ज़रूर हुए तो फिर फ़ख़्र व रिया नुमाइश और एक ज़रा सी वाह वाह के लिए यह फ़िज़ूल खर्चियां और माली अय्याशियां आखिर क्यों नहीं छोड़ते। जबकि उनका वबाल तुम अपनी आंखों से देख रहे हो।

Scanned by CamScanner

ख़ुदा के बन्दो अपनी आंखें खोलो और ख़ुदा और रसूल का ख़ौफ़ करो। मायें और घरों की बड़ी बूढ़ियां अगर ख़ुदा और रसूल के अहकाम की ताअमील पर अड़ जायें और अपने छोटों को उन वाही तबाही फ़ुज़ूल खर्चियों से सख़्ती से रोक दें तो दीन व दुनिया में उनका भी भला।

फिर शबे बराअत के मौक़ा पर ऐसी बिदअतें और ख़ुराफ़ात में मसरूफ़ रहना। अपना पैसा उड़ाना बच्चों को आतिश बाज़ी के लिए पैसे देना जैसा कि आम रिवाज होता जा रहा है और भी ज़्यादा बुरा और भी बड़ा गुनाह और बड़ी बदनसीबी की बात है कि अल्लाह तआला अपनी पनाह में रखे। आमीन

**मसला:–** मस्जिद में चिराग़ जलाने, या ताक़ भरने या किसी बुज़ुर्ग के मज़ार शरीफ़ पर चादर चढ़ाने या ग्यारवीं की नियाज़ दिलाने, या ग़ौस आज़म रज़ि अल्लाह तआला अन्हु का तोशा या शाह अब्दुलहक़ रोदौलवी रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा का तोशा या हज़रत जलाल बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैहि का कूंडा भरने या मुहर्रम की नियाज़ या शर्बत या सबील लगाने या मीलाद शरीफ़ करने की मन्नत मानी तो यह शरई मन्नत नहीं। सब उसमें से खा पी सकते हैं। (बहारे शरीअत)

**मसला:–** यह और इसी क़िस्म के दूसरे ख़ैर ख़ैरात, दरूद व फ़ातिहा या नज़र व नियाज़ के तरीक़े मना नहीं हैं करें तो अच्छा है अल्बत्ता इसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि कोई बात खिलाफ़े शरअ इसके साथ न मिलाये। मसलन ताक़ भरने में रत जगा होता है जिस में कुन्बा और रिश्तेदार और पास पड़ौस की औरतें इकट्ठा हो कर गाती बजाती नाचती कूदती और शौर व गोग़ा मचाती हैं।

Scanned by CamScanner

दूसरों की नींदें खराब और अपना वक़्त फ़ुज़ूल व लग्व कामों में ज़ाया व बरबाद करती हैं। यह हराम है और गुनाह है। अल्लाह तआला शैतानी कामों से हम सब को दूर रखे आमीन

यूंही चादर चढ़ाने के लिए बाज़ लोग ताशे बाजे के साथ जाते हैं यह नाजायज़ है और मस्जिद में चिराग़ जलाने में अमूमन औरतें आटे का चिराग़ जलाती हैं और तेल की बजाये उस में घी इस्तेमाल करती हैं। यह खाह मख़ाह माल ज़ाया करना है। और नाजायज़ है। मिट्टी का चिराग़ काफी है और घी की भी ज़रूरत नहीं। मकसूद रोशनी है वह तेल से हासिल है। फिर औरतों का गाते हुए मस्जिद तक जाना और भी ज़्यादा बुरा और सख़्त गुनाह है।

مکتبہ جام نور دہلی

Maktaba Jaam-e-Noor

422, Matia Mahal
Jama Masjid, Delhi - 6
Contacts
011-23281418, 8800522592
kausar1977@gmail.com

Scanned by CamScanner